छत्तीसगढ़ विधान सभा

षष्ठम् विधान सभा के नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों के लिए
प्रबोधन कार्यक्रम
की प्रतिवेदित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा प्रबोधन कार्यक्रम **प्रथम दिवस**

शनिवार, दिनांक 20 जनवरी, 2023

(पौष 30, शक सम्वत् 1945)

[अंक 01]

Webcopy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

(षष्ठम विधान सभा)

षष्ठम् विधान सभा के नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम की प्रतिवेदित कार्यवाही

स्थान : विधान सभा सचिवालय स्थित
श्यामा प्रसाद मुकर्जी प्रेक्षागृह

दिनांक : 20 जनवरी, 2024
समय : पूर्वाह्न 11:00 बजे

उदघाटन सत्र

(अतिथियों का आगमन)

उद्घोषक (श्री संजय दुबे) :- छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधान सभा के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन है । प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि माननीय श्री ओम बिरला जी, अध्यक्ष लोक सभा, माननीय विधान सभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह जी, उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, महासचिव लोक सभा, आप सभी महानुभावों को कोटि-कोटि अभिनंदन है । सम्माननीय मुख्य अतिथि एवं मंचासीन अतिथिगण से आग्रह है कि दीप प्रज्जवलन कर आज के कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें ।

(मंचासीन अतिथियों द्वारा मां सरस्वती का माल्यार्पण एवं पूजा कर दीप प्रज्ज्वलित किया गया)

उद्घोषक :- ये दीप है स्नेह का, ये दीप है विश्वास का, ये दीप है सर्वत्र मंगल कामना का । आप सभी की उपस्थिति, आप सभी का पावन सानिध्य हम सबके लिए सुखद अनुभूति है। आप सभी माननीय सदस्यगण का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वगत् करते हैं । षष्ठम विधान सभा के नव-निर्वाचित माननीय सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम का यह प्रथम दिवस जिसमें आप सभी की गरिमामय उपस्थिति है । अतिथि देवो भव: की भावना से अनुप्राणित हमारी भारतीय संस्कृति जिसमें अतिथि सत्कार का हमारा अपना संस्कार रहा है । आज इस अवसर पर हम अपनी उस स्थापित

परम्परा का निर्वहन कर रहे हैं । इसी तारतम्य में सर्वप्रथम माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी से सादर आग्रह है कि वे लोक सभा अध्यक्ष जी का स्वागत् करें ।

(मंचासीन अतिथियों द्वारा लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला का स्वागत् किया गया । कोरबा क्षेत्र से लोक सभा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत जी द्वारा भी लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला का स्वागत् किया गया । सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा श्री दिनेश शर्मा, द्वारा मंचासीन अतिथियों का स्वागत् किया गया)

सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) का स्वागत् उद्बोधन.

सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- आयोजन के मुख्य अतिथि सम्माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, सम्माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा श्री सतीश महाना जी, सम्माननीय महासचिव लोक सभा, माननीय मंत्रीगण, माननीय सदस्यगण, श्री प्रदीप दुबे प्रमुख सचिव उत्तरप्रदेश विधान सभा, लोक सभा एवं राज्य सभा सचिवालय से आए हुए वरिष्ठ अधिकारीगण। छत्तीसगढ़ विधान सभा की ओर से मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत् करता हूं । सम्माननीय लोक सभा अध्यक्ष जी, हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर कृपापूर्वक छत्तीसगढ़ की छठवीं विधान सभा के नव-निर्वाचित माननीय सदस्यों को प्रबोधित करने के लिए आप पधारे हैं । इसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं । 24 वर्षों की अपनी संसदीय यात्रा में छत्तीसगढ़ विधान सभा ने संसदीय कार्यकरण की श्रेष्ठता के अनेक आयामों को स्पर्श किया है । प्रथम से लेकर पंचम विधान सभा तक सभी माननीय विधान सभा अध्यक्षगणों ने अपने संसदीय ज्ञान और अनुभव से छत्तीसगढ़ विधान सभा की संसदीय सम्पदा को समृद्ध किया है । परम् श्रद्धेय डॉ. रमन सिंह जी षष्ठम् विधान सभा के अध्यक्ष हैं । हमारा दृढ़ विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ की विधान सभा नव-संसदीय उत्कर्षों को सृजित कर पाने में सफल होगी । आपका संसदीय ज्ञान, अनुभव और संसदीय व्यवहार सभी माननीय सदस्यगणों के लिए आदर्श है । हम सबको पूर्ण विश्वास है और निश्चित रूप से माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी के संरक्षण और निर्देशन में हमारी विधान सभा उच्च संसदीय आयामों को स्पर्श करेगी । छत्तीसगढ़ की छठवीं विधान सभा में वरिष्ठ और नवोदित सदस्यों का समान रूप से समावेश है । यह उल्लेखनीय है कि छठवीं विधान सभा में प्रदेश की जनता ने 19 महिला सदस्यों को विजयी बनाकर नारी शक्ति में अपना विश्वास जताकर इस सदन में भेजा है। निश्चित ही राज्य की जनता जनार्दन का यह निर्णय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के महिला

सशक्तिकरण अभियान को मजबूती देने वाला है । माननीय महोदय, इस प्रबोधन कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि नव-निर्वाचित सदस्य विशेषकर प्रथम बार निर्वाचित होकर आए हुए माननीय सदस्यों को संसदीय परमपरा, संसदीय प्रक्रिया, संसदीय व्यवहार की प्राथमिक जानकारी जो उनके संसदीय दायित्व के निर्वहन के लिए आवश्यक है, वह उपलब्ध कराई जा सके । निश्चित रूप से इस दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के उपरांत माननीय सदस्यगणों के संसदीय ज्ञान को और अधिक विस्तार मिलेगा और सदन की कार्यवाही में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी । मेरा सभी माननीय सदस्यों से विनम्र अनुरोध है कि इस दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के प्रत्येक सत्र में आप सहभागी बनें और विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से लाभान्वित हों। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मैं पुन: आपके प्रति आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने विधान सभा के नव-निर्वाचित सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए कृपापूर्वक अपना समय दिया ओर हमें अपने आपके सानिध्य का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के समस्य माननीय सदस्यों एवं आप सभी उपस्थित माननीय सदस्यों की उपस्थिति का अभिनंदन करते हुए आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमें अनुगृहीत किया । धन्यवाद् जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ ।

उद्घोषक :- संसदीय कार्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन श्री बृजमोहन अग्रवाल जी से आग्रह है कि इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा डॉ. रमन सिंह जी के संदेश का वाचन करने की कृपा करें ।

अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा (डॉ. रमन सिंह) का संदेश वाचन

संसदीय कार्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- हम सबके लिए यह प्रसन्नता, खुशी और सम्मान का विषय है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत लोक सभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी हम सबके बीच में, हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए, प्रबोधन देने के लिए उपस्थित हैं । मैं चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष विधान सभा की तरफ से आप तालियां बजाकर उनका स्वागत् करें, अभिनंदन करें । हमारे बीच में देश की सबसे बडी विधान सभा उत्तर प्रदेश और जहां अब रामलला पधार रहे हैं । ऐसे प्रदेश के विधान सभा अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना जी का तालियां बजाकर स्वागत् करें, अभिनंदन करें । हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरूण साव जी, हमारे पूर्व विधान सभा अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत जी, लोक सभा के महासचिव महोदय, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव श्री शर्मा जी, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सचिव, मंत्रिमंडल के सदस्यगण, सभी विधायकगण एवं सभी अधिकारी साथियों । मैं माननीय डॉ. रमन सिंह जी की तरफ से उनका संदेश

आपको पढ़कर सुना रहा हूं - षष्ठम् विधान सभा के नव-निर्वाचित माननीय सदस्यों के लिए दिनांक 20 एवं 21 जनवरी, 2024 को विधान सभा की कार्यप्रणाली एवं संसदीय प्रक्रियाओं से भिज्ञ कराने के उद्देश्य से प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है । दिनांक 19 जनवरी 2024 से मेरी कमर में अत्यधिक दर्द बना हुआ है, जिसके कारण मैं कहीं भी आना-जाना नहीं कर सक रहा हूं। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं इस प्रबोधन कार्यक्रम में उपस्थित होकर आने वाले अतिथियों का स्वागत् करू एवं नव-निर्वाचित सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान करूं । किंतु चिकित्सकों की सलाह के कारण मैं अपनी उपस्थिति इस कार्यक्रम में नहीं दे पा रहा हूं । मैं सभी अतिथियों का इस प्रबोधन कार्यक्रम में उपस्थित से, भरे मन से क्षमा चाहता हूं कि ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर मैं चाहते हुए भी स्वास्थ्यगत् कारणों से अपनी उपस्थिति नहीं दे पा रहा हूं । मैं सभी आगंतुक अतिथयों का स्वागत् करता हूं तथा इस कार्यक्रम के सफल होने की कामना करता हूं । मैं माननीय अध्यक्ष विधान सभा डॉ. रमन सिंह जी की ओर से पुन: आप सभी का अभिनंदन करता हूं । स्वागत करता हूं । जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ ।

महासचिव, लोक सभा (श्री उत्पल कुमार सिंह) का उद्बोधन

महासचिव, लोक सभा (श्री उत्पल कुमार सिंह) :- माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी, उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, छत्तीसगढ़ विधान सभा के माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ सरकार के सभी माननीय मंत्रिगण, माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव एवं मेरे सहयोगी श्री दिनेश शर्मा जी, मीडिया के सभी बंधुगण, देवियों और सज्जनों नमस्कार । आज के इस प्रबोधन कार्यक्रम में आप सभी गणमान्यजनों का सादर स्वगत् है । सर्वप्रथम मैं छत्तीसगढ़ विधान सभा के सभी नव-निर्वाचित माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं । इस बार छत्तीसगढ़ विधान सभा में सर्वाधिक 19 महिला सदस्य निर्वाचित होकर आई हैं । 90 सदस्यों की इस विधान सभा में 55 वर्ष की आयु से कम के 50 सदस्य निर्वाचित हुए हैं । मैं यह कामना करता हूं कि आपकी ऊर्जा, आपकी निष्ठा, आप सभी की देखरेख, दिशा निर्देशन में छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास हो । यहां के साधारण जनमानस के जीवन स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके । हमारा सौभाग्य यह है कि छत्तीसढ़ विधान सभा द्वारा आयोजित माननीय विधायकों के प्रथम प्रबोधन कार्यक्रम में संसद की प्रशिक्षण संस्था "प्राइड" को जुड़ने का अवसर दिया गया है । मैं इसके लिए माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा डॉ. रमन सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं । माननीय सदस्यगण, मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि "प्राइड" आज अपने देश की विधायिकाओं के बीच ही नहीं, बल्कि दुनिया की लगभग 100 संसदों में संसदीय प्रणाली एवं जनतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े प्रासंगिक

विषयों में गुणवततपूर्ण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की जानी मानी संस्था के रूप में अपना स्थान बनाने में सफल हुई है । माननीय लोक सभा अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश, मिजोरम, राजस्थान विधान सभाओं के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए "प्राइड" के सहयोग से प्रबोधन कार्यक्रम इसी माह आयोजित किये जा चुके हैं । इस कड़ी में अब छत्तीसगढ़ के माननीय सदस्यों के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रबोधन के दौरान अनेक जरूरी तथा प्रासंगिक विषय जैसे ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, बजट आदि पर आवश्यक जानकारियां अनुभवी वक्ताओं के द्वारा दी जाएंगी । इससे विधान सभा में प्रभावीशाली तथा नियमानुकूल तरीके से प्रतिभाग करने में माननीय विधायकों को सहायता मिलेगी । विधान सभा में दैनिक कार्यावली के अनुसार सुचारू रूप से कार्यवाही चले, माननीय सदस्यगण जनसमस्यओं को प्रखरता से सदन में उठा सकें, इसके लिए जरूरी है कि नियम प्रक्रियाओं, वाद-विवादों एवं उपयुक्त दृष्टांतों के विषय में उन्हें भरपूर जानकारियां दी जाएं ताकि वे पूर्ण संतुष्टि के साथ विधान सभा सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के 5 साल छत्तीसगढ़ राज्य की सेवा में समर्पित कर सकें । इस संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय अध्यक्ष लोक सभा द्वारा संसद सदस्यों की सुविधा के लिए आधुनिक डिजिटल टेक्नालॉजी एवं इंटरनेट के माध्यम से कई प्रभावशाली कदम उठाए गए । लोक सभा की कार्यवाही का डिजटलीकरण किया गया है ताकि सुगमता से उन्हें देखा जा सके एवं उनका अध्ययन किया जा सके । संसद की सभी पुरानी कार्यवाहियों के वीडियो का भी डिजिटलीकरण आपके निर्देशन में हो रहा है ताकि वक्तावार, विषयवार सर्च कर उन्हें देखना संभव हो सके । इसके अलावा संसद के पुस्तकालय में रखी लाखों पुस्तकें डिबेट्स, रिपोर्ट्स को भी डिजिटलीकरण इसी उद्देश्य के साथ किया जा रहा है । सांसदों की मांग पर संसद पुस्तकालय से उनके लिए डोर-स्टेप डिलीवरी की भी व्यवस्था की गई है । माननीय सदस्यगण का प्रमुख दायित्व उनके विधायी कार्य से जुड़ा होता है । माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निर्देश अनुसार महत्वपूर्ण विधयकों पर सांसदों को पूर्ण जानकारी देने के उद्देश्य ये ब्रीफ़िंग सेशन नियमित तरीके से आयोजित किये जाते हैं जिससे विधेयक से संबंधित उनकी सभी जिज्ञासाओं का निवारण हो सके । यही नहीं, माननीय सांसदों की सुविधा के लिए प्रिज्म नाम 24घंटे की सेवा की स्थापना की गई है । जिसके अधीन सदन के सत्र के दौरान उसके द्वारा मांगी गई किसी भी प्रकार की जानकारी लोक सभा की शोध टीम के द्वारा कम से कम समय में उपलब्ध कराई जाती है । लोक सभा द्वारा किये गये प्रयोगों को आप सभी के समक्ष रखने के पीछे अभिप्राय मात्र इतना है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा में भी इनमें से कुछ प्रयासों को अपनाने के विषय में प्रयास हो सकता है ताकि माननीय सदस्यों को सुविधा भी मिले एवं चर्चा की गुणवत्ता में और अधिक सुधार आ सके । लोक सभा सचिवालय जरूरत पड़ने पर इस प्रसंग में हर प्रकार का सहयोग देने के लिए तैयार है । मैं सभा को अवगत कराना चाहता हूं कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 'वन नेशन, वन लेजिस्लेटिव ग्रिड

की स्थापना का आह्वान किया गया था। माननीय लोक सभा अध्यक्ष की देखरेख में इस दिशा में कार्य तीव्र गति से चल रहा है । इस प्रकल्प का उद्देश्य समस्त विधायिकाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है । जहां वे एक दूसरे के रिसोर्सेस को आसानी से एक्सेस कर सकेंगे, वहीं दूसरी ओर जन सामान्य को संसद एवं विधान सभा की गतिविधियों केविषय में एक स्थान पर ही जानकारी प्राप्त हो सकेगी । इस व्यवस्था के तहत अब डिजिटल संसद साइट पर विधान सभाओं की कार्यवाही सीधे प्रसारण को देखने की व्यवस्था भी की गई है । मेरा माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ को अवगत कराना है कि इस व्यवस्था से जुड़ने के लिए संसद की ओर से किसी भी प्रकार का सहयोग देने के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे । मैं पुन: दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूं । धन्यवाद्, जय हिंद ।

नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा (डॉ. चरणदास महंत) का उद्बोधन

नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा (डॉ. चरणदास महंत) :- आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पधारे हुए, श्रद्धेय ओम बिरला जी, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत लोक सभा के अध्यक्ष हैं । मुझे इस बात का आश्चर्य और खुशी हो रही है कि हमारे 50 विधायक अभी नये चुने गए हैं और सीधे लोक सभा के अध्यक्ष महोदय उनको सम्बोधित करने आए हैं । उनका सौभाग्य बहुत बड़ा है कि बैठे-बैठे लोक सभा अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन पा रहे हैं । आदरणीय रमन सिंह जी की तबीयत खराब है। हम लोग शुभकामनाएं देते हैं कि वे जल्दी ठीक हो जाएं । उनकी कुर्सी खाली थी तो माननीय अध्यक्ष जी ने अरूण भाई को उसमें विराजने को कहा । आज अरूण भाई उसमें बैठे हैं, मैं उन्हें धन्यवाद् भी देता हूं, स्वागत् भी करता हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी भी नहीं आए हैं । देश के उपराष्ट्रपति जी भी पधारे हुए हैं, शायद उनके साथ कार्यक्रमों में व्यस्त हैं । मैं महाना जी का बहुत बहुत स्वागत् करता हूं । वे बहुत विद्वान हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी विधान सभा के अध्यक्ष हैं और संसदविद् के नाते उनके बहुत बड़ा गुण भी है । वे बहुत अध्ययन करते रहते हैं, उनकी बहुत सी किताबें भी प्रकाशित हुई हैं , मैं देखता हूं, जानता हूं । उनका हार्दिक स्वागत करता हूं । जैसा कि हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा कि रामलला जी वहां पधार रहे हैं, उस अवसर को भी छोड़कर वे यहां आए हैं तो यह आप लोगों का सौभाग्य है । आदरणीय संसदीय कार्यमंत्री बृजमोहन जी भाई, लोक सभा के महासचिव, उत्पल कुमार जी, आदरणीय दिनेश शर्मा जी, हमारे मंत्री मंडल के सभी सदस्यगण और विधायकगण । निश्चित रूप से यह आपका सौभाग्य है कि बिरला जी यहां आए हैं । सदन का संचालन आप लोग देखते हैं या नहीं । मैं तो देखता हूं क्योंकि मेरी पत्नी भी वहीं है, उनको कितना समय देते हैं या नहीं देते हैं । उनकी कृपा रहती है कि नये सदस्यों को भी, चाहे एक मिनट दें या दो मिनट दें, उनको बोलने का अवसर देते हैं । इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । जो सीखने वाले लोग हैं, आने वाले लोग हैं उनसे भी कहूंगा कि उनसे

सीखें । आज के भाषण से ही न सीखें, उनके विचारों से, उनके कार्यों से सीखना चाहिए । आदरणीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोक सभा अध्यक्ष महोदय, मेरे कार्यकाल में तो आप आ नहीं पाए, हम लोग चाहते थे कि आप कभी आते । आज डॉ. रमन सिंह जी उपस्थित नहीं हैं किंतु कौशिक जी उपस्थित हैं, वे भी विधान सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं । पिछली विधान सभा में मैं भी अध्यक्ष रह चुका हूं । इसलिए हम दोनों रमन सिंह जी की कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे और उनकी तरफ से आपका स्वागत् करते हैं । लोक तंत्र कर माया देखिए, आपने अपने सांसद को यहां का विधायक भी बनाया और उप मुख्यमंत्री भी बनाया और एक सांसद थी, जो आज विधायक बनकर बैठी हैं, गोमती जी । वे भी आपकी लोक सभा की सदस्य रही हैं । हमारी धर्मपत्नी जी भी सांसद हैं। हमारे बड़े बड़े दिग्गज पूर्व मंत्रिगण अमर अग्रवाल जी, राजेश मूणत जी, लता जी भी हैं और दो खतरनाम किस्म के विधायक भी बैठे हैं जो विधायक के रूप में बहुत ही आक्रामक रहते हैं एक तो चंद्राकर जी हैं और दूसरे आपके बगल में बृजमोहन जी बैठे हैं । ये इस कद्र नाराज़ होते हैं कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में स्वमेव निलम्बन का नियम बनाया हुआ है उसकी भी चिंता नहीं करते । आज तो हम लोग यहां एक परिवार के रूप में बैठे हैं । मैं इन सबकी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप यहां पधारे हैं । मैं चाहूंगा कि आप ऐसा आशीर्वाद दें कि इन 50 लोगों में से अधिकांश लोग अगली बार सांसद बनकर चले जाएं क्योंकि आपने कई सांसदों को विधायक बनाया है, कई विधायकों को सांसद बनाइए । आज बहुत जरूरी प्रबोधन कार्यक्रम है । मैं नये विधायक साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं उनके चेहरे, उनके पक्ष, वे कौन सी पार्टी के हैं उस पर ना जाएं। क्योंकि आज आपको यह संस्कार मिलने वाला है, संसदीय संस्कार कहना चाहिए । आज और कल प्रशिक्षण के माध्यम से आप लोगों में संस्कार दिया जाएगा और आप संस्कारित होंगे, तभी आप संसदीय कार्यों के संबंध में जानेंगे भी और उसका उच्चतर स्तर पर आने वाले समय में उसे व्यवहार के रूप में परिणित कर सकेंगे । मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । मैं आदरणीय ओम बिरला जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं । प्रतिपक्ष का नेता होने के नाते कहना ही पड़ेगा कि पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से स्वागत करता हूं । मगर छत्तीसगढ़ की धरती आपको हार्दिक प्रणाम करती है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि आप ऐसे अवसर पर पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद् ।

उप मुख्यमंत्री (श्री अरूण साव) का उद्बोधन

उप मुख्यमंत्री (श्री अरूण साव) :- प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर के मुख्य अतिथि लोक सभा के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री ओम बिरला जी, उत्तरप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष माननीय श्री सतीश महाना जी, हमारे प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, नेता प्रतिपक्ष

आदरणीय डॉ. चरणदास महंत जी, लोक सभा के महासचिव आदरणीय उत्पल कुमार सिंह जी, विधान सभा के सचिव सम्माननीय दिनेश शर्मा जी, सभी सम्माननीय मंत्रिगण, विधान सभा के सभी सम्माननीय सदस्यगण, लोक सभा सदस्य श्रीमती ज्योत्सना महंत जी, सभी अधिकारीगण एवं मीडिया के साथियों, ये प्रबोधन कार्यक्रम हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। विधान सभा की कार्यवाही नियम, प्रक्रिया और परंपराओं से चलती है, जिसकी जानकारी हम सबको हो, यह अति आवश्यक है और ऐसे में हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे लोक सभा के अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शन के लिए यहां उपस्थित हैं, जिन्होंने लोक सभा की कार्यवाही का इतिहास रचा है और मेरा सौभाग्य है कि उनकी अध्यक्षता में मुझे लोक सभा सदस्य रहने का अवसर मिला। शून्यकाल में जिस प्रकार से नये सदस्यों को मौका देना, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करना और उनको प्रेरित करना कि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखें, सदन में उठायें, लगातार उन्होंने प्रेरित किया और लोक सभा की कार्यवाही का इतिहास इनके कार्यकाल में रचा गया है। सबसे बड़ा इतिहास जो इनके कार्यकाल में रचा है, वह है हमारे देश का नया संसद भवन, जो हमारे आदरणीय ओम बिरला जी के ही कार्यकाल में बना है, यह हम सबके लिए गौरव का विषय है और ऐसे लोक सभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी का आज मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच आना, हम सबके लिए गौरव का विषय है। मैं भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से यह प्रबोधन कार्यक्रम उनकी गरिमामय उपस्थिति से हम सभी सदस्यों को उसका बड़ा लाभ मिलेगा, इतना ही कहते हुए एक बार फिर सभी का स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद।

अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा (श्री सतीश महाना) का उद्बोधन

अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा (श्री सतीश महाना) :- छत्तीसगढ़ की इस छठी विधान सभा के प्रबोधन कार्यक्रम में हम सबके, हम सबके सौभाग्य से, हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने लोक सभा की कुर्सी पर बैठकर उस कुर्सी को सुशोभित किया है। ऐसे श्रद्धेय श्री ओम बिरला जी, छत्तीसगढ़ विधान सभा के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, इससे पहले स्पीकर रहे आदरणीय डॉ. चरणदास महंत जी, लोक सभा के महासचिव आदरणीय श्री उत्पल कुमार जी, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव श्री दिनेश शर्मा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित मंत्रिगण, सभी सम्मानित विधायक भाइयों और बहनों, मैं उत्तरप्रदेश विधान सभा का अध्यक्ष होने के नाते अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूं कि जब मैं अध्यक्ष बना और आदरणीय श्री ओम बिरला जी का संरक्षण, उनका आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन मिला, जिसके कारण प्रधानमंत्री जी का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था नेशनल ई-विधान का, उसे आदरणीय

ओम बिरला जी के मागदर्शन में पूरा किया और आज उत्तरप्रदेश की विधान सभा पेपरलेस विधान सभा है, उसके लिए श्रद्धेय बिरला जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और जितना भी धन्यवाद दूं, वह कम है। उनकी कृपा से और उनकी वजह से ही हम लोग इसे पूरा कर सके। जैसे अभी आदरणीय डॉ. चरणदास महंत जी ने कहा है कि हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि लगभग 50 सदस्य पहली बार विधान सभा में चुनकर आये हैं, उनका मार्गदर्शन श्रद्धेय बिरला जी के द्वारा सब लोगों को प्राप्त हुआ। हम विधायक होने के नाते जिस पद के लिए चुने गये हैं, हमारी जिम्मेवारी जनता के प्रति क्या होनी चाहिए, हमारा आचरण क्या होना चाहिए, हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, हमारी कार्य पद्धति क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर श्रद्धेय ओम बिरला जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो और मैं इस बात के लिए धन्यवाद भी दूंगा और बधाई भी देना चाहूंगा कि बहुत सारे पुराने सदस्य, आप विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये सभी यहां पर उपस्थित हैं, बहुत सारे ऐसे सम्मानित सदस्य जो पहली बार एवं अधिक बार चुनकर भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, क्योंकि बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए डिजीटलाइजेशन के इस युग में, हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए हर समय रहता है। मैं सिर्फ इस बात को नहीं कहना चाहता कि केवल नये विधान सभा का प्रबोधन कार्यक्रम है, प्रबोधन और सीखने के लिए सारी उम्र कम होती है। इसके लिए अंग्रेजी की एक लाइन है और हम सबको मालूम है फॉर नॉलेज स्काई इज द लिमिट, ज्ञान के लिए आसमान की लिमिट और उस लिमिट को भरने का काम अगर हम सब लोगों को सौभाग्य से मिल सकता है, आज के इस अवसर पर तो श्रद्धेय बिरला जी हम सबको मागर्दशन देंगे। तो हर व्यक्ति के सीखने के लिए यह प्रबोधन कार्यक्रम होगा, ऐसा मैं मानता हूं। माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी से मेरी टेलीफोन पर बात हुई थी, उनका पत्र मुझे मिला था तो उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में रहने के लिए अपेक्षा की थी तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, 1 बजे सेशन होगा तो उस समय इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विषय जो श्रद्धेय ओम बिरला जी के द्वारा यहां पर रखे जायेंगे, उसमें से भी सीखकर हम लोग अपने इस नये दायित्व को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे, ऐसी आप सभी लोगों के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं सभी सम्मानित विधायक बंधु, मंत्री, जितने भी हमारे मित्र उपस्थित हुए हैं, भाइयों और बहनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और श्रद्धेय ओम बिरला जी के प्रति आदर और सम्मान के साथ उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों को प्राप्त हो, यह निवेदन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

अध्यक्ष, लोक सभा (श्री ओम बिरला) का उद्बोधन

अध्यक्ष, लोक सभा (श्री ओम बिरला) :- छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस प्रबोधन कार्यक्रम में आप सभी को मेरा अभिवादन। जय जोहार। छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी प्राकृतिक संपदा व सौंदर्य, यहां की

आध्यात्मिक व सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक रहा है। यह प्रदेश छोटा जरूर है, लेकिन यहां बहुत विविधताएं हैं। यहां की पुरातत्व संस्कृति, जनजातीय लोकाचार पूरे देश को प्रभावित करती है। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की जीवंत कला, यहां के शिल्प, लोकगीत, लोकनृत्य पूरे देश को आकर्षित करते हैं। छत्तीसगढ़ की पुरातत्व संपत्ति देश और विश्व के कई देशों के लोगों को आकर्षित करती है। यह आप सबका सौभाग्य है कि आपको इस विधान सभा का सदस्य निर्वाचित होने का मौका मिला है। मैं सभी माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और यह आशा करता हूं कि जनता ने जिन अपेक्षाओं, विश्वास और आकांक्षाओं के साथ आपको यहां चुनकर भेजा है, आप उनके विश्वास को कायम रखेंगे और उनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को इस विधान मण्डल के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज हमारे बीच में लोक सभा के हमारे पूर्व साथी माननीय अरूण साव जी हैं, जो उपमुख्यमंत्री के रूप में अपना दायित्व निभा रहे हैं। सतीश महाना जी, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष हैं, जिनका विधायक और मंत्री के रूप में भी एक लंबा अनुभव है। उन्होंने एक ही विधान सभा में 9 बार जीतकर कीर्तिमान बनाया है। आज भी समय-समय पर हमारे स्पीकर कांन्फ्रेंस में देश और विश्व के कई देशों के अंदर भी आपके अनुभव का लाभ सभी संसदीय परंपराओं को जानने का अवसर मिलता है। मेरे मित्र बृजमोहन अग्रवाल जी, जो लंबे समय तक यहां विधायक रहे, मंत्री रहे और अभी उनके पास संसदीय कार्यमंत्री का दायित्व है। डॉ. चरणदास महंत जी इस विधान सभा के अध्यक्ष रहे और जिन्होंने हमारे साथ स्पीकर कांन्फ्रेंस में लगातार काम किया। उनके भी अनुभव का लाभ मिला। आज आप नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपना दायित्व निभा रहे हैं। हमारी लोक सभा की सांसद श्रीमती महंत, लोक सभा के सचिव उत्पल कुमार सिंह जी, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव दिनेश शर्मा जी, सभी माननीय मंत्रिगण व विधायकगण, हमारा यह दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम हमें संसदीय परंपराओं, नियमों, संविधान को जानने और किस तरीके से हम अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाते हुए इस विधान मण्डल के माध्यम से इस राज्य में समृद्धि और खुशहाली ला सकते हैं, यह दो दिन का संचालन व प्रबोधन निश्चित रूप से हमारे जीवन में सार्थक होगा। आज आपको माननीय उपराष्ट्रपति जी का भी मार्गदर्शन मिलेगा और कल माननीय गृहमंत्री जी का भी मार्गदर्शन मिलेगा। इस विधान मण्डल का सौभाग्य है कि यहां की विधान सभा के अध्यक्ष माननीय डॉ. रमन सिंह जी 3 कार्यकाल के मुख्यमंत्री रहे, केन्द्र में मंत्री रहे। उनके अनुभवों का लाभ भी आपको मिलेगा। यहां के मुख्यमंत्री, जो केन्द्र में मंत्री रहे, सांसद रहे और विधायक रहे, उनके लंबे अनुभव का लाभ भी आपको मिलेगा। मुख्यमंत्री होने के नाते वह अपने दायित्व को निभाते हुए इस प्रदेश की समृद्धि, खुशहाली तथा विकास की योजनाएं बनाते समय आपसे व्यापक चर्चा और संवाद करेंगे, ताकि हम छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध व खुशहाल राज्य बना सके। यहां के नेता प्रतिपक्ष, जो अभी कुछ दिन पहले विधान सभा के अध्यक्ष थे। आपको पूरा सदन, अध्यक्ष से लेकर, मुख्यमंत्री से लेकर, प्रतिपक्ष से लेकर संसदीय कार्यमंत्री के एक लंबे अनुभव वाले व्यक्तित्व का लाभ मिला है। यह बात सही

है कि इस विधान सभा में 50 माननीय विधायक नये हैं, लेकिन कुछ माननीय विधायक और मंत्री ऐसे भी हैं, जिनका एक लंबा अनुभव छत्तीसगढ़ विधान सभा में भी रहा। कई माननीय विधायकों का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों विधान सभाओं का अनुभव रहा है। जब हम भारत के लोकतंत्र की चर्चा करने लगते हैं तो कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर लोकतंत्रीय शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। भारत का लोकतंत्र बहुत पुराना है। हमारी कार्यशैली में, हमारे कार्य व्यवहार में, हर कार्य संस्कृति में लोकतंत्र हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। इसीलिए दुनिया के अंदर आजादी के बाद हमारे संसदीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बढ़ी है और संसदीय लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। सन् 1952 से लेकर अभी तक 18 से ज्यादा केन्द्र के चुनाव और 300 से ज्यादा विधान सभाओं के चुनाव और उसमें सहज रूप से सत्ता का हस्तांतरण और लोकतंत्र के लोक महत्व के ऊपर चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति और विचार-विमर्श से हमने देश और प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की है। जब हम छत्तीसगढ़ विधान सभा का इतिहास देखते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए 20 साल हुए हैं, लेकिन 20 साल के अंदर हमने इसी विधान मण्डल के माध्यम से चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति और विचार-विमर्श के माध्यम से इस छत्तीसगढ़ राज्य की समृद्धि और खुशहाली को आगे बढ़ाया है। आज पूरे देश के अंदर छत्तीसगढ़ प्रदेश समृद्धि और खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमने उन जनजाति क्षेत्रों के अंदर, जहां बहुत अभाव थे, जहां के लोगों को अपनी जिंदगी बहुत कठिनाइयों से गुजारना पड़ता था, उन क्षेत्रों के अंदर भी उनकी समस्याओं का समाधान किया और उनके भरोसे को जीता। लोकतंत्र के प्रति उनका विश्वास बढ़े, इसके लिए हमने प्रयास किया। जिसका परिणाम है कि आज लोकतंत्र में इसी कारण से उस क्षेत्र में विकास भी हुआ है और लोगों का लोकतंत्र के प्रति भरोसा भी बढ़ा है। इसीलिए जहां नक्सलवाद था, कठिन परिस्थितियां थीं, वहां भी लगातार मतदान बढ़ता जा रहा है। यह लगातार मतदान बढ़ने का मतलब लोकतंत्र के प्रति उनका विश्वास होना है और जनप्रतिनिधियों पर उनका विश्वास होना है। इसलिए इस विविधता वाले प्रदेश के अंदर। हमारे देश में हर राज्य अलग-अलग विविधताओं वाला है। जब हम भारत की भौगोलिक विविधता व संस्कृति को देखते हैं तो हर राज्य की अलग-अलग विविधताएं, अलग-अलग समस्याएं तथा अलग-अलग कठिनाइयां हैं। लेकिन हमने अपने-अपने राज्यों के अंदर इस विविधता, संस्कृति, परंपराओं और परिपाटियों के आधार पर अपने विधान मण्डल में चर्चा व संवाद करके जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और उनकी कठिनाइयों को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम किया। सरकार किसी भी दल की हो, लेकिन विधान मण्डल एक ऐसा मंच है जहां पर सत्ता पक्ष का विधायक और प्रतिपक्ष का विधायक भी हमेशा अपने क्षेत्र की जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं सदन में रखता है और यह अपेक्षा करता है कि जो मुद्दे, अभाव तथा कठिनाइयां मैंने उठाई हैं, उसपर सरकार गंभीरता से विचार करे और उसका समाधान करे। इसीलिए विधान मण्डल का बहुत ठीक तरीके से उपयोग करके हम हमारे राज्य की जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को भी पूरी कर सकते हैं, राज्य की जनता की भावनाओं

के अनुसार कानून बना सकते हैं, उनके राज्य की समस्याओं तथा मुद्दों का समाधान कर सकते हैं और बेहतर नीतियां बनाकर भविष्य में हमारे राज्य को समृद्ध व खुशहाल बनाने के लिए डिबेट व चर्चा के माध्यम से एक परिणाम ला सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का विधान मण्डल अन्य राज्यों के विधान मण्डलों के मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। हम कई बार राज्य की विधान मण्डलों के अंदर चर्चा करते हैं। यहां की नियम-प्रक्रियाएं, विशेष रूप से वेल में आना, वेल में आकर आटोमेटिकली सस्पेण्ड होना एक अच्छी परंपरा है। लेकिन फिर भी माननीय सदस्य वेल में आते हैं। वेल में आना, विरोध करना, असहमति व्यक्त करना, यह हमारे लोकतंत्र के अंदर स्वाभाविक कार्य प्रणाली है। लेकिन जब प्रदेश के सामूहिक विकास की बात हो, लोगों के सामूहिक हित की बात हो, उस समय हमें सामूहिकता से काम करना चाहिए। मैंने यह विधान मण्डल में देखा और केन्द्रीय विधान मण्डल में भी देखा है कि हमारे विधान मण्डल हो, चाहे केन्द्रीय विधान मण्डल/संसद हो, देश हित व राष्ट्र हित में जब भी कोई मुद्दा आता है तो हम सामूहिकता के साथ एकसाथ खड़े रहते हैं और एकसाथ मिलकर काम करते हैं। इसीलिए हमने इसी लोकतांत्रिक पद्धति से, जहां प्रदेश के विकास की बात हो, देश के हित की बात हो, हमने सामूहिकता के साथ मिलकर कई सामूहिक फैसले भी किए हैं और सर्वसहमति से फैसले भी किये हैं। हमें लोकतंत्र के अंदर और अच्छी परंपराएं, अच्छी परिपाटियां तथा अच्छे नियम को लाने का प्रयास करना चाहिए। विधान मण्डल के अंदर प्रदेश के हर मुद्दों पर लंबी चर्चा व डिबेट हो। जनता की भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति सदन में करे, जिससे हम एक बेहतर परिणाम ला पाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि चाहे पुराने अनुभवी विधायक हो, चाहे नये अनुभवी विधायक हो, हमें इस सदन के महत्वपूर्ण मुद्दों, डिबेट और चर्चा का अध्ययन करना चाहिए। इस विधान सभा ने यहां पर जो भी कानून बनाये हैं, उन कानूनों का अध्ययन करना चाहिए। मैं विधान सभा के अध्यक्ष महोदय से भी आग्रह करूंगा कि जितनी भी पुरानी डिबेट व चर्चाएं हैं, उनको आप डिजीटलाइजेशन कर दे। ताकि इस विधान सभा में जब भी कोई कानून लाए तो उस कानून को किस परिप्रेक्ष्य में लाये थे, उसके क्या उद्देश्य थे और कानून लाने के बाद क्या सकारात्मक परिवर्तन हुए। यदि इस कानून में कमी है और फिर भी कानून लाया जा रहा है तो उसपर और चर्चा व डिबेट करे। हम हितधारक जनता के विचारों की अभिव्यक्ति इस सदन में करे और सरकार का ध्यानाकर्षित करे। यही विधायक मंच है जिसके माध्यम से आप अच्छी डिबेट, चर्चा व संवाद करके इस प्रदेश के नेता बन सकते हैं और जनता के विश्वास को जीत सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि यहां की जो भी नियम-प्रक्रियाएं हैं, उन नियम-प्रक्रियाओं का अध्ययन करके यदि हम विधान सभा के माध्यम से हमारे क्षेत्र की जनता की बात रखेंगे और प्रदेश की जनता की बात भी रखेंगे तो हम इस राज्य में समृद्धि और खुशहाली भी ला पाएंगे और जनता के अभाव, कठिनाइयों, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को भी पूरा कर पाएंगे। इसलिए जनता ने इस विधान मण्डल में हमें इस विश्वास के साथ चुनकर भेजा है कि यहां पर हम सारगर्भित तरीके से तथ्यों

के आधार पर, अध्ययन के आधार पर विषयों को रखे। इसके लिए दो दिन तक आपका यह जो प्रबोधन कार्यक्रम चलेगा, उसमें विभिन्न विषयों पर डिटेल में चर्चा होगी। मेरा मानना है और मैं माननीय पुराने विधायकों से आग्रह करता हूं और माननीय नये विधायकों से विशेष आग्रह करता हूं कि हमें विधान सभाओं के अंदर ज्यादा बैठने की आदत डालनी चाहिए। आप जितनी देर तक विधान सभा में बैठेंगे, अनुभवी लोगों के विचार भी मिलेंगे, नये विधायकों के विचार मिलेंगे, सरकार के पक्ष के मंत्रियों के विचार भी मिलेंगे। ज्यादा देर तक बैठने के बाद आप ज्यादा ठीक से चर्चा कर पाएंगे और ज्यादा ठीक से अपने विचारों को तर्कसंगत तरीके से रख पाएंगे। चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे स्थगन प्रस्ताव हो, चाहे कानून बनाने का विषय हो। मेरा मानना है कि जो विधायक ज्यादा देर तक सदन में बैठता है, उसको ठीक से और प्रभावी तरीके से अपनी बात को रखने में एक दिन उसका लाभ मिलता है। इसीलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करे। हमारी क्षमता को बढ़ाएं, हमारी दक्षता को बढ़ाएं, देश की संसद और विधान मण्डलों का अध्ययन करें। चाहे डिबेट हो या बजट का विषय हो, बजट के अंदर जब हम चर्चा करने लगे तो पिछले सारे बजटों का अध्ययन करके आप चर्चा करेंगे। जो बजट आवंटित हुआ था, उसका ठीक से उपयोग हुआ या नहीं हुआ और आवंटित बजट का नाम जिन योजनाओं, नीतियों तथा कार्यक्रम के लिए लाया गया था, उससे उसका कितना प्रभाव पड़ा। तो आप हर बजट पर, हर मद पर ठीक से चर्चा कर पाएंगे। इसलिए बजट सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बजट सत्र में बजट पर चर्चा करना, अलग-अलग विभागों पर चर्चा करना और उन विभागों के अंदर जो बजट दिया गया था, उससे क्या-क्या परिवर्तन हुए। उससे निश्चित रूप से आप कार्यपालिका में भी पारदर्शिता ला सकते हैं और शासन में भी पारदर्शिता ला सकते हैं। यदि आपको दोनों में पारदर्शिता और जवाबदेही लानी है तो आपको विधान मण्डलों का उपयोग करना चाहिए और विधान मण्डलों में तर्कसंगत चर्चा करनी चाहिए। इसी तरीके से हम हमारे क्षेत्र की समस्याओं को तो उठाएंगे ही, लेकिन हमें राज्य के प्रमुख मुद्दों पर, क्योंकि यह बहुत समृद्ध राज्य है। इस प्रदेश के अंदर प्राकृतिक संपदा, कृषि, कृषि उद्योग और कई संभावनाएं हैं। इस छोटे राज्य में सारी संभावनाओं को समझकर देश और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हम किस तरीके से राज्य के विकास में हमारा योगदान दे सकते हैं। किस तरीके से राज्य के विकास में और तेजी ला सकते हैं, कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, यह हमारी चर्चा और संवाद से संभव हो पाएगा। यहां माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी उपस्थित नहीं हैं, इसलिए मैं विशेष रूप से संसदीय कार्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सत्र में एक दिन विधायक महोदय अपने-अपने क्षेत्रों के अंदर सरकार की योजनाओं, अपनी तरफ से चलाई गई सामाजिक योजनाओं, अपनी तरफ से किये गये इनोवेशन, नई पहलों का अलग-अलग विधान सभा के सदस्य चर्चा करे। उन चर्चाओं के माध्यम से यह परिणाम आएगा कि उन्होंने केन्द्र-राज्य की योजनाओं के अलावा जो सामाजिक योजनाएं शुरू की हैं, उनसे किस तरीके से समाज में आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन लाए हैं। एक पक्ष सरकार का है और दूसरा

पक्ष विधायक की भूमिका है, जिसने एक सामाजिक नेतृत्व के रूप में काम किया है, उसकी भूमिका है। जब उससे चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से अन्य विधायकों को, जिन विधायकों ने बहुत अच्छी पहल करके अपने इलाके के अंदर लोगों के सामाजिक, आर्थिक जीवन में परिवर्तन किया है, उसको उसकी प्रेरणा मिलेगी और वह भी अपने क्षेत्र में ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करेगा, ताकि वह और परिवर्तन कर सके क्योंकि यहां पर विविधताएं भी हैं, जनजाति क्षेत्र भी हैं, विकास के नये क्षेत्र भी हैं इसलिए मुद्दे अलग-अलग हैं। क्षेत्र के मुद्दे भी अलग-अलग होते हैं। कोई क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, कोई क्षेत्र आगे है। लेकिन जो पिछड़े क्षेत्र हैं उसके विधायक की ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। जो आगे वाले विकास के क्षेत्र हैं उसकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि विकास के दृष्टिकोण के अंदर जहां सरकार बराबर और उन पिछड़े जिलों और गांवों को आगे लाने का काम करे। वही विधायक महोदय भी समय-समय पर ऐसे राज्य के सामूहिक और सर्वांगीण विकास के लिए काम करने की योजना बनाएं। मुझे आशा है कि हम इस लोकतंत्र के अंदर अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाते हुए सहमति, असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन इस विधान सभा को हम और संवैधानिक रूप से अच्छी परंपराओं, अच्छी परिपाटियों की विधान सभा बनाएं। आदर्श विधान सभा बनाएं क्योंकि माननीय अध्यक्ष यहां पर रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। सदन और प्रतिपक्ष मिलकर ऐसी नियम-प्रकियाएं, परिपाटी, परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे, जिससे हम यह उदाहरण दे सके कि छत्तीसगढ़ की विधान सभा एक आदर्श विधान सभा है। जहां पर संवैधानिक दायित्वों का भी ठीक से उपयोग किया जाता है और जहां पक्ष-विपक्ष बैठकर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए दोनों मतों पर सहमति-असहमति भी व्यक्त करते हैं। यदि नीतियों के विरोध करने की आवश्यकता हो तो विरोध भी करता है लेकिन जहां सरकार को सकारात्मक पक्ष भी बताना होता है तो उस सकारात्मक दिशा में भी सहयोग करता है। हमें नई पहल और प्रयोग करने की आवश्यकता है। इस लोकतंत्र को, इन संवैधानिक संस्थाओं को यदि हम मंदिर मानते हैं तो हमें इनकी प्रतिष्ठा और गरिमा को बढ़ाने के प्रयास करने की आवश्यकता है। तत्कालीन रूप से वेल में आना, तत्कालीन रूप से सदन का गतिरोध कराना, तत्काल तो उसका लाभ हो सकता है लेकिन उसका लंबे समय तक लाभ नहीं हो सकता है। जब कभी आप पुराने विधायकों की सदन की कार्यवाही देखेंगे तो बेस्ट विधायक वही होगा, जिसने संसद या विधान सभा में बैठकर प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा की, कानून बनाते समय अपने पक्ष को मजबूती से रखा और जनता की अपेक्षा, आकांक्षाओं को भी मजबूती से रखा। राज्य की समृद्धि और विकास के लिए भी सकारात्मक विचार रखे। वह पुरानी डिबेट व चर्चा के अंदर आने वाले माननीय सदस्यों को प्रेरणा देगा। इसीलिए मेरा आपसे यही आग्रह है कि हम सब सदस्य मिलकर इस छत्तीसगढ़ को एक विकसित प्रदेश बनाने में एक ऐसी बुनियाद खड़ी करे, चर्चा और संवाद की ऐसी नई परंपरा शुरू करे ताकि इस प्रदेश को भव्य भी बना सके, विकसित भी बना सके और जनजाति क्षेत्र के लोगों के जीवन में परिवर्तनकाल लाकर देश के अंदर एक नई पहल कर सके। यह

छत्तीसगढ़ प्रदेश छोटा जरूर है लेकिन अपनी पहल, कार्य और कार्य प्रणाली से अपने विधान मण्डल के अंदर चर्चा, संवाद से हमने श्रेष्ठ और विकसित छत्तीसगढ़ बनाया है। मुझे आशा है कि आप सब मिलकर इसकी सामूहिकता से प्रयास करेंगे। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। (तालियों की आवाज)

(माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा मुख्य अतिथि माननीय लोक सभा अध्यक्ष महोदय का शॉल, श्रीफल से सम्मान कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया)

(सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा महा सचिव, लोक सभा को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया)

(माननीय लोक सभा अध्यक्ष की ओर से महासचिव, लोक सभा द्वारा मंचासीन अतिथिगण को स्मृति चिन्ह एवं संविधान की प्रति भेंट की गई)

आभार

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- हम सबका सौभाग्य है कि इस देश की लोक सभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी ने हम सबको अपने ससंदीय कार्य करते हुए अपने विधायकी दायित्व का निर्वहन कैसे कर सकते हैं ,अपने क्षेत्र का विकास कैसे कर सकते हैं ,और साथ ही उन्होंने यहा भी कहा कि जितना ज्यादा हम विधान सभा की कार्यवाही में उपस्थित रहेंगे उतना ज्यादा हमको सीखने को मिलेगा ,समझने को मिलेगा ,जानकारी मिलेगी। निश्चित रूप से आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन हमारे सभी विधायक साथियों के लिए बहुत उपयोगी होगा। आज इस प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में आप यहां पर पधारे ,हम सबको संबोधित किया ,मैं आपके प्रति छत्तीसगढ़ विधान सभा की तरफ से छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ,बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश लोक सभा के अध्यक्ष जी ,उनका प्रबोधन अभी हमको एक बजे सुनने के लिए मिलेगा। निश्चित रूप से हम 90लोग हैं और उत्तर प्रदेश की विधान सभा हमसे पांच गुनी ज्यादा बड़ी है। उस विधान सभा को वह कैसे संचालित करते हैं ,उस विधान सभा में किस प्रकार से जनभावनाओं को उद्घाटित किया जाता है ,यह हमको उनसे जानकारी मिलेगी। वे इस सत्र में उपस्थित रहे ,मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे उप मुख्यमंत्री अरूण साव जी ,जो हाई कोर्ट में डिप्टी एडव्होकेट जनरल रहे ,लोक सभा के सदस्य रहे ,अभी विधायक और हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं ,हमारे मुख्यमंत्री जी क्योंकि उप राष्ट्रपति जी के साथ में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में हैं ,इसलिए मैं उप मुख्यमंत्री जी का भी और साथ में मुख्यमंत्री जी का भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे नेता प्रतिपक्ष जो बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। आपने उनको सुना। वे लोकसभा में भी रहे हैं ,केन्द्रीय मंत्रिमंडल में भी रहे हैं ,हमारे विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं ,मुझे लगता है कि शायद संसदीय कार्यकाल की संसदीय

परंपराओं की वह जीती-जागती मूरत है ,उन्होंने सब कामों को निभाया है। मैं उनके प्रति भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे लोक सभा के महासचिव जो पूरे देश के सबसे बड़ी लोकतंत्र की संस्था लोक सभा को संचालन में माननीय अध्यक्ष महोदय का सहयोग करते हैं ,उनके उद्गार भी हमने सुने हैं। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे विधान सभा के सचिव , सचिवालय के सभी कर्मचारी, अधिकारी और साथ में सभी विधायक साथीगण मेरी जानकारी में 90 में से 55 विधायक यहां पर उपस्थित हैं ,वे इस बात को साबित करता है कि हमारे 50नये विधायक हैं और 55 यहां पर उपस्थित हैं तो पुराने विधायक और मंत्रियों में भी देखने की लालसा है ,मैं उन सब के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए और पुन :लोक सभा अध्यक्ष जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और हमारे विधान सभा के अध्यक्ष जी स्वास्थ्यगत कारणों से वे उपस्थित नहीं हैं ,उनकी तरफ से क्षमा मांगते हुए पुन :आप सबका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप तालियां बजाकर हमारे लोक सभा अध्यक्ष जी का स्वागत करें , उन्होंने तकलीफ कर यहां पर पधारे ,हम सबको मार्गदर्शन दिया ,मैं आपका बहुत-बहुत अभिनंदन बहुत-बहुत स्वागत और आप सबके प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद , जय छत्ती सगढ़।

उद्घोषक :- आप सभी माननीय सदस्यगण से अनुरोध है कि इस सत्र के तुरंत बाद मुख्य अतिथि महोदय के साथ समूह छायाचित्र होना है, इस मंचीय कार्यक्रम के तुरंत उपरांत आप सभी कृपया निर्धारित स्थान पर पहुंचने की कृपा करेंगे।

(12:40 से 1:20 बजे तक टी ब्रेक)

प्रथम सत्र

अतिथि वक्ता का आगमन एवं स्वागत

उद्घोषक (श्री संजय दुबे) :- षष्ठम ्विधान सभा के नव निर्वाचित माननीय सदस्यगणों के लिए आयोजित इस प्रबोधन कार्यक्रम में आप सभी माननीय सदस्यगणों का हृदय से स्वागत, हृदय से अभिनंदन। अतिशीघ्र आज का यह प्रथम सत्र आरंभ होगा, आप सभी से हमारा निवेदन है कि अपना आसन ग्रहण करने की कृपा करें। छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधान सभा के नवनिर्वाचित माननीय सदस्यगणों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का यह प्रथम सत्र जिसमें प्रबोधन सत्र के प्रमुख वक्ता माननीय श्री सतीश महाना जी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा का हम स्वागत करते हैं।

(उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अरूण साव जी द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया)

(प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा, श्री प्रदीप दुबे द्वारा उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया)

(सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा श्री दिनेश शर्मा द्वारा मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत किया गया)

उद्घोषक :- जैसा कि आपको विदित है, यह प्रथम सत्र है और इस प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में स्वागत के लिए दो शब्द रखने के लिए मैं सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा को सादर आमंत्रित करता हूं।

सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- प्रबोधन कार्यक्रम के इस प्रथम सत्र के मुख्य वक्ता आदरणीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा, श्री सतीश महाना जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी, उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव, श्री प्रदीप दुबे जी, उपस्थित माननीय मंत्रीगण, माननीय सदस्यगण आप सभी का इस प्रथम सत्र में मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं।

प्रबोधन कार्यक्रम का यह प्रथम सत्र है और हम सबका यह सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के सम्माननीय अध्यक्ष जी, आप माननीय सदस्यगणों को अपने संसदीय अनुभवों और ज्ञान से लाभान्वित करने के लिए कृपापूर्वक पधारे हैं। माननीय श्री महाना जी का सुदीर्घ राजनीतिक जीवन रहा है। आप उत्तर प्रदेश के कानपुर कैंट विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि आप एक ही विधान सभा क्षेत्र से लगातार 8 बार निर्वाचित होते आ रहे हैं। आपको सत्ता और संगठन दोनों में समान रूप से कार्य करने का अनुभव रहा है। आप एक कुशल जनप्रिय, जनप्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं। माननीय मुख्य वक्ता जी का इस सत्र का निर्धारित विषय ध्यानाकर्षण सूचना, स्थगन प्रस्ताव एवं लोक महत्व के विषय हैं। विधान सभा के सदस्यों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे यहां छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली में नियम 138 के तहत् ध्यानाकर्षण एवं नियम 139 और 142 के तहत् अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा का प्रावधान है। वहीं नियम 55 के तहत् स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था है। मैं यहां विशेष रूप से माननीय नवनिर्वाचित सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि आपको विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली जो उपलब्ध कराई गई है, उसमें सभी नियमों का उल्लेख है। विधान सभा में सदन की कार्यवाही नियमों और प्रक्रियाओं से ही चलती है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, निवेदन है कि आप उसका अवश्य अध्ययन करें। अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व मैं पुन: माननीय श्री सतीश महाना जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माननीय महाना जी आपको विषय से संदर्भित न केवल

आवश्यक जानकारी देंगे बल्कि इस विषय से जुड़ी आपकी जिज्ञासाओं का भी समाधान करेंगे। मेरा आग्रह है कि आप उनके मार्गदर्शन एवं व्याख्यान को गंभीरता से सुने, धन्यवाद।

उद्घोषक :- देश की सबसे बड़ी विधान सभा उत्तर प्रदेश विधान सभा और उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव, प्रदीप कुमार दुबे जी यहां पर हैं। आदरणीय श्री प्रदीप कुमार दुबे जी से सादर आग्रह है कि इस आयोजन के परिप्रेक्ष्य में दो शब्द कहें।

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा (श्री प्रदीप कुमार दुबे) :- उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, छत्तीसगढ़ के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव श्री दिनेश शर्मा जी और सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण।

विधान सभा या विधायिका संविधान की जो तीन धाराएं हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, उसमें विधायिका एक ऐसा प्रतिष्ठान है जो प्रक्रिया आधारित है, उसमें मुख्य रूप से प्रक्रिया का बहुत महत्व है और प्रक्रिया के आधार पर ही विधायिका संचालित होती है। हमारे संविधान के जो निर्माता हुए, उन्होंने विधान सभा के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं कि क्योंकि वे यह जानते थे के जो प्रगतिशील विधायिका है, जैसे हमारे देश की जिसमें अभी विकासशील लोकतंत्र हैं, उसमें अगर बहुत विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित करेंगे तो उसकी प्रगति में उसकी विकास में बाधा पड़ सकती है। इसलिए कहा जाता है कि जो सदन है, वह अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करता है, इसलिए प्रक्रिया हमारे माननीय सदस्यगण है, उनके लिए बहुत महत्व है और उसको समझना या उसके आधार पर कार्य करना उस लिहाज से इस प्रबोधन की भी बहुत बड़ी महत्ता है और यह सभी विधान सभाओं में निर्वाचन के पश्चात् निर्धारित किया जाता है। मैं यहां पर निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष जी का बहुत वृहद अनुभव है, जैसा कि अभी शर्मा साहब ने बताया। मैंने उनको विपक्ष में भी देखा है, मैं काफी समय से सचिव के पद पर हूं, वे प्रक्रिया नियमावली का तब भी बहुत उपयोग करते थे और जब वे अध्यक्ष बने तो यह देश में पहली बार हुआ है कि उन्होंने प्रक्रिया नियमावली का परिशीलन किया और उसका विश्लेषण किया और 70 साल की जो देश के संसदीय लोकतंत्र की यात्रा रही है, उन्होंने उस प्रक्रिया नियमावली को परिवर्तित किया जो कि 1958 में विरचित हुई थी, उसका निर्माण पुन: उत्तर प्रदेश में 2023 में किया गया है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमें लगता है कि संसदीय लोकतंत्र की एक नई धारा को यहां पर उजागर करने के लिए बहुत बड़ी बात है। सचिव के रूप में भी मेरा यह बहुत बड़ा अनुभव है और मैं यह बात कहना चाहूंगा कि देश के जितने भी अध्यक्षगण हैं, पूरे देश में सभी का सम्मान है। माननीय महाना जी पहली बार चयनित हुए हैं लेकिन उन्होंने जो उत्तर प्रदेश की विधायिका में अपना योगदान दिया है, वे यहां पर आपके समक्ष हैं, यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। अध्यक्ष के रूप में सदन का संचालन उत्तर प्रदेश में 403 विधायकों की बहुत बड़ी विधान सभा है और संसद के पश्चात् उसकी अपनी जटिलताएं हैं और जिस प्रकार से वहां चला है, वहां पर स्थगन

बिल्कुल न्यूनतम रहा है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और मेरा भी यह सौभाग्य है कि मेरी बहुत लंबी नौकरी में मैं उनके साथ काम कर रहा हूं। मैं दिनेश शर्मा जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहां दो मिनट अपनी बात कहने का मौका दिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

उद्घोषक :- धन्यवाद महोदय। आप सभी ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, ज्ञानवान हैं, एक अनुरोध है कि दिया गया दान, किया गया काम और अर्जित ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आपके जीवन में इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। अब इसी भाव से आज के जो इस सत्र के प्रमुख वक्ता हैं, हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं। माननीय श्री सतीश महाना जी, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा से अनुरोध है कि निर्धारित विषय पर माननीय नवनिर्वाचित सदस्यगणों को प्रबोधित करने की कृपा करें।

ध्यानाकर्षण सूचना, स्थगन प्रस्ताव एवं लोक महत्व के विषय पर चर्चा

(वक्ता - श्री सतीश महाना, माननीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा)

अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा (श्री सतीश महाना) :- छत्तीसगढ़ विधान सभा की छठीं विधान सभा के आज इस प्रबोधन कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव श्री दिनेश शर्मा जी, मेरे साथ लखनऊ से आए हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री प्रदीप दुबे जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण, भाईयों और बहनों।

सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ महतारी को प्रणाम करता हूं जिनकी कृपा से आप सब लोग यहां पर उपस्थित हैं और जिनकी कृपा से मुझे यहां पर आने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ राज्य अपने आपमें एक समृद्ध राज्य है। सात राज्य की सीमाएं इसको छूती हैं। ये जो सारी प्राकृतिक संपदाएं हैं, कोल, स्टील, फॉरेस्ट रिजर्व हों, इसको Rice bowl of india भी कहा जाता है। यहां का आर्किटेक्ट हो, यहां की संस्कृति हो, यहां के संस्कार हों, मैं इस बात को कहूं कि fastest growing economy भी आज छत्तीसगढ़ की है। ऐसे समृद्धशाली विधान सभा का सदस्य होना, यहां पर जितने सम्मानित सदस्य उपस्थित हैं, आपके लिए गौरव का विषय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत एक प्रक्रिया तय है, संविधान ने इस बात के लिए कहा है कि तीन स्तम्भ होंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सबकी सीमाएं तय की गई हैं, कौन किस सीमा के अंतर्गत रहकर काम करेगा। उसमें विधायिका का सबसे अधिक महत्व है। कालांतर में विधायिका का जिस प्रकार से सम्मान होना चाहिए था, धीरे-धीरे इसको योजनाबद्ध तरीके से इसकी एक Sagging image हो गयी, इसको धीरे-धीरे से कम करें। लेकिन एक परिवर्तन की बेला है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा ट्रांसफार्मेशन पूरे देश में देखने को मिल रहा है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, हम सब जिस कुर्सी के उपर बैठते हैं, उस पद के लिए चुनकर आते हैं तो सबसे

महत्वपूर्ण और सबसे पहला विचार जो हमारे मन में आता है, वह यह आता है कि जनता में हमको क्यों चुना ? अगर मैं इस बात को कहूं कि लाईफ में अगर सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है तो वह सम्मान का होता है, वह विश्वास का होता है। विश्वास से और बड़ी चीज दुनिया में कोई भी नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है, चाहे वह परिवार में हो, चाहे वह समाज में हो, चाहे व किसी भी प्रकार के संस्थाओं में हो, अगर विश्वास नहीं है तो कोई भी संस्था, कोई भी समाज टिक नहीं सकता, कोई भी परिवार नहीं टिक सकता। इसलिए लाईफ में सबसे महत्वपूर्ण विषय विश्वास का है। जब आदमी घर से वोट डालने के लिए निकलता है तो उसके दिमाग में होता है कि हम किस विचारधारा को वोट डालने जा रहे हैं, किस पार्टी को वोट डालने जा रहे हैं, उनकी नीतियां क्या है, उसका काम क्या है ? यह बात उनके ध्यान में रहती है और साथ ही दूसरी बात उनके ध्यान में रहती है कि जिस व्यक्ति को वोट डालने जा रहे हैं, वह व्यक्ति कैसा है। ये दो बातें जिस समय मिलती हैं, तब वह घर से निकलकर उस विश्वास को उस बटन के माध्यम से आपको यहां चुनकर भेजती है। जीतने के बाद हमको उस विश्वास को कैसे पूरा करना है, हमको उनकी अपेक्षाओं के प्रति कैसे खरा उतरना है और उसके अनुरूप हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा रोज एक दूसरे के साथ जनता से संबंध और संपर्क वह कैसे हो, यह महत्वपूर्ण बात है। हमारे सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा ने एक टॉपिक दिया है, इसमें कार्य स्थगन, ध्यानाकर्षण का विषय है। मैं उसके उपर भी आऊंगा। लेकिन चूंकि यह पहला सत्र है तो मैं माननीय विधायक बन्धु बहनों से इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा पहला कर्तव्य है कि हमें उस विश्वास को पूरा करना है। मैं एक लाईन कहता हूं कि you must be loyal to the appointing authority. जिसने आपको appoint किया है, उसके प्रति आपको loyal होना पड़ेगा। appointing authority कौन है, जिस पद पर आप बैठे हैं। जहां पर हमारे सचिव बैठे हैं तो इनके लिए appointing authority हो गयी कि विधान सभा अध्यक्ष होंगे, प्रतिपक्ष के नेता होंगे, जो भी अलग-अलग स्टेट के लोग हों, वे इनके appointing authority हैं। वैसे हमें हमारे प्रमुख सचिव की appointing authority है। loyalty किसके प्रति होनी चाहिए, उस संस्था के प्रति जिसने हमें चुना। हम किसी भी पार्टी से आते हों तो first and foremost हमारी Responsibility बनती है कि we must be loyal to the appointing authority, उसमें से तीन appointing authority हम सब लोगों के लिए है। एक तो हमारी पार्टी है जो हमें यह अवसर देती है कि जनता के बीच में जाएं। हमारी दूसरी appointing authority होती है कि हमारा वर्क जो हमको और जनता के साथ कनेक्ट करता है और तीसरी appointing authority हमारे क्षेत्र की जनता होती है। इन तीनों के प्रति हमको loyal रहना है। जिंदगी में जिस समय इस एक सूत्र को समझ लेंगे तो कोई भी कठिनाई जीवन भर नहीं होगी। यह विधान सभा तो बहुत समृदध विधान सभा है, यहां पर सात-सात बार, आठ-आठ बार, नौ-नौ बार के M.L.A. बैठे हुए हैं। लोकसभा में भी रहे, विधान सभा में भी रहे। इन तीनों के प्रति जिस समय हम loyalty दिखाएंगे नहीं करेंगे भी, उस समय हम आगे बढ़ेंगे। मुझे जानकारी है कि

यहां पर 90 माननीय सदस्यों की विधान सभा में 50 सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं। मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि पहली बार जीतना आसान होता है। आप पहली बार जिस समय जीतते हैं तो आपकी पार्टी की नीतियां, आपका व्यवहार, आपका व्यवहार जनता के सामने उस समय बहुत ज्यादा नहीं होता। पब्लिक आपको संगठन के नाते से पार्टी में काम करते होंगे इस नाते से जानते हैं या किसी ना किसी संस्था के नाते से आपको जानते होंगे। पहली बार जीतना आसान है। पहली बार हम कभी-कभी Negative वोट से भी जीतते हैं, Negative वोट का मतलब होता है कि, इस आदमी को नहीं चुनना है, जो विधायक है, इसको छोड़ना है, इसकी जगह किसी को भी चुन लेंगे, इसको नहीं चुनना है, यह Negative वोटिंग है। दूसरी बार फिर आप Positive वोट से जीतते हैं, इसने अच्छा काम किया, इसको इसलिए चुनना है। जितनी ज्यादा बार होता जाता है, उतना ज्यादा मुश्किल होता जाता है। इसीलिए जीवन में जब भी मुश्किल काम करेंगे, तब आप उन ऊंचाईयों पर पहुंच पाएंगे, आसान काम करके उन ऊचांइयों पर नहीं पहुंच सकते, यह हम सब लोगों को ध्यान देने की बात है। कोई भी आदमी जिसने समाज के अंदर संघर्ष नहीं किया, जिसने समाज के लिए काम नहीं किया, उसकी कोई पहचान नहीं है। हम अगर किसी की पहचान बताते हैं तो बताते हैं कि इसने समाज के लिए ये किया। समाज के लिए क्या किया, यह काउंट करता है। कभी-कभी हम लोग जीत जाते हैं तो हम अपने लिए सब कुछ करना शुरू कर देते हैं, उसकी कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जनता का प्रतिनिधि चुना जाना, यह सौभाग्य की बात होती है, मैं इस बात को कहूंगा कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, वही इस जनता की सेवा कर सकता है जिसके उपर भगवान की कृपा नहीं होती, वह जनता की सेवा नहीं कर सकता, जितनी मर्जी उनके पास धन दौलत हो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, समाज की सेवा करने उनके भाग्य में नहीं लिखा होता। हम लोग यहां पर M.L.A. चुनकर आए हैं, अगर किसी को मुख्य अतिथि बनाना है तो विधायक को बनाएगा किसी पैसे वाले को नहीं बनाएगा। उसको बनाएगा जिसने समाज की सेवा की है, किसी टीचर को बनाएगा, हर अलग-अलग व्यक्ति को बनाएगा। पैसे के नाते से कोई भी मंच पर नहीं बैठाएगा, उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए बैठा है। पैसा वाला भी होगा तो उनको बताएंगे कि समाज का काम ना भी किया हो तब भी कहेंगे, ये-ये समाज का काम करते हैं, इसलिए इनको यहां बैठाया है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा होगा कि इनके पास पैसा है, इसलिए यहां बैठा है, पैसा होने के बाद भी स्कूल में काम करते हैं, समाज में काम करते हैं, वह सारा जो काम होता है, वह यह होता है। इसलिए हम सब लोगों के पास यह सौभाग्य है कि हमको उनके लिए काम करना है। उनके लिए जिस समय काम करना है तो हमारा उनके साथ व्यवहार कैसा हो, हमारे उपर उनका विश्वास कैसे बने रहे, हमारा तालमेल कैसा हो, यह विधायकों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होना चाहिए। हम सारे विधायक यहां पर बैठे हैं, हमारे लिए जनता से मिलने के लिए एक समय और एक स्थान सबको निर्धारित करना चाहिए। करते ही होंगे, लेकिन मैं फिर उस बात को

याद दिला रहा हूं। कभी-कभी समय और शान नहीं होता, आप जितनी मर्जी क्षेत्र में घूम लो, चूंकि एरिया वाईस बहुत बड़ी विधान सभा होंगी, आप जिस समय विधायक चुनने के लिए जाते हो तो हर व्यक्ति के पास जाते हो, उस दिन 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन जितना भी समय हमको मिलता है, सबका यही काम होता है। यहां जाकर अपनी वोट मांगो, अपनी बात बताओ, अपना भाषण करो, अपने लोगों को बताओ कि हमको क्यों वोट दें ? लेकिन जिस समय आप चुन जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, जिस जनता ने आपको चुना है, उस जनता के लिए काम होते हैं, विभाग में जाना पड़ता है, विधान सभा चलती है, उनके लिए क्षेत्र के अंतर्गत चिंता करनी पड़ती है, सारे काम हो जाते हैं, सब काम है। लेकिन जनता का यही होता है कि भैया जीत गये थे तो आए थे लेकिन उसके बाद पता नहीं कहां चले गये। अभी इस विधान सभा को गठित हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। लेकिन अभी से सुनने को आ रहा होगा, जीत गये तो गायब हो गये। मैं एक General perception की बात कर रहा हूं। उसको पूरा बनाये रखने के लिए आपको अपनी जगह पर, अपने स्थान के उपर समय निर्धारित करना चाहिए कि कब मिलना है। दूसरी बात संवाद बनाये रखने की बात है। मुझे नहीं मालूम की यहां पर क्या होता है। हमारे उत्तर प्रदेश विधान सभा में जो विधायक चुनकर आते हैं, उनको विधान सभा की तरफ से एक सिमकार्ड दिया जाता है। यहां सबका अपना-अपना होता है या अलग से दिया जाता है, मुझे नहीं मालूम। जब तक आप विधायक नहीं चुने गये, तब तक आपके ऊपर निगाह कुछ लोगों की रहती है, जब आप विधायक चुने गये तो आपके ऊपर निगाह सब लोगों की रहती है। आप अपने से ज्यादा जितना हम अपने बारे में जानते हैं, उससे ज्यादा क्षेत्र की जनता हमारे बारे में जानती है। उसके बाद हम किसी भी हालत में नहीं छुप सकते। आपको संवाद कैसे बनाना है? एक जमाना होता था, जिस समय लैंड लाईन फोन होते थे, जब घर पर फोन होते थे तब सुनते थे, जिसके घर में फोन होता था, वह लैंड लाईन से जाता था, अब मोबाईल फोन सबके पास है, हर व्यक्ति अपनी सुविधा के हिसाब से आपसे बात करना चाहता है। अगर उसको रात को 12 बजे सो रहा है तो रात को 12 बजे फोन करके पूछेगा, मेरे पास रात को 12 बजे फोन आया, रात को 12 बजे से ज्यादा हुए होंगे, नमस्ते भाई साहब, मैंने कहा नमस्ते, मैंने कहा, क्या कर रहे हैं आप, नमस्ते करने के लिए फोन किया था। मैंने कहा, आप कर क्या रहे हो ? उन्होंने कहा बैठे खा पी रहे थे तो शर्त लगी की आप फोन उठाओगे या नहीं उठाओगे। उसकी शर्त लग गयी, आपकी सारी रात खराब हो गयी। उस समय भी इरिटेट नहीं होना, विधायक चुने हुए व्यक्ति को इरिटेट नहीं होना है, आप फोन मत उठाइए। फोन स्वीच ऑफ कर दीजिए लेकिन फोन उठाकर इरिटेट नहीं होना। एक बार मुझे रात को 2 बजे किसी का फोन आया, सुबह कितने बजे मिलेंगे तो मैंने कहा कि 8 बजे मिलेंगे, मेरी पत्नी थी तो उन्होंने कहा कि रात को कौन बेवकूफ रात को ढाई बजे फोन करके पूछ रहा है कि सुबह कितने बजे मिलेंगे। मैंने कहा आप नहीं जानते हो, आपको उनको डांटना चाहिए था तौ मैंने कहा मैं उनको डांटता तो आपको टेंशन होती कि रात के समय गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं उनको

डाटता तो मुझे भी टेंशन होती कि आराम से सो जा, उनको भी टेंशन होती। अगर फोन उठा लिया है तो आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए, आपकी बात अच्छी होनी चाहिए, इस बात को किन्हीं भी परिस्थितियों के अंतर्गत हम हैं, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है, उससे मतलब यह है कि मैंने फोन किया तो मुझे रिस्पांस कैसे मिला। यह मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, यह बहुत छोटी सी बात है लेकिन हम इरिटेट हो जाते हैं। कभी-कभी हम जिस समय अपना काम करते हैं, उस समय आपके पास बहुत प्रकार के लोग आएंगे। किसी आदमी के दस काम कर दोगे, 11वां नहीं करोगे तब भी वह आपसे नाराज होगा। बताईए आज तक तो कुछ किया नहीं। कोई पहली बार आएगा और आपको इतना मक्खन लगाएगा कि आपसे बढ़िया कोई है ही नहीं। देश में पहले नंबर पर होगा, दूसरे नंबर पर आप ही होंगे। आपको इतना मक्खन लगाएगा। समझदार लोग ऐसे भी होते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों को ना तो किसी की आलोचना की चिंता करनी चाहिए और ना ही किसी की प्रशंसा की चिंता करनी चाहिए। अपने हिसाब से जनता का काम करते रहना चाहिए। आप अच्छा काम करोगे तो बहुत सारे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और किसी का काम नहीं होगा, दस बार होने के बाद नहीं होगा तो आपकी बुराई करेंगे। आपको जो धारण है, आपको सागर के तरीके से स्ट्रांग होना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा प्रसंग कहानी के रूप में बताता हूं। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे रेत पर जो बालू होती है, उस पर लिख रहा था, एक समुद्र दानी है तो उनसे पूछा कि यह क्या लिख रहे हो तो उन्होंने कहा कि समुद्र ने मुझे मोती दान किए हैं तो समुद्र दानी है, उसके लिए सही बात थी। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने उसी स्थान पर रेत के ऊपर लिख रहा था कि समुद्र चोर है तो उसने कहा समुद्र चोर है तो यह क्या बात हुई तो उसने कहा मेरी चप्पल पड़ी थी, चोरी करके ले गया। थोड़ा आगे और बढ़ा तो एक आदमी उसी रेत के ऊपर लिख रहा था कि समुद्र पालनहार है, समुद्र पालनहार क्यों है, तो उसने कहा कि इससे मेरी रोजी रोटी चलती है, मैं मछली पकड़ता हूं, उसको बेचता हूं, मेरी रोजी रोटी चलती है। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसी रेत के उपर एक व्यक्ति लिख रहा था, समुद्र हत्यारा है, उसने पूछा हत्यारा क्यों है, मेरा बेटा यहां पर नहाने के लिए आया था, उसको बहाकर ले गया, उसने उसकी हत्या कर दी, समुद्र हत्यारा है। उतनी देर में समुद्र की लहर आई, सब मिटाकर चली गयी और समुद्र में सब समाहित हो गया। हम सब लोगों को इस बात की चिंता करने की आवश्यकता है कि जिसका काम करेंगे वह प्रशंसा करेगा, जिसका काम नहीं हो सकता, मैं इस बात को नहीं हो सकता इसलिए कह रहा हूं कि सारे काम सब लोगों के हो जाएं यह possible नहीं है, हर आदमी जीते, आपसे हर आदमी चाहेगा कि सबको नौकरी मिल जाए, सबको ठेका मिल जाए, सबका ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाए, संभव नहीं है। हर आदमी के काम करने के प्रयास की गारंटी आपको देनी है, हर आदमी के काम होने की गारंटी नहीं देनी है। मेरी बात क्लीयर है। प्रयास ईमानदारी से करनी चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। मैंने कहा, आप सबका काम नहीं कर सकते, सरकार बनी है, आपको जनप्रतिनिधि चुन लिया जाता है, उसको लोग समझते हैं कि ये अलादिन का चिराग है, इसको घिसेंगे और ये बड़ा हो

जाएगा और जो हम मांगेंगे वह दे देगा, ऐसी लोगों की अपेक्षा है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारे संविधान में, हमारे नियम में, हमारी सरकार में एक लिमिटेड है। क्या काम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, हर चीज का नियम है, उसके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। एक आदमी को भी सरकारी नौकरी में बिना उस प्रोसिजर को फॉलो करके आप नहीं रख सकते। मैं सच कह रहा हूं, नहीं रख सकते। पुराना जमाना गया, जो पर्ची के उपर लोग रख लेते थे, अब नहीं रख सकते। आप उसको कभी-कभी ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत जो नहीं सकता उसके लिए भी ना कहने का साहस होना चाहिए। काम करने के प्रयास की गारंटी, काम नहीं होना, इसके लिए कोई गारंटी नहीं है, हो ही जाएगा और मैंने तीसरी बात कही, उसको लगना चाहिए कि हमारा काम है, ठीक है, हमारा प्रयास है, हम उसको करेंगे। इसके साथ-साथ जो पहली बार यहां पर M.L.A. जीते हैं, अभी यहां पर सचिव, विधान सभा बता रहे थे कि 55 साल से कम इतने M.L.A. हैं, 60-65 M.L.A. आपने बताया। मुझे लगता है कि यंग M.L.A. भी होंगे, 30-40 साल से नीचे वाले भी होंगे जो पहली बार जीतकर आए हैं। जो पहली बार जीतकर आए हैं, वे सौभाग्यशाली हैं, यह छत्तीसगढ़ की विधान सभा है, जैसे कि मैंने कहा कि सीनियर मेंबर्स हैं, यहां के स्पीकर साहब भी 7 बार के विधायक हैं, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी भी 8 बार के विधायक हैं, बहुत सारे लोग हैं। वहां तक पहुंचने के लिए 7 बार M.L.A. बनने के लिए, 8 बार M.L.A. बनने के लिए, 8 बार M.L.A. बनने का मतलब है कि अगर आप पहली बार 30 साल में जीतते हैं तो 8 बार आपके 70 साल के हो जाते हैं तो उसके लिए आपको निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत क्या उसकी जरूरते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट का काम प्रियारटी के ऊपर करना चाहिए। सड़क, पानी, बिजली इत्यादि-इत्यादि है, क्योंकि individual काम बहुत कम लोग लेकर आते हैं, बहुत सारे लोग हैं, जो वही बार-बार लेकर आते हैं। आपकी निर्वाचन क्षेत्र में जितनी भी पापुलेशन होगी, 5 प्रतिशत से ज्यादा आपके पास व्यक्तिगत कामों के लिए इससे ज्यादा लोग नहीं आते हैं। 5 प्रतिशत बहुत बड़ी संख्या होती है। 90 प्रतिशत, 95 प्रतिशत लोग आपको अपने दरवाजे पर देखना चाहते हैं और आपको अपने दरवाजे पर देखने का मतलब है कि उनके दरवाजे पर सड़क बनी है या नहीं बनी है, उनका शौचालय बना है या नहीं बना है। उनको बिजली आ रही है या नहीं आ रही है। उनको पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपको लोग कहां पर देख रहे हैं, अपने घर के दरवाजे के बाहर, आपके कामों के माध्यम से देख रहे हैं। आपको कैसे उन कामों को करना है, यह महत्वपूर्ण बात है। उन कामों के साथ-साथ आपको कैसे प्रदेश का नेता बनना है और देश का नेता बनना है, उसके लिए अगर आपके पास सबसे महत्वपूर्ण कोई प्लेटफार्म है तो आपकी विधान सभा है। आपकी विधान सभा के अलावा आपके पास कोई ऐसा important प्लेटफार्म नहीं है, जिससे आपकी पहचान पूरे प्रदेश में और पूरे देश में बने। इसीलिए आपकी performance आपकी विधान सभा में कैसी हो, यह महत्वपूर्ण बात है। रूल बुक जिसको नियमावली कहते हैं, वह हम सब लोगों को पता रहना चाहिए। विधान सभा में जितने भी लोग चुनकर आए हैं, यह 90 सदस्यों की विधान सभा है, सब भाषण

देकर चुनकर आए हैं तो जो भाषण देने वालों को भाषण सुना सकता है, वही नेता बन सकता है। भाषण देने वालों को भाषण सुनाना सबसे मुश्किल काम होता है, हर आदमी कहता है कि मेरे से बढ़िया तो कोई बोल ही नहीं सकता। हमारे भाषण देने वालों को हम भाषण सुनाएं और हमको वहां पर सेंस बोलना है, फालतू बात नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे सदस्य यहां पर होंगे जो अपनी विधा के माध्यम से किसी ना किसी ऑफ टॉपिक को लेकर किसी ना किसी में आपकी दक्षता होनी चाहिए, ये व्यक्ति खड़ा होगा तो इस विषय को लेकर अच्छा बोलेगा। क्या हम सब लोग अपने-अपने स्थान के ऊपर अपने-अपने विधा के अनुसार, अपने-अपने intelligent के अनुसार हम क्या उस बात को बोल सकते हैं कि हां मैं खड़ा होऊंगा तो लोग कहेंगे कि यह इस विषय के ऊपर बोलेगा। उस विषय के उपर बोला जा सकता है। क्या हम ऐसा बन सकते हैं कि इससे अच्छा कोई व्यक्ति हमारी बात उठाने वाला नहीं है। एक जमाना था, मुझे नहीं मालूम कि यहां पर क्या था, क्योंकि यहां पर नई असेंबली बन रही है, मैं अभी आया था तो आपका हाउस देखने के लिए गया था। अभी यहां पर डिजिटलाईजेशन उतना तेजी से नहीं हुआ है, क्योंकि नयी विधान सभा बन रही है, इस कारण से, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, ना हो। नयी विधान सभा बनेगी तो डिजिटली इक्युप्ट होगी, हमारे उत्तर प्रदेश विधान सभा में हर सीट के उपर टैबलेट है, उसमें पूरी की पूरी कार्यवाही होती है, हमारी पेपरलेस असेंबली है, नयी बनेगी तो नयी होगी। मुझे नहीं पता कि यहां पर टी.व्ही. के माध्यम से, हमारे यहां टी.व्ही. से लाईव होता है, youtube Live भी होता है। आपके यहां हैं या नहीं है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- प्रश्नकाल बस लाईव होता है।

श्री सतीश महाना :- प्रश्नकाल लाईव होता है। ठीक है, अब धीरे-धीरे हो रहा है, हमारे यहां पूरा youtube Live है। अब youtube Live होगा धीरे-धीरे होगा। अभी नहीं होगा तो नई विधान सभा बन जाएगी उसमें होगा। अब लोगों की रोज नई डिमांड है और रोज क्या देखना चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। धीरे-धीरे लोग राजनीति का वीभत्स स्वरूप था, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, अब लोग चाहते हैं कि मेरे बारे में क्या बोल रहे हो, हर आदमी चाहता है कि मेरे लिए क्या बोल रहे हो, मैं क्या देखना चाहता हूं? हमारे यहां पर जितने भी सदस्य बैठे हैं, उनकी यह जिम्मेदारी है कि लोग क्या देखना चाहते हैं और उनको क्या दिखाना है ? एक छोटी सी बात मेरे ध्यान में आई। एक बच्चा था, उसकी मां सर्विस करती थी, बहुत Busy रहती थी तो उसको समय नहीं देती थी तो बड़ा क्रैन्की रहता था, रोना वगैरह सब करता था तो मां कहती है, आती हूं, जब भी रोता रहता है, सुनता नहीं है, एक दिन मां कहती है, चल इसको मेला दिखाकर लाएं तो उसको मेला दिखाने के लिए ले गयी, उसकी ऊंगली पकड़ी, चल मेला दिखाऊंगी, ऊंगली पकड़कर मेला दिखा रही है। वह देखो कितना अच्छा झूला है, वह देखो वहां जादू हो रहा है, वह देखो वहां डांस हो रहा है, बच्च रोये जा रहा है, रोता रहता है, मेला दिखाने लाई हूं, तब भी रो रहा है, उनकी ऊंगली पकड़कर घसीट रहा है। अब ज्यादा रोने लगा तो मां अपने बच्चे को उठाने के लिए जमीन

पर बैठी। मां उसको बता रहा हूं, कैसी बैठी, जैसे मां बच्चे को उठाने के लिए बैठती है। जैसे मां अपने बच्चे को उठाने के लिए बैठी तो वैसे ही उसने देखा, उसने कहा Oh my god. क्या हो गया कि उसने Oh my god कहा। आपमें से कोई बतायेगा कि उसने क्यों Oh my god कहा। उसको क्या लगा कि उसने अपने बच्चे के लिए, वह इमोशनल हो गयी और Oh my god कहा। क्या लगा होगा, आपमें से कोई बताएगा। एक ने कहा, बच्चा रो रहा होगा, उसको देखकर मां पसीज गयी होगी, इसलिए Oh my god कहा होगा। किसी ने कहा कि बच्चे का नाक बह रहा होगा, इसलिए उन्होंने कहा होगा, किसी ने कहा उनको चोट लग गयी होगी। गलत बच्चे को पकड़ लिया होगा, यह भी हो सकता है। चोट लगी होगी यह भी हो सकता है, नैकर नहीं पहना है, यह भी हो सकता है, बिस्तर गिला करता होगा, उस समय वहां घुमाने ले गयी थी हो सकता है, उसने पैंट में सुसु कर दिया हो, यह भी हो सकता है, मिट्टी खा लिया हो, यह भी हो सकता है। यह सारी बातें हो सकती है। अच्छी बात है लेकिन जब मां अपने बच्चे को उठाने के लिए जमीन पर बैठी तो उसने देखा कि बच्चे को सब पैर दिखाई पड़ रही है, गंदगी दिखाई पड़ रही है, जब मां उसको झूला दिखा रही थी, उस बच्चे को नहीं दिखाई पड़ रहा था, उस मां ने बच्चे को उठाकर अपने गोद में अपनी कंधे पर बैठाया तो बच्चा खुश हो गया कि जो देखना चाहता था, वह उसको दिख रहा है। आपके क्षेत्र की जनता को क्या देखना चाहते हैं और क्या दिखा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। क्या देखना चाहते हैं ? आदिवासी लोग हैं, वनवासी लोग हैं, वहां पर वे लोग एक ट्रिलियन इकानमी नहीं देख रहे हैं, वहां पर बात कर रहे हैं कि हमारी सुविधाओं के बारे में बात कर रहे हैं। शहर के अंतर्गत वे आपको देखना चाहते हैं कि हमारे पानी की व्यवस्था करो। लेकिन विधान सभा में लोग आपको क्या देखना चाहते हैं, आप कैसे 5 ट्रिलियन इकानमी बनाने के लिए देश में योगदान दे सकते हैं, अलग-अलग स्थान के ऊपर लोगों की आपकी अपेक्षाएं अलग-अलग हैं, अलग-अलग स्थान के उपर लोग अलग-अलग चीज देखना चाहते हैं तो यह आपकी विद्वता के उपर निर्भर करेगा कि जो चीज जो देखना चाहता है, आप उसको दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। विधान सभा में जब आप ऑफिसर्स के बीच में जाएंगे, आई.ए.एस. अफसर हैं, दूसरे अफसर हैं, अब वहां पर उनके लेवल की बात करोगे, वे आपसे क्या सुनना चाहते हैं ? वह जमाना नहीं है कि लोग कहते थे कि जिसको कुछ नहीं आता, वह नेता बन जाता है, यही है ना, पुराने चुटकले सुना करते थे, घर में सबसे नालायक था जिसको कुछ नहीं आता था, इसको क्या बनाएं, इनको नेता बना दो, सुना है या नहीं सुना है, हां या ना। कुछ नहीं आता, यदि यह पढ़ लिख गया, यह अफसर बन जाएगा, यह पढ़ लिख गया, यह डॉक्टर बन जाएगा, यह पढ़ लिख गया, यह इंजीनियर बन जाएगा, इन्होंने कहा यह क्या है, इनको कुछ नहीं आता, यह क्या बनेगा, यह नेता बनेगा। अब वह टाईम नहीं है, जिसको कुछ नहीं आता वह नेता बनेगा, आज की तारीख में जिसको सब कुछ आता है, वह नेता बनेगा। आप चुनकर आए हैं, अभी थोड़े दिन ही हुए हैं, हर आदमी आपको अपने चाहे वह स्कूल हो, चाहे वह इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वह सामाजिक संस्था हो, कुछ भी हो, आपको

चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। इसका मतलब उनको पता है कि आपको सब कुछ आता है तभी तो आपको चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। एक परिवार को साथ लेकर चलने में कितनी कठिनाई होती है और लाखों लोगों को साथ लेकर चलने में कितनी ज्यादा दुरूह काम है, वह आप लोग कर रहे हो। मैंने शुरू में कहा था, आप आसान काम नहीं कर रहे हो, इसीलिए उनके साथ कैसे समन्वय बनाना है। मैंने कहा कि मेरे पास बहुत सारी टॉपिक है, मैं डिटेल बातचीत कर सकता हूं, नियमावली पर डिटेल बातचीत कर सकता हूं। हमने पूरी एक नई नियमावली बना ली। 1958 से हमारी विधान सभा की नियमावली थी, चूंकि यह नई विधान सभा है, 2000 में बनी, 2001 के बाद 2002 में पहली बार आपका चुनाव हुआ था तो यह छठी विधान सभा है। उस नाते से आपकी नयी नियमावली है, हमारी 1958 की नियमावली थी तो हमने सब बदलकर अभी हमने नई नियमावली बनायी। हमारे प्रमुख सचिव बहुत विद्वान हैं, कई बार, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, इनके साथ बैठकर मुझे बात करने का अवसर मिला। मैंने एक-एक लाईन पढ़ी है। नियमावली पर एक-एक चीज देखी है। आपके लिए सौभाग्य की बात है कि कभी-कभी होता है कि कोई बड़ा व्यक्तित्व वाला आदमी होता है तो वह उस कुर्सी के उपर बैठ जाता है तो आज तीन बार के मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय रमन सिंह जी, उस कुर्सी पर बैठे हैं तो उनके सामने आपको अपनी योग्यता को बताना पड़ेगा कि आपको नियमावली मालूम है। कार्य स्थगन का जिस समय मामला होता है, कार्य स्थगन विपक्ष के माननीय सदस्य लेकर आते हैं। आज सारे कामों को रोक दिया जाए और सारे कामों को रोककर पहले हमारी बातों को सुनी जाए। लोक महत्व का प्रश्न होता है, तात्कालिक प्रश्न होता है, एक स्पेसिफिक विषय होता है। उस पर सामान्य बातचीत नहीं होती है। आपको कार्य स्थगन प्रस्ताव के ऊपर पूरी नियमावली मिलेगी कि कौन कार्य स्थगन प्रस्ताव लगा सकता है। एक सदस्य एक दिन में एक बार ही कार्य स्थगन प्रस्ताव लगा सकता है। जिस विषय पर चर्चा हो चुकी है उसपर दोबारा नहीं लगा सकता है। जो विधान सभा के प्रीव्यू के बाहर के विषय हैं, चाहे वह Judicial से संबंधित हो, चाहे भारत सरकार से संबंधित हो, उस पर नहीं लगा सकता है। उस नियम के अंतर्गत दिये हुए हैं कि इन-इन परिस्थितियों के अंतर्गत आप कार्य स्थगन प्रस्ताव लगा सकता हैं। सामान्यत: यह माना जाता है कि सरकार के कामों से हम असंतुष्ट हैं इसलिए सब कामों को रोककर हमारा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए। ध्यानाकर्षित करने के लिए पहले ऐसे होता था कि विपक्ष के सदस्य ध्यानाकर्षण लगाएंगे, लेकिन अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग लगाते हैं कि सरकार का ध्यानाकर्षित करना है कि हमारी ये-ये समस्याएं हैं और इसपर सरकार जवाब दे। मंत्री जी को उसी दिन उसका जवाब देना पड़ता है। यदि मंत्री जी उस दिन जवाब नहीं दे पाते हैं तो विधान सभा का निकटतम दिन तय कर दिया जाता है कि इस दिन इस ध्यानाकर्षण का जवाब आएगा। उसमें मंत्री जी का वक्तव्य होता है। हमारे उत्तर प्रदेश की विधान सभा में दो प्रकार के ध्यानाकर्षण होते हैं। एक वक्तव्य होता है और दूसरा केवल वक्तव्य होता है। केवल वक्तव्य में लिखकर दे दिया जाता है कि आपको जो जानकारी दी गई है, वही इसका उत्तर है।

यदि वक्तव्य के लिए स्वीकार होता है तो यदि माननीय सदस्य उसपर कोई स्पष्टीकरण पूछना चाहे तो वह पूछ सकते हैं और मंत्री को उसपर स्पष्टीकरण देना पड़ता है। लोक महत्व के प्रश्न होते हैं। लोक महत्व के प्रश्न में नोटिस देते हैं कि यह Public Interest का विषय है इसलिए हम यह चाहते हैं कि इसके ऊपर सरकार लोक महत्व के प्रश्न को पूरा करे। विधान सभा की जो नियमावली है वह विभिन्न नियमों के अंतर्गत आपको बोलने का अवसर देती है। मैं इस बात को पुन: दोहरा रहा हूं कि विधान सभा का हर नियम आपको विभिन्न प्रकार की समस्याएं उठाने का अवसर देता है। इसका मतलब, मैंने इसको दोबारा इसलिए दोहराया क्योंकि विधान सभा बोलने का एक मंच है जहां पर आप जनता की बात को उठा सकते हैं। विधान सभा में चुप नहीं बैठना है। कभी-कभी पांच-पांच साल निकल जाते हैं। कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो पांच साल में एक बार भी नहीं बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में एक दिन मैंने महिला सदस्यों के लिए ही आरक्षित किया है। यहां पर मुझे पता चला कि यदि प्रतिशतवार निकालेंगे तो शायद छत्तीसगढ़ विधान सभा में जो महिला सदस्य चुनकर आई हैं, उनका Participation लगभग 20 प्रतिशत होगा। कुल 90 विधायकों में से 19 महिला विधायक हैं। यानी लगभग 20 प्रतिशत महिला विधायक हैं। देश की बहुत कम विधान सभाओं में 20 प्रतिशत महिला विधायक होंगी। पता नहीं, प्रमुख सचिव जी को जानकारी होगी। मैंने उत्तर प्रदेश की विधान सभा में एक दिन सिर्फ महिला सदस्यों के लिए एजेण्डा समर्पित किया है। उनको बोलने के लिए नहीं दिया, एजेण्डा समर्पित किया। जैसे माननीय स्पीकर साहब के पास कभी-कभी जिस समय आपकी Notices जाती हैं तो उनकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं कि वह मेंटेनेबल है या नहीं है। ग्राह्य है या नहीं है। यदि ग्राह्य नहीं है तो छोड़ देते हैं। यदि कोई पुराना सदस्य उठाएगा। यदि उसकी बात होगी तो कहेंगे कि यह ग्राह्य नहीं है। इसका हटाइये। जिस दिन मैंने महिला सदस्यों को समय दिया तो मैंने कहा कि ग्राह्य है कि नहीं है। मैं उनका सुनूंगा । वह बताए कि ग्राह्य कैसे है। जब उनको बताएंगे तो वह सीखेंगे। उस दिन सारे के सारे प्रश्नकाल भी उन्हीं के लिये। सारी Notices भी उन्हीं के लिये। हमारी सरकार में जो महिला मंत्री थी, मैंने कहा कि यह जवाब देंगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभाग हैं। उस दिन मैंने विभिन्न विभागों के मंत्रियों से कहा कि हमारी जो महिला मंत्री हैं, आप इनको बताइये कि यह कैसे जवाब देंगी। उस दिन मैंने गैलरी भी सिर्फ महिला visitors के लिए रखी। जो गवर्नेस गैलरी थी, वह भी सिर्फ महिला अधिकारियों के लिए रखी। एक दिन पूरे का पूरा महिला सदस्यों के लिए समर्पित था। यहां पर महिला सदस्य बैठी हैं। मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि कभी-कभी लोग यह समझते हैं कि महिला होना disadvantage है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि महिला होना advantage है कि आप कैसे अच्छी तरीके से अपना काम कर सकते हैं। you have to be confident. आप कह सकते हैं कि जो काम पुरूष नहीं करा सकते हैं उसको हम करा सकते हैं। आने वाले समय में तो महिलाओं को 33 प्रतिशत भागीदारी भी होने वाली है। किसी की चिंता नहीं है। राजनीति में आप जितना आगे बढ़ेगे, उतने प्रकार से आपका

विरोध होगा। सभी तरफ से होगा। चाहे वह पुरूष हो या महिला हो। आप कुछ मत कीजिए, आपका कोई विरोध नहीं करेगा। आप कुछ करेंगे तो आपका विरोध होगा। जो कुछ नहीं करेगा उससे कोई गलती भी नहीं होगी और जो कुछ करेगा उससे गलती भी होगी। इसलिए आपको सारी बातों का alignment करना है। चूल से चूल मिलाना, यानी अपने सारे दायित्वों का, सारी जिम्मेदारियों का एकदम एलाइनमेंट करना है, सामंजस्य बनाना है। आपको सबके साथ सामंजस्य बनाना है । इसलिए उस तरीके का आपका व्यवहार होना चाहिए और यह कोई मुश्किल काम नहीं है । हर व्यक्ति अलग-अलग परिस्थितियों में, अलग-अलग भूमिका का निवर्हन करता है या नहीं करता । जब हम घर में होते हैं तो हमारे माता-पिता के प्रति हमारा अलग रोल होता है, उनका सम्मान-आदर, पत्नी के साथ रहते हैं तो सहयोग करते हैं, बच्चों के साथ संरक्षक का रोल होता है वैसे ही समाज में सहयोगी का रोल होता है । हम एक समय बच्चों को उनके हित के लिए डांट रहे होते हैं और उसी समय हमारे मित्र का फोन आ जाता है तो उससे मुस्कुरा कर बात करते हैं । हम लोग कभी-कभी कहते हैं कि एक व्यक्ति कितना काम करेगा । एक व्यक्ति तो सब काम रोज करता है । हमारे जीवन में प्रतिदिन अलग-अलग रोल करते हैं । इसीलिए विभिन्न जिम्मेदारियों का हम कैसे समन्वय और तालमेल करते हैं यह हम पर निर्भर करता है और यह हमें करना है । मैंने कहा कि विधान सभा में 30 मिनट का समय था, 2 मिनट ज्यादा हो गया है ।

मैंने कहा था कि आपको फोन का सिम कार्ड मिलता है । विधान सभा से जो सिम कार्ड मिलता है । मेरे एक मित्र ने कहा फ्री में तो सिम कार्ड मिला हुआ है, फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो ? मैंने कहा हमें जो कार्ड फ्री में मिला है, उसे हासिल करने में सिर्फ पैसा नहीं नहीं, बहुत मेहनत लगी है । यहां भी चुनाव आयोग के द्वारा लगभग 40 लाख चुनावी खर्च की सीमा है । दूसरा सिम कार्ड 700 रूपए में मिल जाता है लेकिन यह सिम कार्ड 40 लाख खर्च करने पर भी नहीं मिलता है । इसलिए आपका सिम कार्ड बहुत महत्वपूर्ण है । उस सिम कार्ड पर बहुत बड़ा विश्वास छिपा हुआ है । नम्बर फीड करिये, बात करिये, मैकेनिज़्म बनाइए कि आपके निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कौन लोग आपके सहयोगी हो सकते हैं । फोन नहीं उठाना मजबूरी हो सकती है लेकिन कुछ लोगों को कॉल बैक करना अवसर होता है । मैं अपनी बात बताऊं, कभी-कभी मेरे किसी व्यक्ति का फ़ोन आ जाता है तो मैं जान-बूझकर फ़ोन नहीं उठाता, फिर पांच मिनट बाद उसको फ़ोन करता हूं । तो फ़ोन रिसिव करने की उसे जितनी ख़ुशी नहीं होगी, आपके कॉल बैक करने से उसे ख़ुशी होगी, यह करिये, यह ज़रूर करिये । सबका मत करिएगा, अन्यथा फिर यह बात होगी कि ये जान-बूझकर फ़ोन नहीं उठाते । हमेशा नहीं, कभी-कभी ऐसा करिये । कभी किसी को ग़लती से फ़ोन लग जाए और उसने फ़ोन उठा लिया और मुझे लगा कि मैंने जिसे फ़ोन किया, यह तो वह आदमी नहीं लग रहा है, मैं आवाज़ से पहचान गया कि यह दूसरा आदमी है तो मैंने कहा हां भाई साहब कैसे हैं, बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी इसलिए फ़ोन लगा दिया । मैंने यह कभी नहीं कहा कि भाई ग़लती से फ़ोन लग गया। वह ख़ुश हो जाएगा कि इतने दिनों बाद मैंने ख़ुद उसे फ़ोन

किया । तो यह रिलेशनशिप मेंटेन करके, रिलेशनशिप डेव्हलप करना, यह आपकी योग्यता पर होगा। आप कैसा काम कर रहे हैं, आपने जनता के हित में क्या काम किया है । यह बहुत महत्वपूर्ण है । लेकिन जनता के साथ आपका संबंध, समन्वय उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है । मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि कुछ लोग उठते हैं और कुछ लोग गिरते हैं, और कुछ लोग शिखर तक पहुंचने के लिए अपना काम करते हैं । हमारी इस छठीं विधान सभा के माननीय सदस्य उसिगरने और उठने से ऊपर उठकर, यजनता की सेवा के माध्यम से शिखर तक पहुंचने का काम करेंगे । ऐसी मेरी आप सबके प्रति शुभकामना है । मैं माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हू । माननीय उप मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया । संसदीय कार्यमंत्री बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनके प्रति आभार ।

यदि मैं डिजिटलाईजेशन के बारे में बात करूं तो बहुत सारे विषय हैं । लेकिन मुझे समय सीमा के अंदर ही रहना चाहिए । मैंने आपके 5-6 मिनट ज़्यादा ले लिये। मुझे विश्वास है कि आप अपने काम से हमेशा पॉज़िटिव वोटर लेकर इस विधान सभा में दोबारा आएंगे । जनता का स्नेह, विश्वास आप सब पर बना रहेगा, आपके काम से लोग प्रसन्न रहेंगे । आप विधान सभा के फ़ोरम का उपयोग करके प्रदेश के बड़े नेता बनेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं । बहुत-बहुत धन्यवाद्, जय हिंद ।

उद्घोषक :- धन्यवाद् महोदय, आपके कृपापूर्वक उद्बोधन के लिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- महोदय, मैं हमारे एक सदस्य से आपका परिचय करवाना चाहूंगा। यह हमारे वरिष्ठ सदस्य पुन्नूलाल मोहले जी हैं ।

श्री सतीश महाना :- जी हां, मैंने सुना है कि ये 8 बार के विधायक रहे हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- 8 बार विधायक, 4 बार सांसद ।

श्री सतीश महाना :- मैं क्षमा चाहूंगा । आपको बहुत शुभकामनाएं । जब से मैं यहां आया हूं तब से मैंने आपके बारे बहुत कुछ सुना है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- महोदय, आपकी उत्तर प्रदेश विधान सभा में होता है या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता । हमारी विधान सभा नियम-प्रक्रिया में अल्पकालिक चर्चा के लिए नियम 142 है । जैसे हमारी विधान सभा में बजट सत्र प्रस्तावित है । प्रश्नकाल होगा, ध्यानाकर्षण होगा, स्थगन होगा, संकल्प होगा, नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व की चर्चा भी लगती है । अल्पकालिक चर्चा किस स्वरूप में लगती है और किस तरह उसको स्वीकृति देते हैं। 139 की चर्चा तो कार्यमंत्रणा समिति में सूचनार्थ आती है, कि 139 की चर्चा लगी है । ध्यानाकर्षण और स्थगन कार्यमंत्रणा समिति में नहीं आते, अध्यक्ष महोदय अपने विवेकानुसार उसको स्वीकृति या अस्वीकृति देते हैं । किंतु नियम 142 के अंतर्गत अल्पसूचना प्रश्न भी हम लगा सकते हैं । उसमें भी नियम है कि आप एक सप्ताह पहले नोटिस देंगे ।

इसमें सिर्फ यह लिखा है कि दो लोगों के दस्तखत प्रस्तावक के रूप में करवाने होंगे । तो अल्पकालिक चर्चा के विषय कि तरह के होंगे, किस तरह उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया होगी । अमूमन, किस तरह के विषय लिए जाते हैं । मैंने अल्पकालिक चर्चा स्वीकृत होते नहीं देखी है । कितबों में ज़रूर उल्लेख है । हमारी विधान सभा में भी अल्पकालिक चर्चा नहीं आई । उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया किस तरह होती है, कार्यमंत्रणा समिति में जाती है या हम स्वयं लगा सकते हैं और किस तरह के विषय को उसमें लिया जा सकता है । विषय कितने गंभीर होने चाहिए जिससे कि वे अल्पकालिक सूचना में स्वीकार हो सकें । शून्यकाल भी हम लगाते हैं, हमारे यहां दो प्रकार के शून्यकाल होते हैं । इसे थोड़ा समझाने का कष्ट करेंगे ।

श्री सतीश महाना :- आप संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं । जैसा कि हमारे प्रमुख सचिव ने बताया कि इसके लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किये गये हैं । विधान सभा स्वयं अपने नियम बनाती है । अध्यक्ष के पास असीमित शक्तियां हैं । आपने कहा कि किस तरह के विषयों को लिया जा सकता है । उदाहरण के तौर पर जब प्रश्नकाल के दौरान जनहित के संबंधित मामले आते हैं, चाहे सिंचाई से संबंधित हो, चाहे बिजली से संबंधित हो, उसके अंतर्गत हमारे यहां नियम 52 के अंतर्गत विधायक खड़े होकर मांग करते हैं कि इस विषय पर सही जवाब नहीं आया, यह विषय जनहित का है, इस पर नियम 52 के अंतर्गत चर्चा स्वीकार कीजिए । फिर अध्यक्ष उस बात को नियम के तहत स्वीकृत कर सकते हैं । अध्यक्ष कह सकते हैं कि हम इस पर डेढ़ घंटे की चर्चा या दो घंटे की चर्चा स्वीकार करते हैं । फिर उसको कार्यसूची में लाने के लिए, चूंकि विधान सभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वे किसी भी प्रकार की चर्चा को स्वीकार कर सकते हैं । फिर जब कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होती है तो उसे एजेंडा में ले आते हैं और उस पर चर्चा हो सकती है । हमारे यहां उत्तर प्रदेश की विधान सभा में उसकी यह प्रक्रिया है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । अगर अनुमति होगी तो मैं दो मिनट में अपन बात रखना चाहता हूं । मैंने इस बात के लिए कहा कि छत्तीसगढ़ अपने आप में समृद्ध है, उस नाते हम को मालूम है कि यह शबरी की धरती है, मां कौशल्या की धरती है । मां से अधिक पवित्र शब्द इस धरती पर और कोई नहीं हो सकता । शबरी, स्नेह प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है, शबरी, सामाजिक समरसता का एक भाव है । उस नाते आजकल के परिवेश में सबसे महत्वपूर्ण विषय राम जन्म भूमि का चल रहा है । यह धरती और उत्तर प्रदेश की धरती, मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान राम का जन्म स्थान । 22 तारीख को पूरा देश भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सेलीब्रेट करेगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है । 22 तारीख के बाद कभी अवसर मिलेगा तो मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप लोगों को मैं आमंत्रित कर सकूं । 22 तारीख के बाद कभी भी आएं तो अतिथि के नाते मैं आप सबका स्वागत् और सम्मान कर सकूं । आप मेरे आमंत्रण को

स्वीकार करेंगे । थोड़ा सा कॉऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय बहुत भीड़ भी होगी, लोक सभा का चुनाव भी है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम लोग आपकी विधान सभा की कार्यवाही भी देखना चाहते हैं, क्योंकि वह भी लोक सभा की ही तरह है । हिंदुस्तान में उससे बड़ी विधान सभा तो है नहीं । हम लोग भी चाहते हैं कि आपकी विधान सभा की कार्यवाही देखें ।

श्री सतीश महाना :- आइए ना प्लीज़ । उत्तर प्रदेश विधान सभा इस समय पूरे देश में सबसे सुंदर विधान सभा भी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वहां साल में कितनी बैठकें होती हैं ।

श्री सतीश महाना :- काफी कम । लगभग 25 दिन ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सबसे बड़ी विधान सभा है तो वहां कितनी बैठकें होती हैं ।

श्री सतीश महाना :- मैंने बताया 20-25 दिन । पता नहीं आपके यहां कितनी होती हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमारे यहां लगभग 40 बैठकें होती हैं ।

श्री सतीश महाना :- आपके यहां अच्छी बैठकें होती हैं, हमारे यहां कम है । उत्तर प्रदेश की विधान सभा डेकोर के नाते से, प्रोसीजर के नाते, मुझे नहीं मालूम यहां पर कितना एडर्जनमेंट होता है । लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो वर्षों में लगभग 6 सत्र हो गए और उन 6 सत्रों में एक दिन 36 मिनट के लिए एडर्जनमेंट हुआ है, बाकी दो साल में एडर्जनमेंट नहीं हुआ ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चलिए साहब, सबको धन्यवाद् ।

श्री सतीश महाना :- आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद् ।

(श्री दिनेश शर्मा, सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा सत्र के मुख्य वक्ता अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा श्री सतीश महाना एवं प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश विधान सभा को स्मृति चिह्न भेंट किया गया)

आभार

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :- छत्तीसगढ़ विधान सभा की षष्ठम् विधान सभा के नव निर्वाचित सदस्यों हेतु आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में इस प्रथम सत्र में उपस्थित उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष माननीय श्री सतीश महाना जी, मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी, सम्मानीय संसदीय कार्यमंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सम्माननीय सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सम्माननीय प्रमुख सचिव

और इस प्रबोधन कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित मंत्रिगण, सम्मानित सदस्यगण, इस प्रथम सत्र में हम सब के बीच सम्माननीय श्री सतीश महाना जी ने अपने बार के अनुभवों को हमारे सामने रखा, छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें बताईं । इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद् देती हूं और आभार व्यक्त करती हूं ।

(2:18 से 3:00 तक भोजनावकाश)

द्वितीय सत्र

उद्घोषक (श्री संजय दुबे) :- माननीय सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का प्रथम दिवस और द्वितीय सत्र में आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को सादर नमन करते हुए । आज के द्वितीय सत्र के मुख्य वक्ता मुख्य अतिथि माननीय डॉ. मनसुख मंडाविया जी, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत शासन हमारे बीच आ गए हैं । आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें ।

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से सादर आग्रह है कि माननीय केन्द्रीय मंत्री जी का स्वागत करें ।

(संसदीय कार्यमंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा मुख्य अतिथि महोदय श्री मनसुख एल. मंडाविया का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया)

(सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा श्री दिनेश शर्मा द्वारा माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख एल. मंडाविया का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया ।)

उद्घोषक :- सचिव, विधान सभा से यह आग्रह है कि वे इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन रखने की कृपा करें ।

सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- प्रबोधन कार्यक्रम के इस द्वितीय सत्र के सम्माननीय मुख्य वक्ता माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख भाई मंडाविया जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, माननीय मंत्रिगण, माननीय सदस्यगण एवं उपस्थित समस्तजनों का मैं अभिनंदन करता हूं । छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए आज अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि आप माननीय सदस्यगणों को संसदीय विषयों पर मार्गदर्शन देने के लिए माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, भारत शासन श्री मनसुख भाई मंडाविया जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है । माननीय मंडाविया जी का सुदीर्घ राजनीतिक जीवन रहा है । आपको देश के सबसे बड़े संसदीय सदन राज्यसभा में कार्य का अनुभव रहा

है । आप गुजरात विधान सभा के सदस्य भी रहे हैं । छत्तीसगढ़ विधान सभा की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं । आपने हमारा आमंत्रण स्वीकारा, इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूं । सदन के लिए निर्वाचित होकर आये हुए माननीय सदस्यों के लिए संसदीय परम्परा और प्रक्रियाओं के ज्ञान के लिए मुख्यत: तीन स्त्रोत हैं । प्रथम-संसदीय साहित्य का अध्ययन, दूसरा- अपने वरिष्ठ सदस्यों से मार्गदर्शन और तीसरा-सत्रकाल में सदन के अंदर अधिकतम उपस्थिति । आप सबके संसदीय ज्ञान में वृद्धि हो सके, इस दृष्टि से माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आपके मार्गदर्शन के लिए वरिष्ठ संसदविदों का आमंत्रित किया गया है । मुझे विश्वास है कि माननीय मंडाविया जी का आर्शीवचन तथा व्याख्यान आप सभी सदस्यों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा । मैं एक बार पुन: माननीय मंडाविया जी का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद।

उद्घोषक :- प्रबोधन के इस सत्र के प्रमुख वक्ता माननीय डॉ. मनसुख भाई मंडाविया जी से सादर अनुरोध है कि वे छत्तीसगढ़ की षष्टम विधान सभा के नवनिर्वाचित माननीय सदस्यगणों को पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के साथ संबोधित करने की कृपा करें ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार (श्री मनसुख एल. मंडाविया) द्वारा आशीर्वचन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार (श्री मनसुख एल. मंडाविया) :- छत्तीसगढ़ की विधानसभा के चुने हुए नए विधायकगण के प्रशिक्षण वर्ग में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी, संसदीय कार्यमंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, सभी उपस्थित मंत्रिमण्डल के सदस्यगण और विधायक भाइयों एवं बहनों ।

प्रशिक्षण जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है । सभी क्षेत्रों में जो व्यक्ति स्वयं सफल होना चाहते हैं या तो जो इस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं या इंस्टीट्यूट की कार्यप्रणाली का दुरूस्त करना चाहते हैं तो स्वयं हमेशा सीखने की आदत रखे, यह बहुत आवश्यक होता है । पानी भी एक ही जगह पर भरा रहता है तो उसमें से बदबू आनी चालू हो जाती है । जो बहते हैं, उसमें निर्मलता रहती है । बहते रहना यानि की सीखने रहना यानि की प्रशिक्षित होते रहना, प्रशिक्षण को जिन्होंने अपने जीवन का पाठ बना दिया हो, वह अपने स्वयं को तो सफल बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन जो इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट के लिए भी बहुत फायदा होगा । विधायक के रूप में आप सब लोग चुनकर आये हैं, मैं सबको बधाई देता हूं । एक बार जैसे आप विधान सभा में चुनकर आये हैं, वैसे ही मैं भी गुजरात विधान सभा में 25 साल पहले चुनकर आया था और उस वक्त हमारा प्रशिक्षण तीन दिन का हुआ था । तीन दिन के प्रशिक्षण में मोदी जी भी उपस्थित थे । शत-प्रतिशत, पूरे समय में मोदी जी प्रशिक्षण में उपस्थित रहकर हमारा मार्गदर्शन किया था । मुझे आज के दिन में भी भली-भांति याद है कि यह प्रशिक्षण मुझे अच्छा पार्लियामेंटियन बनाने में बहुत उपयोगी हुआ था । मैं मानता हूं कि आपका भी यह प्रशिक्षण, जो कई

विधायक नये चुनकर आये हैं, कई विधायक जिन्होंने विधान सभा में तीसरी, चौथीं, पांचवी, छठवीं टर्म तक काम किया हो, उसके पास अनुभव की कथा भी है और अतिरिक्त प्रशिक्षण से वह स्वयं को भी Enhancement कर पाएंगे ।

दोस्तों, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोकशाही शासन व्यवस्था में जनप्रतिनिधि का बहुत महत्व है और जनप्रतिनिधि का महत्व और बढ़ाने की जिम्मेवारी मैं मानता हूं कि हमारी है । हम जनप्रतिनिधि के रूप में सामाजिक जीवन में अपनी छवि कैसे खड़ी कर सकते हैं, उसके आधार पर सामाजिक जीवन में जनप्रतिनिधि को देखने का एक नजरिया बनता है और यह नजरिया बनाने के लिए हमारी कार्यप्रणाली क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेसी का क्या उद्देश्य है ? मैं मानता हूं कि हम सब लोगों को यह समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या है ? दोस्तों, इंडिया एक ऐसी *country* है, जहां दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, सदियों पुरानी Oldest and bestest Democracy its name is India. भारत एक ऐसा देश है, जिसके पास सबसे पुरानी और विश्व के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है । अभी हम जो डेमोक्रेसी का शब्द प्रयोग करते हैं, वह सामान्यत: ग्रीक वर्ल्ड से यूरोप ने डेमोक्रेसी शब्द दिया, लेकिन अंग्रेजी में भी डेमोक्रेसी कहां से आया ? वह ग्रीक से आया है । ग्रीक में Demos means peoples and Cracker means rules, Peoples का Rules, लोगों का Rules । हम कहते हैं कि । the people, By the people, for the people । लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों से चलने वाला शासन पद्धति डेमोक्रेसी है । डेमोक्रेसी में व्यक्ति का केन्द्र में होता है, जनप्रतिनिधि केन्द्र में होता है । बिना जनप्रतिनिधि हम डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं कर सकते हैं इसलिए कभी नहीं बोलना कि डेमोक्रेसी ऐसी हो गई है, जनप्रतिनिधि का स्तर गिर गया है । डेमोक्रेसी में एक चीज को मानकर चलना है कि डेमोक्रेसी कैसी होती है ? दोस्तों, जैसी सोसायटी होती है, ऐसी डेमोक्रेसी होती है । जैसी सोसायटी अल्टीमेटली हम लोग चुनकर आते हैं, लोग कहते हैं कि आफिसर बिगड़ गए हैं, लोग कहते हैं कि पालिटिशियन बिगड़ गए हैं । यह पालिटिशियन है, कहां से आया, आफिसर कहां से आया ? यह कोई हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा पड़ोसी है, हमारी सोसायटी का एक पार्ट है । यह हम में से ही आया हुआ व्यक्ति है । हमने जैसा भेजा है, वैसा आया है । चुनाव में चुनाव जीतने के लिए हम कौन सा रास्ता लेते हैं । जैसा चुनाव जीतने में हमें आवश्यक लगता है, वह रास्ता लेते हैं तो कई ऐसा रास्ता है, जो हम ले लेते हैं । उसे क्यों ले लेते हैं ? क्योंकि हमें जीतने के लिए यह रास्ता लेना आवश्यक होता है । यहां कई शब्दों का प्रयोग मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसे जनता की छवि यह हमारे डेमोक्रेसी में प्रतिबिम्बित होती है इसलिए जनप्रतिनिधि के रूप में हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम उसका स्तर कैसे बढ़ाएं इसलिए मैंने आपसे डेमोक्रेसी की बात की, तब डेमोक्रेसी का मूल्य क्या है, डेमोक्रेसी का सिस्टम क्या है ? डेमोक्रेसी का मूल्य है-Freedom, स्वतंत्रता, *Equality* । *Equality* means बराबरी का Freedom । हर व्यक्ति Democracy में अपनी बात रख सकते हैं । जनप्रतिनिधि भी आपने पार्लियामेंट में, असेम्बली में देखा होगा, आप कुछ भी बोलिए, आपके सामने एक्शन नहीं किया जाता

है, यह आपकी freedom है । वैसे ही democracy में कोई भी व्यक्ति अपनी बात को बोल सकता है ! दोस्तों, democracy equality का सबसे बड़ा example है । यहां सबको समान अधिकार की बात होती है । democracy एक ऐसी शासन व्यवस्था है कि एक गरीब घर में पैदा होकर, रेल्वे स्टेशन पर अपने पिताजी को सुबह में जाकर, जहां बड़नगर में सुबह एक ट्रेन आती थी, वहां मोदी जी के पिताजी की चाय की केतली होती थी, ट्रेन में जाकर चाय-चाय कहकर बेचने वाला एक सामान्य व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है । It's best example of democracy. दूसरा example है कि आपका साथी सदस्य ईश्वर साहू है, उन्होंने सहन किया है, उसकी कोई वजूद नहीं थी, सामान्य व्यक्ति था, उसके बेटे की हत्या हो जाती है, उसको कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन democracy की ताकत देखो कि आज ईश्वर साहू हमारे बीच में बैठे हैं, यह democracy की ताकत है । शासन व्यवस्था में Brotherhood या भातृत्व होनी चाहिये, जिसमें equality के साथ एक दूसरे को सहयोग करके भातृत्व भाव से आगे बढ़ने की opportunity हो, इसलिये हमारे सारे साहित्य और इतिहास यह बताते हैं कि democracy भारतीय लोगों के खून में है, यह हमारे blood में है । हमें कोई democracy सिखाने वाला नहीं है । दोस्तों, हम स्वंय दुनिया को democracy सिखा सकते हैं । यह देश की सोच, देश की जीवनशैली, देश की कार्यपद्धति, देश की सामाजिक रचना, देश के विरासत में मिले हुये संस्कार, हमने उसमें से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की हो तो हमें दुनिया में कोई और science ढूंढ़ने की आवश्यकता नहीं है । यह देश बहुत सामर्थ्यवान है, समृद्ध देश है । सवाल इतना ही है कि उसमें से क्या ग्रहण करते हो ? मैं अपना example देना चाहता हूँ । मैं गांव के सरकारी स्कूल में छठवी कक्षा में पढ़ता था, हमारे गुजरात में summer में जब हमारे किसान फ्री होते हैं तो महाभारत की कथा, रामजी की कथा बैठती है और उसमें बच्चों को फ्री भोजन देते हैं । स्कूल आते थे तो dish साथ लेकर आते थे, 12 बजे स्कूल पूरी होती थी और सीधे कथा स्थल पर पहुंचते थे, जहां हमें फ्री खाना मिलता था । तब लाडू मिलना बहुत बड़ी बात होती थी । मैं भी एक बार पहुंचा, लेकिन कथा चल रही थी, कथाकार कर्म का सिद्धान्त समझा रहे थे, वह कह रहे थे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसा बोल रहे थे कि आपका एकमात्र कतर्तव्य है कि निष्काम कर्म करना, मेहनत करना, commitment और dedication के साथ काम करना, जब आप commitment और dedication के साथ काम करोगे, निष्काम कर्म करोगे, फल मिलेंगे ही मिलेंगे । यह किसने कहा है ? इसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है । कब कहा है ? कुरूक्षेत्र के मैदान में, जब अर्जुन बैठ गया था, तब इसे श्री कृष्ण जी ने कहा था । वर्तमान समय में भी हम कहते हैं कि व्यक्ति अच्छा है, उन्होंने कहा है तो गलत नहीं बोलेगा ? हम वर्तमान समय में भी व्यक्ति पर भरोसा करते हैं । भगवान श्री कृष्ण ने स्वायं अपने मुख से अपनी बात कही हो तो वह कभी गलत नहीं होता । दोस्तों, बाल मानस में कर्म का सिद्धान्त है, जो बोले थे, उस वख्त तो मेरी समझ नहीं थी, लेकिन एक बात मेरे मन में बैठ गई कि हमें निष्काम मेंहनत करना चाहिये । यह इस संस्कार की ताकत है, एक छोटे से गरीब परिवार में पैदा होकर व्याक्ति भारत सरकार

के कैबिनेट में Health Minister बन सकता है, हमें अपनी शास्त्रों की विरासत से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिये । दोस्तों, covid crisis के दौरान मुझे याद है कि 24 मार्च को देश में लॉक डाऊन लगा था, 4 अप्रैल को मेरे बंगले में शाम के समय जब मैं घूम रहा था, बाहर जाने की तो इजाजत थी नहीं, मोदी जी का मुझे फोन आया । मोदी जी ने मुझसे कहा कि medicine की क्या स्थिति है, क्योंकि मैं farmaceutical विभाग भी देख रहा हूँ। मैंने कहा कि साहब, मैं आधे घंटे में बताता हूँ । मैंने आधे घण्टे में प्रधानमंत्री जी को reply back किया और कहा कि प्रधानमंत्री जी हमारे पास medicine की पर्याप्ता मात्रा में उपलब्धतता है, इसमें कोई चिन्ताक का कारण नहीं है । तब मोदी जी ने मुझे कहा कि ऐसा नहीं भाई, हम वसुधैव कुटुम्बकम की philosophy को मानने वाले हैं । हमें केवल देश की चिन्ता नहीं करनी है, हमें दुनिया की भी चिन्ता करनी है । मोदी जी का यह शब्द था कि आप लोग प्रबन्ध करो । देश की सभी farma company के साथ बातचीत करके लॉकडाऊन पास दे दो, प्रोडक्शन चालू कराओ, देश की जरूरतों को पूरा करो और दुनिया की भी मदद करो । दोस्तों, तब से मेरा दफ्तर चालू हुआ था । हम लोगों ने रात दिन काम किया है । नतीजा यह निकला कि विश्व के 150 देशों में हमने medicine उपलब्ध कराई है । 100 देशों में मोदी जी ने vaccine उपलब्ध कराई है । जर्मनी के Health Minister का मुझे कॉल आया कि We have no IG thromycin and Hidroxicloroquina. कृपया आप हमें मदद करिये, मैं आपको वेंटिलेटर देता हूँ । तब मैंने कहा था कि देश में हमें वेंटिलेटर की जरूरत है, लेकिन हम bargaining नहीं करेंगे । आप प्लेन भेजिये, हम आपको Hidroxicloroquina और IG thromycin भेजते हैं । crisis की स्थिति में देश में लॉकडाऊन चल रहा था, लेकिन 6 से 7 प्लेन हिन्दुस्तान की धरती पर केवल मेडिसिन लेने के लिये उतरते थे, लैंड होते थे । ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि यहां से प्लेन Hidroxicloroquina लेकर जा रहा है, भारत में हनुमान जी संजीवनी लेकर आये थे और लक्ष्मण का जीवन बचाया था, वैसे हमारे देश के नागरिकों की सेवा हिन्दुस्तान की medicine करेगी । 68 country Head ने मोदी जी को thank you कहा, कई लोगों ने ट्वीट किया, कई लोगों ने individual call किया, यह तो हो गया, लेकिन post covid के बाद जिन देशों ने भारत को मदद की थी, उसमें दो विशेषता रही है । हमने भी दुनिया से कई चीजें खरीदी थी, लेकिन जब हमने खरीदी तो कई चीजों का क्लेम आज भी चल रहा है । poor quality का मॉल आ गया, पैसा ज्यादा ले लिया । दोस्तों, हमने 150 देशों में मेडिसिन उपलब्ध कराई है । दुनिया में जब 15-16 डॉलर की vaccine मिल रही थी तो हमने 3 डॉलर में दुनिया को vaccine उपलब्ध कराई है । हिन्दुस्तान ने प्राईज नहीं बढ़ाया और क्वालिटी में bargaining नहीं किया, post covid का नतीजा यह निकला कि आज दुनिया को हिन्दुस्ताल में महंगी चीजें मिले तो भी India से खरीदनी है । India एक ऐसा देश है, जो हमेंशा दोस्ती निभाता है । जब हम संकट में थे तो India ने हमें मदद की थी, यह विपरीत परिस्थितियों में साथ में रहने वाला देश है । हमारे संस्कार ने यह सिखाया है । दोस्तों, democratic nature हमारा सदियों से है, हमारे ऋग्वेद में भी कहा गया है कि राजा स्थायी नहीं होता है, सभा उसे हटा

सकती है । महाभारत में जनपद का उल्लेख किया गया है, अत: हमें कोई democracy का ज्ञान देता है, तब हमें भारी लगता है । हम दुनिया को democracy सिखाने वाले लोग थे। मुझे याद है कि जब covid pick पर चल रहा था, तब एक country के बहुत बड़े advisor डॉ.फोसी जो अमेरिका के Health advisor है, हमारे चार-पांच राज्य के Health Minister की मींटिंग चल रही थी । तब उन्होंने कहा कि India को यह करना चाहिये, इंडोनेशिया को यह करना चाहिये, इस country को यह करना चाहिये, इंडोनेशिया को यह करना चाहिए, यह country को यह करना चाहिए। वह बात कर रहे थे। मुझसे जितना सहा गया मैंने सह लिया, फिर मैं भी नहीं सह पाया तो मैंने कहा कि Dr. Fauci now in today 5-6 thousand people dying in your country, जबकि आपकी country की population हमारी country से ढाई गुना कम है फिर भी आपके यहां 5,000 लोग मर रहे हैं। In my country only 4-5 hundred people dying. मेरे देश में 400 से 500 लोग ही मर रहे हैं। you are giving to advice to us. आप लोग हमें advice दे रहे हैं। why you are not implement in your country. आप आपके देश में उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं ? दोस्तों, देश में सामर्थ्य था, है और रहेगा। सवाल इतना ही था कि हमें हिम्मत के साथ उसको ढूंढकर बाहर लाने की आवश्यकता थी और उसका भी reason है। यह देश 2000 साल तक परतंत्र रहा है। कभी हमारे ऊपर हूणों ने शासन किया, कभी हमारे ऊपर शकों ने शासन किया, 1000 साल तक हमारे ऊपर आक्रांताओं ने शासन किया, 240 साल तक हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया। दोस्तों, 2000 साल की परतंत्रता के कारण जो हमारी क्षमता है, उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं । हमें एक बार पता लग जाये कि हम कर सकते हैं। मोदी जी ने कुछ ज्यादा नहीं किया है। आप देश में यह जो बदलाव देख रहे हैं, उन्होंने केवल देश को आईना दिखाया है कि आप कर सकते हैं।

मैं एक बार अमेरिका में Nasa गया था तो वहां सभी Scientist का परिचय हो रहा था। उसमें 10 लोगों का परिचय हुआ, जिसमें 3 लोगों ने मुझे नमस्कार कहा तो मैं समझ गया कि यह इंडियन लगते हैं। बाद में उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि not only in Nasa but you go to everywhere, आप दुनिया में कहीं भी, किसी भी research institute में जाईये, दोस्तों, 10 में से 3 research fellow इंडियन है। इस देश में यह ताकत है। इसलिये democratic system में हमें democratic दृष्टि से अपनी क्षमता को पहचानना है, हमें स्वयं को पहचानना है और एक democratic way से हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश को भी सशक्त करें और हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया को संदेश दें।

What is democracy ? Three part of democracy and one in Legislative Assembly. हमारी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि के रूप में विधान सभा के प्रति है। विधान सभा के सदस्य के रूप में विधान सभा को attend करना, विधान सभा के संचालन में भाग लेना, विधान सभा में गहन अभ्यास से

अपनी बात रखना, एक democracy का pillar है। democracy का दूसरा पार्ट है Judiciary. आप Jury के द्वारा देश में, Assembly में कानून बनाते हैं। इस कानून के विश्लेषण करने की जिम्मेदारी हमारी jury की है और तीसरा है, Executory. Execution, कारोबारी, Administration. jury and Legislation, Legislative Assembly, यह डेमोक्रेसी का तीन महत्वपूर्ण पार्ट है। इस पार्ट में हमारी क्या भूमिका है ? As a Legislature, as a विधायक, as a जनप्रतिनिधि, हमें अपनी स्वयं की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिये सहज रहने की बहुत आवश्यकता होती है। हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करेंगे ? विधान सभा के कार्यों में सहभागिता। दोस्तों, जनप्रतिनिधि के रूप में विधान सभा में कभी-भी session चालू हो तो आकर सिर्फ बैठ गये, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज Assembly का agenda क्या है, उसका अध्ययन होना चाहिए, क्या Questions पूछना है, यह हमें पता होना चाहिए। यदि हम मंत्री हैं, तो Questions का रिप्लाई हमें कैसे करना है, हमें उसका गहन अध्ययन होना चाहिए। हमें न ही केवल हमारे subject का पता हो, लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में और मंत्री के रूप में, यदि जब हम मंत्री हैं, तब holistic approach के साथ आपका नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह मेरा मंत्रालय नहीं है, मुझे नहीं पता है। मंत्री ऐसा नहीं कह सकता है, क्योंकि As a minister उसकी जिम्मेदारी collective होती है, सामूहिक होती है। विधान सभा सदन में हमारी सहभागिता अच्छी तरह से हो, यह बहुत आवश्यक होता है। एक जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका को अच्छी तरह से समझे। जनप्रतिनिधि की तीन भूमिकाएं होती है। जब हम जनता के बीच में होते हैं, तब हम लीडर होते हैं but जब आप democratic system में लीडर बनते हैं तब आप कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता है। आप जो भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता है, जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी की बैठक में, एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकलाप में होते हैं, तब आप कार्यकर्ता हैं। Mansukh Mandaviya as a Union minister but now today myself come in Assembly and public representative of Chhattisgarh Assembly. अब मेरी भूमिका अलग है। मैं जब अपनी पार्टी के दफ्तर में होता हूं तब मैं कार्यकर्ता हूं, लेकिन जब मैं जनता के बीच में जाता हूं तब मैं लीडर हूं और मैं जब सरकार की चेयर पर बैठा होता हूं, तब मैं executor हूं। मैं as a Minister की चेयर पर बैठकर जो behavior कर सकता हूं और मेरी जो शासन चलाने की पद्धति है, मैं यह पद्धति पार्टी की बैठक में उपयोग नहीं कर सकता हूं। जब मैं पार्टी की बैठक में जाता हूं तब मैं कार्यकर्ता हूं, लेकिन जब मैं जनता के बीच में जाता हूं तब मेरा दोनों में से एक भी व्यवहार उचित नहीं होता है। मैं जब जनता के बीच में हूं तब मैं लीडर हूं और मेरा व्यवहार जनता के अनुरूप होना चाहिए। इसलिये दोस्तों जनसंपर्क करना, लोगों के प्रश्नों को समझना, जनता के बीच में जाना, जितना आपका संपर्क बढ़ेगा, आपके दिमाग में कभी यह विचार नहीं होना चाहिए कि जनता ऐसी ही है, जनता नासमझ है, जनता को क्या पता, जनता को कैसे पता होता है। जी नहीं । दोस्तों, जो जनप्रतिनिधि ज्यादा से ज्यादा जनता को सुनने की आदत रखेगा, मैंने मोदी

जी के साथ 25 साल काम किया है। As a Chief Minister, मुझे पता है कि वह हर मंगलवार 1 बजे से शाम को 6-7 बजे तक, मतलब लगभग-लगभग 6-7 घण्टे जनता से मिलते थे। । ऐसा नहीं कि आकर मिल लिये, नमस्ते कर दिये, वह individual appointment के साथ मिलते थे। इस तरह मिलने से जनता में क्या चल रहा है, जनता की सोच क्या है, आपकी नीति का प्रतिबिंब जनता में क्या पड़ रहा है, आपकी सरकार के बारे में, आपके नेतृत्व के बारे में, आप जनप्रतिनिधि हैं तो जनप्रतिनिधि के बारे में जनता क्या सोचती है, जनता का Philosophical patience क्या है, उसकी क्या डिमाण्ड है, उसकी क्या अपेक्षाएं हैं ? हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा विश्लेषण कब होगा ? जब आप जनता से मिलेंगे तब होगा। इसलिये दोस्तों, एक जनप्रतिनिधि के लिये जनसंपर्क बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, आप विधायक हो, आप मिनिस्टर हो, आप कहीं भी हो, जिसका जनसंपर्क नहीं छूटता है, जनसंपर्क नहीं टूटता है, उसको democracy में कोई परास्त नहीं कर सकता है। चुनाव कभी हारा-जीता जा सकता है, वह समीकरण के आधार पर बन सकता है। लेकिन दोस्तों, जनता के साथ जिस व्यक्ति का जुड़ाव हो गया, उसकी लीडरशिप पक्की हो जाती है। मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक विधायक, जनसंपर्क के आधार पर एक अच्छा जनप्रतिनिधि बने ।

तीसरा, सरकारी कार्यों में शामिल होना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि आप विधायक के रूप में सरकार में जाते हैं। आप सरकार में कई कमेटियों में मेंबर बनेंगे। आप जब कमेटी में मेंबर बनते हैं तब एक कमेटी को अच्छी तरह से समझना होता है, यह सरकारी कमेटी होती है। इस कमेटी में जो भी विषय हो, Public Account Committee का मेम्बर हो, कोई खात्री कमेटी का मेंबर हो, कोई कागजात को टेबल पर रखने की कमेटी का मेंबर हो, असेंबली में ऐसी कई टाईप की कमेटी होती है। यह कमेटी सरकारी होती है और इन सरकारी कमेटियों में आपका अच्छा performance रहे, यह हमेशा मान के चलना। आप कोई भी काम करें, यह काम दिल से करना। आप जब कोई मीटिंग में जा रहे हैं तो मीटिंग में मेरा performance best होना चाहिए। मैं यहां आया, तो मैंने अपना presentation स्वयं बनाया, मुझे किसी ने बनाकर नहीं दिया है। मैंने सोचा कि मैं अपने जनप्रतिनिधियों के पास कौन-सी बात रखूं तो उनके लिए उपयोगी होगी और उसके लिए मुझे क्या बात रखनी चाहिए ? तो मैं बैठा, मैंने कागज पर बनाया, बनाकर मैंने आफिस में कहा कि उसे टाईप करके दो । मेरे आफिस की भूमिका केवल टाईप करने की है । अपना काम कोई कर देंगे, उसके ऊपर मत छोड़ना, हमारा काम हमें ही करना चाहिए । यानि की अध्ययन, अभ्यास हमें ही करना चाहिए । यह करने से दो फायदा हैं । पहला-आपके व्यक्तित्व का विकास होगा । अब व्यक्तित्व का विकास होगा तो जनप्रतिनिधि का विकास होगा, जनप्रतिनिधि अच्छा बनेगा तो सदन में अपनी बात अच्छे तरीके से रखेगा । दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कई जनप्रतिनिधि इतना तैयार होकर पार्लियामेंट में, असेम्बली में आते हैं । वह बोलने के लिए खड़े होते हैं तो लोग उसको सुनने के लिए रूक जाते हैं । मुझे पता है कि राज्यसभा में केरल से पी. राजीव नाम से

एक सांसद हुआ करते थे । वे पार्लियामेंट में बोलने के लिए खड़े हों तो हर बात को Rules and Regulation के साथ बोलते थे कि यह Parliamentary procedure में Rules number इतने पर यह बात लिखी है । आप जो बात कर रहे हैं, वह बात सही नहीं है । ऐसा करके जब वे बोलते थे तो मैं भी पार्लियामेंट में रूक जाता था, As a minister रूक जाता था कि राजीव ने बात कही है तो यह Rules and Regulation के मुताबिक ही होगी । वे अपनी छवि, अपनी छाप खड़ी सकते हैं इसलिए मैं मानता हूं कि हम सब लोग भी एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी बात को इस तरह से रखें। दूसरा, विधान सभा सदन के लिए हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए । मैंने आपको जो चार बिन्दु कहा कि विधान सभा के सदन के कार्यों में सहभागिता, जनसम्पर्क और लोगों के प्रश्नों के लिए, सरकारी कार्यों में शामिल होना, व्यक्तित्व का विकास होना । अभी मैं एक पहलू पर आता हूं कि विधान सभा सदन में हमारी उपस्थिति शत-प्रतिशत होनी चाहिए । मुझे पता नहीं है कि स्पीकर साहब, आपका सेशन पूरा हो गया हो या नहीं हुआ होगा । जो लोकसभा स्पीकर हैं, वे पहले राजस्थान में विधायक के रूप में थे और उनको दो बार बेस्ट विधायक का अवार्ड मिला है । उनकी विशेषता क्या थी ? वे पूरे समय सदन में उपस्थित रहते थे । एक घंटा भी वे सदन से बाहर हों, ऐसा कभी नहीं होता था । Time to Time assembly में उपस्थित रहना चाहिए, जब आप सदन में बात कर रहे हों, तब आप नियमों के आधार पर बात कर रहे हैं क्या, अध्यक्ष की रूलिंग को आप पढ़ते हैं क्या, संसदीय शब्दों का उपयोग करते हैं क्या ? यह बहुत मैटर करता है । बेस्ट पार्लियामेंटेरियन बनने के लिए आपका बेस्ट अध्ययन होना आवश्यक है । जब आप पार्लियामेंट में भाषण देते हैं तब या सार्वजनिक जीवन में भाषण देते हैं तब जनप्रतिनिधि को अच्छा वक्ता होना बहुत आवश्यक होता है और आप अच्छा भाषण दे सको, उसके लिए आपको कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए । आप अच्छा वक्ता बन सकते हैं । आप कभी यह मत मानिए कि यह विशेषता मुझमें नहीं है, यह मैं नहीं कर सकता । हम सब लोग सब कुछ कर सकते हैं । यहां बैठे हुए मेरे 90 विधायकों में यह क्षमता है । वे भी एक बेस्ट पार्लियामेंटेरियन बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, एक बेस्ट वक्ता भी बन सकते हैं, लेकिन आप जब बोलो, तब आपके भाषण में साहित्य का आधार होना चाहिए, आप ऐतिहासिक संदर्भ उसके साथ जोड़ सकते हो । उदाहरण के तौर पर बात कर सकते हो, आप कोई घटना के साथ आपकी बात जोड़ सकते हो, जब आप बात कर रहे हों तो वह तथ्यों के आधार पर हो और जब आप कोई बात कर रहे हैं तब राष्ट्रीय प्रवाह और वैश्विक प्रवाह के साथ उसको मैच करके आपने बात की हो, संदर्भ दिया हो, यह दुनिया में हो रहा है । यह देश में यह हो रहा है और हमारे देश में यह होने की आवश्यकता है । आप संदर्भ के आधार पर व्यंग्य और हास्य के आधार पर बात रख सकते हो क्या ? व्यंग्य कैसा होना चाहिए। व्यंग्य भी अपने पर हो, अपने स्वयं पर व्यंग्य हो । किसी के ऊपर व्यंग्य करने से कभी किसी को बुरा भी लग जाता है । व्यंग्य करते भी आपको पता होना चाहिए कि किसी को खलना नहीं चाहिए, इस प्रकार का व्यंग्य भी हो, हास्य भी हो । इस तरह की बात करनी

चाहिए। अभी उप राष्ट्रपति जी आएंगे । वे राज्यसभा के चेयरमेन होते हैं और मैं राज्यसभा में 12 साल से हूं । ऐसे व्यंग्य के साथ, हास्य के साथ बात रखने की विशेषज्ञता उप राष्ट्रपति जी में है । ऐसे लोगों को सुनते रहना । जब आप फ्री हों तब Youtube में जाकर वाजपेयी जी को सुनिए । देश के सफल महापुरूषों के जीवन चरित्र को पढ़ना, अध्ययन करना आपके जीवन को बदलेगा, आपके जीवन में उपयोगी होगा । वर्तमान समय में सोशल मीडिया के जमाने में हम Youtube पर उनके भाषण को सुनते रहते हैं। चन्द्रशेखर जी भाषण भी सुनने जैसा होता था । एक देहाती व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के रूप में, Parliament में Best Parliamentarian के रूप में उनकी बात रखने की जो शैली थी, वह आदर्श थी । जब आप विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में काम करेंगे तो समितियों में एजेन्डा को कैसे पूर्णता से पढ़ें, एजेंडा को समझकर जब आप बात करेंगे, समितियों में अच्छी तरह से बात रखने की आपकी आदत हो जाये । विधान सभा में अभ्यासपूर्ण बात, असेंम्बली में बात रखने की आपकी आदत बन जाएगी तो आप मंत्री ही हैं, ऐसा मानकर चलिए । अधिकारी पर इतना प्रभाव पड़ेगा। आपका कोई भी कॉल जाएगा तो अधिकारी को लगेगा कि यह बहुत अभ्यस्त विधायक जी हैं । वह अध्ययन के साथ बोलता होगा, आपकी बात को मानेंगे, Deny नहीं करेंगे । अगर आपकी आदत अच्छे अध्ययन की बनें तो छोटा-मोटा काम बिना मंत्री के पास जाने के अलावा भी यह काम Solve हो सकता है । जब विधान सभा में आप प्रश्न रख रहे हैं तो एकदम प्रभाविता से आपका प्रश्न हो, प्रश्न की भाषा भी शालीन हो, केवल प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछा गया है, ऐसा नहीं है । आपके पास प्रश्न की बैंक बनी हुई होनी चाहिए । चलो सत्र आया है और हम पांच प्रश्न लिख दें, ऐसा नहीं है । आप दिन-प्रतिदिन आपके प्रवास के दौरान, आपके अध्ययन के दरमियान आप जब सरकारी कचहरी में जाते हैं, उस दरमियान आपके मन में जो प्रश्न आये तो उसको लिखते जाना और प्रश्नों का एक बैंक बनानी चाहिए । जनप्रतिनिधि के रूप में एक ऐसी डायरी (डायरी दिखाते हुए) सभी को अपनी जेब में रखनी चाहिए । इस डायरी में बहुत बड़ी ताकत होती है । मोदी जी हमें कहते थे कि याददाश्त पर भरोसा मत करना, लिख लेना । आपके मन में कोई आईडिया आया, आपके मन में कोई सुझाव आया, आपके मन में कोई Query आई तो डायरी को Open करके जेब में से निकाली और लिख लिया । चलते-चलते भी लिख सकते हो, गाड़ी में बैठे-बैठे भी लिख सकते हो, किसी के आफिस में बैठे हो, वहां भी लिख सकते हो । बहुत सरल काम है । एक बार लिखने की आदत सबको लग जायेगी तो मैं मानता हूं कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगी । हम सब लोगों को यह करने की आवश्यकता होती है । एक विधायक की भूमिका में जनसंपर्क, जनविश्वास और जनप्रश्न हम सबकी आदत बन जानी चाहिए और आदत बनाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, हम कभी जनता के ऊपर नहीं हो सकते हैं । लोगों के सवालों की सही प्रस्तुति हम कैसे कर पाएं, बहुत आवश्यक होता है । जब हम अपने प्रश्न की प्रस्तुति कर रहे हैं, तब हमें ख्याल होना चाहिए कि हमें हमारा प्रश्न कहां रखना है । हम एक विधायक के रूप में कलेक्टर का प्रश्न सचिव के

पास जाकर नहीं रखते हैं न । सचिव को पूछने वाला प्रश्न असेम्बली में नहीं रखते हैं न । असेम्बली में पूछने वाला प्रश्न मुख्यमंत्री जी के पास जाकर नहीं बताते हैं न । आपके प्रश्न कौन से हैं, किस स्तर का प्रश्न है, यह प्रश्न कहां बताना है, एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमें भली-भांति पता होनी चाहिए । टारगेटेड प्रश्न होना चाहिए। कलेक्टर को पूछने का प्रश्न कलेक्टर को पूछना है । असेम्बली में पूछने वाला प्रश्न असेम्बली में पूछना है । मुख्यमंत्री जी के पास रखने वाला प्रश्न मुख्यमंत्री जी के पास रखना है । कौन सा प्रश्न आप कहां रख रहे हो, उसके ऊपर बहुत मैटर करती है । उसमें आपकी स्वयं की मैपिंग हो जाती है । कलेक्टर जैसे अधिकारी हैं और आप वहां जाकर कोई प्रश्न लेकर गए, उसके बस की बात ही नहीं है । जो प्रश्न आपको सीएम साहब के पास लेकर जाना है, काई पॉलिसी मैटर हो और पॉलिसी मैटर के बाद आप कलेक्टर के पास रखोगे, वह क्या कहेंगे ? चूंकि आप विधायक जी है, इसलिये कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपका मैपिंग उसके पास हो जाता है कि विधायक को पता नहीं है । यह decision मैं थोड़े ही कर सकता हूँ ? महतारी वंदन योजना का पैसा कब डालना है, यह तो मुख्यमंत्री ही तय कर पायेंगे । यह बात हमें वहां कहनी है, लेकिन जब कोई संकलन का question है । आपके गांव में एक छोटी सी नाली ठीक नहीं हो रही है, आपकी monthly collectorate meeting में R.N.B. के कोई आफिसर को व्हाया कलेक्टर बोल सकते हो कि नाली अच्छी हो जाये तो हमारी यह समस्या का समाधान हो सकता है । किसी का राशन कार्ड निकालने में कोई दिक्कत है, आप collectorate में जाकर question कर सकते हो, लेकिन कोई irrigation की योजना, State Government की permission मिलने के बाद में नहीं हो रही है, यह question हम कलेक्टर को नहीं पूछ सकते हैं, यह Secretery को जाकर पूछ सकते हैं । Secretery साहब यह मंजूरी मिलने के बाद भी उसकी tendering process क्यों slow चल रही है, यह उसको पूछने का क्वेश्चन है, हमारे मन में clarity होनी चाहिये कि हमें कौन सा question किसको पूछना है । हमारे जनसंपर्क के बारे में मैंने बता दिया है । दोस्तों, वर्तमान समय Social Media मीडिया का समय है, Social Media जनसंपर्क का बहुत बड़ा सेतु बन सकता है और इसलिये Social Media का प्रयोग हम कैसे करें, मैं मानता हूँ कि एक बार संसदीय कार्यमंत्री जी अलग से Social Media पर ही, जब session चलता हो तब, एक घण्टे का अलग से session रखे । जब recess होती है, तब रखें । Social Media के बारे में जहां तक मैं समझता हूँ कि हर दिन आप Social Media का प्रयोग नहीं कर पायेंगे, लेकिन आपका सहायक, वह trend होना चाहिये ताकि आपकी केवल बात ही हम Social Media से कहें, ऐसा नहीं है । Social Media में जो cumment आ रहे हैं, इस cumment का विश्लेषण करके हम जनता के संपर्क में या जनता की समस्याओं को संभाल सकते हैं । दोस्तों, जनप्रतिनिधियों के लिये कार्यालय का बहुत बड़ा महत्व होता है । आपके विधान सभा क्षेत्र में स्वयं का कार्यालय हो और कार्यालय में बैठने वाले व्यक्ति की पसंदगी सबसे बहुत महत्वपूर्ण होती है, मैं मानता हूँ और समझता भी हूँ । मेरा भी कार्यालय है । हम कार्यालय पर जनप्रतिनिधि के रूप में 24 घण्टे नहीं बैठ पायेंगे, लेकिन behalf of us,

हमारे द्वारा प्रतिनिधि के रूप में हमारा कार्यालय मंत्री, कार्यालय का हमारा सहायक, वह बैठेंगे । दोस्तों, वह शालीन होना चाहिये । आपको कार्यालय मंत्री के बारे में कोई बताये तो उसको गौर से सुनना चाहिये । मैं आपके कार्यालय पर गया था, ध्यान नहीं दिया गया, हमें इग्नोर मत करना । क्या ध्यान नहीं दिया, उसको पूछ लेना । उसमें से आपको उचित लगे तो आपके कार्यालय के संभालने वाले व्यक्ति पर नजर भी रखना । मुझे मेरे कार्यालय को ठीक करने में 2 साल लगा था । मेरे कार्यालय के बारे में लगातार question करते थे, यह जरूरी नहीं है कि हमारे सहायक को डांट दे, लेकिन हम उसको trend करें कि हम जनप्रतिनिधि हैं । हमारे पास तो सभी question आयेंगे । सभी विषय के question आयेंगे । यह मेरा काम नहीं है, यह मंत्री जी का काम है, यह आपको सी.एम. को कहना चाहिये, हमारा जवाब नहीं हो सकता है, जी । हम जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने हमें वोट दिया है । वह अपनी बात अवश्य रखेंगे, लेकिन जब अपनी बात रखें तब राईटिंग में हमेंशा ले लेना । हमें कभी उसको casual जवाब नहीं देना है । मेंरा आग्रह है कि सप्ताह में एक या दो दिन कार्यालय में बैठने के लिये निश्चित करना चाहिये । मैंने एक शैली develop की थी कि because myself my assembly constituency was 250 kilometer far from or capital Gujrat. दोस्तों, 50 किलोमीटर दूर थी, मैं Monday, Tuesday गांधी नगर रहता था, Wednesday early morning निकलकर 9 बजे सीधा कार्यालय पहुंचता था । 9 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालय में बैठता था । हर कोई लोगों को पता था कि विधायक जी को मिलना है तो आप 10 बजे उसके कार्यालय पर बुधवार को पहुंच जाओ और लोग पहुंच जाते थे । वैसे ही आपके विधान सभा क्षेत्र में एक छवि बन जानी चाहिये कि विधायक जी के लिये जो भी काम है, आपको सुविधा हो तो इस तारीख को अवश्य कार्यालय पर मिलेंगे । जब writing में आप उनकी बात ले ली हो, जब गाड़ी में बैठे हो, capital पर आ रहे हो, उसको details अध्ययन कर लेना। अध्ययन करके कि काम का कितना letter है, नहीं काम का कितना letter है, उसको अलग करके एक आदत बने तो बहुत अच्छा है । उसको call करके reply देना । जब वह letter दे तो कहना कि आप अपना Mobile Number लिख दीजिए । इससे उसको इतना अच्छा लगेगा, हमारे जनप्रतिनिधि ने हमें कॉल किया है, उसका काम हुआ या नहीं हुआ, कोई मायने नहीं रखेगा । उससे काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने मेरा पत्र जाने के बाद, मिलकर आने के बाद, एक सप्ताह के बाद कॉल किया । दोस्तों, आपके विधान सभा क्षेत्र में किसी के यहां लग्न हो, किसी के परिवार में मृत्यु हुआ हो, लग्न और मृत्यु के समय पर, एक ऐसी घटना होती है, मैं आज के दिन में भी, दो टर्म में राज्य सभा में होने के बावजूद भी, सुबह के समय में, उसमें से कई लोग मेरे निवास पर आये हैं, मेरे साथ कई लोगों ने breakfast भी किया है । न्यूज पेपर में मृत्यु न्यूज आती है, उसकी सूची मोबाईल नंबर के साथ मेरे पास आ जाती है । मैं सुबह में पहला काम, 10 मिनट, 15 मिनट, 4-5 लोगों को कॉल कर देता हूँ । अरे रमेंश भाई, पिताजी का निधन हो गया । मैंने कल ही न्यूज में देखा । बहुत दु:खद घटना हुई । क्या हुआ था ? मैं बोलता हूँ कि इस सृष्टि में जिसका

श्वांस जितना तय हुआ है, उतना ही ले सकता है । हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं । जो ईश्वर को उचित लगा है, वह किया । ऐसा करके दो सॉत्वना के शब्द बोल देता हूँ । दोस्तों, वह जीवन भर आपको नहीं भूलेगा । एक सप्ताह तक उसका फायदा होता है । जो लोग वहां मिलने के लिये आयेंगे, वह बोलेगा कि हमारे विधायक जी का कॉल आ गया । विधायक जी का सेशन चल रहा है, यहां नहीं थे, लेकिन मार्निंग सुबह उसका कॉल आ गया और एक पीछे से आपका लेटर चला जाये । यह कम्युनिकेशन का एक तरीका है । जनता से जुड़ने का एक तरीका है । यह छोटी-छोटी बातें आपको सफल जनप्रतिनिधि बना सकती है और लॉस्ट में मेरे ख्याल से सरकारी कार्य में शामिल होना, सरकारी समिति में आपको नियमित उपस्थित रहना हो, समितियां महज औपचारिकता बनकर न रह जाये, यह देखना विधायक की जिम्मेदारी है । एजेन्डा का पूरा अध्ययन करके जाना आवश्यक है । समिति में उचित प्रश्न पूछना आवश्यक होता है । सरकारी कार्यों में कानूनों और नियमों का हवाला देते हुये आपकी प्रस्तुतिकरण हो, यह आवश्यक है । अभ्यावेदन उचित प्राधिकारी को ही दिये तो उसका मतलब है । लिखे गये पत्रों का उचित रिकार्ड आपके पास होना बहुत आवश्यक होता है । लोग आकर, चिट्ठी देकर चले गये, इ्यूरिंग इलेक्शन तीन महीने आप लोगों के बीच में था । उसमें मेरी पार्टी के लोग होंगे, कांग्रेस पार्टी के भी लोग होंगे, लेकिन मेरी पार्टी के लोग पॉलिटिकल काम से भी मुझे मिलने आये हैं और कोई कागज देकर गये, मेरा अवश्य उसको रिप्लाई गया है । writing में नहीं, मुझे उचित लगा तो मैंने कहा था कि Nurising Colleg के एडमिशन के लिये एक महीना बढ़ा देना है, मेरा कॉल आया होगा कि एक महीने बढ़ गया है । यह जब रिकार्ड होंगे, तब आप उसको रिप्लाई दे पायेंगे । रिकार्ड रखना, यह बहुत आवश्यक होता है । जब आप सरकारी कार्यालय में शामिल होते हैं तो तर्क और कानून के दायरे में ही अपना लेटर होना चाहिये । अनाप-शनाप लेटर लिखने से कोई फायदा नहीं होता है । लास्ट में आपका स्वयं का विकास एक विधायक के रूप में व्यक्तित्व का निरंतर विकास करना बहुत अनिवार्य होता है और इसीलिये व्यक्तित्व विकास के लिये क्या करना चाहिए ? नियमित अध्ययन करना चाहिए। हमको सुबह उठकर न्यूज पेपर पढ़ लेना चाहिए। यह हमें करेंट अफेयर्स से inform करता है। अच्छी किताबें पढ़ना, सरकारी कानून को पढ़ना, सरकारी परिपत्र को पढ़ना। दोस्तों, मैं एक अगत्य की बात भी रख देता हूं कि आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता भी स्वयं करनी है। आप जनप्रतिनिधि है ना। आप पानी मांगेंगे तो लोग milk लेकर आयेंगे। सत्ता में बहुत शक्ति होती है, सत्ता में सामर्थ्य होता है। ऐसी स्थिति में अनाप-शनाप न खाना, अपने स्वयं के हेल्थ की चिंता करना, समय पर विश्राम करना, चीजों को याद रखना, यह सब हम स्वयं करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें फायदा होगा। वैसे ही हमें विधायक के रूप में स्वयं की गरिमा को बनाये रखना है, जो मैंने पहले कहा था। विधायक की गरिमा एक व्यक्ति की नहीं होती है, एक व्यक्ति जब नीचे जाकर व्यवहार करता है तो विधायक ने व्यवहार किया है, ऐसा माना जाता है इसलिए विधायक की गरिमा बढ़े, इसलिये उचित व्यवहार करें। हमारा शब्दों का प्रयोग संस्कारित हो, un

Parliamentary न हो। सदन में या बाहर हमारा prosocial behavior हो। इस तरह का व्यवहार करके हम अपने व्यक्तित्व का विकास भी कर पायेंगे, हम सारे जनप्रतिनिधियों की गरिमा भी बढ़ा पायेंगे और हम अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में समाज में एक अच्छी छवि भी बना सकते हैं।

मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरे सभी जनप्रतिनिधि अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल रहे, हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखें। छत्तीसगढ़ की विधान सभा में आपके व्यक्तित्व की बात सालों तक रहे। आपके उठाये गये questions, आपके किये हुए behavior भविष्य में आने वाले विधायकों को example के रूप में हमेशा दिया जाये। ऐसे गरिमापूर्ण व्यवहार के आधार पर आपका व्यक्तित्व बने। इसी के साथ आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। लगभग-लगभग एक घण्टा होने को आ गया है। आप सब लोगों ने मुझे अच्छी तरह से सुना। आपका और मेरा संपर्क भविष्य में भी इसी तरह से बना रहे। हम समय-समय पर बात करते रहेंगे। लेकिन आज केवल इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग सफल रहे, अच्छे जनप्रतिनिधि बनें और छत्तीसगढ़ की सेवा करें। धन्यवाद्।

(मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री बृजमोहन अगव्राल द्वारा मुख्य अतिथि, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख एल. मंडाविया का शॉल, श्रीफल से सम्मान किया गया एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया गया)

आभार

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- आज हम सब का सौभाग्य है कि अपने कर्म क्षेत्र में सफलता के साथ काम करने वाले और कोरोना जैसी महामारी में मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे विश्व में भारत को एक स्थान दिलाने वाले देश के स्वास्थ्य मंत्री, श्री मनसुख भाई मंडाविया जी का बहुत प्रेरेक उद्बोधन हम सब को मिला है। हम उनके प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने सिर्फ प्रेरक उद्बोधन नहीं दिया, हमको अपने जीवन में किस प्रकार से किन-किन लोगों से प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने सार्वजनिक जीवन में कैसे अच्छे लीडर बन सकते हैं, हम कैसे अच्छे कार्यकर्ता बन सकते हैं और हम कैसे जनता के प्रतिनिधि बन सकते हैं, उन्होंने यह बात हमको बताई। उनका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हम सब के लिये अनुकरणीय होगा। मैं उनका आप सब की तरफ से, छत्तीसगढ़ विधान सभा की तरफ से, विधान सभा अध्यक्ष जी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और सरकार की तरफ से बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपका बारंबार आभार कि आपने हम सबको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया

है और अपने अनुभव के आधार पर दिया है। यह हम सब के लिये सीखने के लायक होगा। आपका पुन: आभार। धन्यवाद्। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।

(समय 03.56 बजे द्वितीय सत्र का समापन हुआ)

(तृतीय सत्र हेतु माननीय उप राष्ट्रपति महोदय के आगमन की प्रतीक्षा की गई।)

तृतीय सत्र

(भारत के माननीय उप राष्ट्रपति जी का आगमन एवं उनका स्वागत)

उद्घोषक (श्री संजय दुबे) :- छत्तीसगढ़ की षष्टम विधान सभा के नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम के प्रथम दिवस के तृतीय सत्र के सम्माननीय मुख्य अतिथि माननीय उप राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, माननीय मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय जी), माननीय उप मुख्यमंत्री (श्री अरूण साव जी), माननीय नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत जी), माननीय संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल जी) आप सभी मंचासीन अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। सर्व प्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह है कि वे माननीय उप राष्ट्रपति जी का स्वागत करें।

(माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत, संसदीय कार्यमंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा श्री सतीश महाना द्वारा श्री जगदीप धनखड़ उप राष्ट्रपति महोदय जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया)

(सचिव, छत्तीसगढ़ विधान श्री दिनेश शर्मा द्वारा मंचासीन अतिथि माननीय उप राष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा डॉ. चरण दास महंत, संसदीय कार्य मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, महासचिव राज्य सभा श्री पी. सी. मोदी एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा श्री सतीश महाना का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया)

उद्घोषक :- श्री दिनेश शर्मा छत्तीसगढ़ विधान सभा से आग्रह है कि वे स्वागत उद्बोधन रखने की कृपा करें।

सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उप राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत जी, श्री सतीश महाना जी, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा, माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी संसदीय कार्य मंत्री, माननीय श्री पी.सी. मोदी जी महासचिव राज्यसभा, माननीय मंत्रीगण, माननीय सदस्यगण एवं अन्य उपस्थित सभी माननीय, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। माननीय उप राष्ट्रपति जी छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए अत्यन्त हर्ष और गौरव का विषय है कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और हमें आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं छत्तीसगढ़ विधान सभा की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्य अतिथि जी इस विधान सभा के वर्तमान माननीय अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह जी पूर्व में छत्तीसगढ़ विधान सभा में तीन बार सदन के नेता रहे हैं। उनके सुदीर्घ संसदीय ज्ञान और राजनैतिक अनुभव से छत्तीसगढ़ विधान सभा लाभान्वित हो रही है। हमें विश्वास है कि हम उनके मार्गदर्शन में संसदीय परम्पराओं और प्रक्रियाओं के परिपालन की दिशा में नूतन कीर्तिमानों को स्थापित कर पाने में सफल होंगे। माननीय महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए यह उपलब्धि और गर्व का विषय है कि विधान सभा ने अपने लघु संसदीय यात्रा में नये संसदीय मानकों को स्थापित किया है। सदन में स्वमेव निलंबन जैसा नियम इसका एक उदाहरण है। छत्तीसगढ़ विधान सभा की यह भी उपलब्धि है कि प्रथम विधान सभा से लेकर वर्तमान षष्टम विधान सभा तक के कार्यकाल में सत्र की कार्यवाही के दौरान कभी भी मार्शल का उपयोग नहीं हुआ है। माननीय महोदय, मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ विधान सभा ने 24 वर्षों की अपनी संसदीय यात्रा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक नई पहचान बनायी है। हमारी विधान सभा में वर्ष 2005 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों एवं विधायी निकायों के सचिवों का सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया। वहीं वर्ष 2010 में राष्ट्रकुल संसदीय संघ के एशिया इण्डिया रिजन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हमारी विधान सभा में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। माननीय महोदय, आपका सुदीर्घ राजनैतिक अनुभव और संसदीय ज्ञान हम सब के लिए प्रेरणाकारी है। आपके उद्बोधन से छत्तीसगढ़ विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्य ही नहीं, अपितु वरिष्ठ सदस्य भी लाभान्वित होंगे। माननीय महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विधान सभा की ओर से आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सम्मान को बढ़ाया है। मैं पुन: आपका कोटि-कोटि अभिनंदन करते हुए, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद्।

उद्घोषक :- डॉ. चरणदास महंत, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से सादर आग्रह है कि आयोजन के परिप्रेक्ष्य में अपने विचारों से अनुग्रहित करने की कृपा करें।

नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा (डॉ. चरणदास महंत) :- परम आदरणीय आज की सभा के मुख्य अतिथि देश के उप राष्ट्रपति महोदय। इस प्रबोधन कार्यक्रम में हमारे अध्यक्ष महोदय डॉ. रमन सिंह जी अस्वस्थता के कारण नहीं आए हैं। यहां आदरणीय विष्णु देव साय जी यहां उपस्थित हैं। आदरणीय सतीश महाना जी, आदरणीय अरूण साव भाई, बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय दिनेश शर्मा जी, आदरणीय मोदी जी। आदरणीय धनखड़ साहब, हमारे उप राष्ट्रपति जी कभी हमारे नवनिर्वाचित विधायकों को संबोधन करने आएंगे, हमने यह सोचा नहीं था। आपका आना आश्चर्य मिश्रित सत्य भी कह सकता हूँ और एक सुखद अनुभव तो हो ही रहा है। मगर हम लोग इनकी किस्मत को क्या कहूं, मैं यह नहीं कह सकता, यह हमारे नये विधायकों का सौभाग्य है कि आप यहां इस प्रबोधन कार्यक्रम में पधारे। मैं देख रहा हूँ। मैं, पिछली बार यहां विधान सभा का अध्यक्ष था तब से मैं आपको टी.वी. पर देखता था। आप हंसते-हंसते बहुत कुछ सीखा जाते थे और बातों-बातों में ही कुछ दे जाते थे। आप आपके उन सब गुणों, आपकी विधि में विशेषज्ञता, आपके द्वारा संपादित परम्पराओं का हम लोग आनंद लेंगे। यहां बहुत से मंत्रिगण उपस्थित हैं। हमारे विधायक लोग हैं पूर्व अध्यक्ष श्री धरम लाल कौशिक जी हैं। हमारे श्री अमर अग्रवाल जी, श्री अजय चन्द्राकर जी, श्री राजेश मूणत भाई, सुश्री लता जी हैं। हमारे बहुत सारे सीनियर मिनिस्टर अनिला भेंडिया जी हैं। निश्चित रूप से इन सब को खुशी हो रही होगी। आप बातों-बातों में बहुत कुछ कह जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पुष्प दिया, मैंने आपका स्वागत किया तो आपने कहा कि आप मेरे राईट आईये, मैं आपको बताऊंगा कि मैं यह क्यों बोल रहा हूँ। हम लोग जानना चाहूंगे कि आपने मुझे राईट में आने के लिए क्यों कहा? क्योंकि आज हम लोगों को यह राईट और लैफ्ट की बातें बहुत संकट में डाल रही है कि यहां कौन राईट है और कौन लैफ्ट है? पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी सभा में नहीं आये थे तो उनकी कुर्सी में माननीय अरूण साय जी को बिठा दिया था। अभी वह आ गये हैं तो मुझे दोनों के बीच में बिठा दिया। इन बातों पर भी आप ध्यान देंगे। आपने जितने सलीके से यहां वृक्षारोपण किया है। आपने उसमें पानी देने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री सबका हाथ आप अपने हाथ में लिये हैं। आपने जिस ढंग से सबको लेकर चलने की जो सीख दी है, वह चलते-चलते भी हम सबके लिए बहुत बड़ी सीख है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। आप हमारे छत्तीसगढ़ में आये। जैसे कि आप जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़ रामलला जी का ननिहाल है। हम लोग उनको भांजा भी कहते हैं। हमको खुशी होती है। छत्तीसगढ़ में उसी परंपरा के नाते छत्तीसगढ़ में अपने भांजा का पांव छूते हैं। शायद बाहर के लोग नहीं छूते होंगे। इस तरह की हमारे यहां की संस्कृति, परंपरा की एक अलग मिसाल है। आप कुछ देर के लिये यहां आये हैं, आपको अच्छा लगा होगा। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम आपको प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिन्द।

उद्घोषक :- माननीय श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन से सादर आग्रह है कि कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार रखने की कृपा करें।

उप मुख्यमंत्री (श्री अरूण साव) :- देश के माननीय उप-राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत जी, संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव श्री दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा के महासचिव श्री पी.सी. मोदी जी, प्रबोधन कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सभी सम्माननीय सदस्यगण। देश के ख्यातिलब्ध विधिवेत्ता कुशल प्रशासक और जिनको प्रशासनिक कार्य का लंबा अनुभव है, ऐसे अत्यंत विद्वान माननीय उप-राष्ट्रपति को अपने बीच पाकर हम सभी आलहादित हैं। निश्चित रूप से उनके अनुभव, ज्ञान का लाभ हम जैसे सदस्यों को प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ महतारी की इस पावन धरती में भगवान राम के ननिहाल में और प्रकृति ने जिस प्रदेश को अपार संपदा दी है, ऐसे सीधे-साधे, भोले-भाले ईमानदार, मेहनती लोगों के इस प्रदेश में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से आपका आना हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। आपके बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्यान का हम सबको बेसब्री से इंतजार है। आपका पुन: अभिनंदन, स्वागत। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।

उद्घोषक :- माननीय श्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ से सादर आग्रह है कि कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में अपने विचारों से हमें अनुगृहित करने की कृपा करें।

मुख्यमंत्री, (श्री विष्णुदेव साय) :- छठवें छत्तीसगढ़ विधान सभा के नवनिर्वाचित विधायकों के इस 02 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में आज के सत्र में हम लोगों के बीच विराजमान, जिनका आशीर्वचन, मार्गदर्शन हम सभी लोगों को मिलेगा। वह अनेक पदों पर रहें, अनेक अनुभवों से तरबतर हमारे देश के सम्माननीय उप-राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, हमारे उप-मुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत जी, माननीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा श्री सतीश महाना जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, राज्य सभा के महासचिव श्री पी.सी. मोदी जी, हमारे विधान सभा के सचिव, सभी मंत्रीगण, विधायक साथीगण। निश्चित रूप से यह जो दो दिवसीय प्रबोधन का कार्यक्रम है, हम सभी विधायकों को संसदीय कार्य प्रणाली सीखने में मददगार होगा। आज के इस सत्र में हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे देश के उप-राष्ट्रपति हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे। मैं आदरणीय उप-राष्ट्रपति जी को अवगत कराना चाहूंगा कि इस छठवीं विधान सभा में 90 में से 50 विधायक पहली बार चुनकर आये हैं। बाकी कई-कई बार के अनुभवी विधायक भी हैं जो मंत्री भी रहे हैं। 5 विधान सभाओं में हमारे जो भी विधायक निर्वाचित हुए हैं सबने एक आदर्श स्थापित किया है। संसदीय कार्य प्रणाली की उच्च परंपरा कायम की है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस छठवीं विधान सभा में भी हमारे कई सीनियर अनुभवी विधायकगण चुनकर आये हैं, उनके अनुभवों का भी लाभ होगा। यह प्रबोधन का कार्यक्रम जो पहली बार

चुनकर आये हैं, उनको तो बहुत ही फायदा देगा ही देगा, लेकिन हमारे पुराने विधायकों का भी यह रिनुअल हो जायेगा। यह प्रबोधन कार्यक्रम से हमारे छत्तीसगढ़ विधान सभा में संसदीय कार्य प्रणाली का जो उच्च स्तर पिछले 5 विधान सभा में रहा है, छठवीं विधानसभा में भी कायम रहेगा। यह दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम सफल हो। हम सभी लोगों को जिस अपेक्षा के साथ लोगों ने छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने के लिए चुनकर भेजा है और जिन लोगों ने भी चुनकर भेजा है उनके आशा और विश्वास में खरा उतरने का और वह सब को हम लोग पूरा कर पाने में सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं हमारे उप-राष्ट्रपति जी को पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से उनके आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

उद्घोषक :- प्रबोधन कार्यक्रम के तृतीय सत्र के मुख्य अतिथि भारत के उप-राष्ट्रपति महोदय जी से सादर आग्रह है कि वे अपने आशीर्वचन से हमें अनुगृहित करने की कृपा करें।

माननीय उप-राष्ट्रपति (श्री जगदीप धनखड़) द्वारा आशीर्वचन

उप-राष्ट्रपति (श्री जगदीप धनखड़) :- नमस्कार। यह पहली कार्यक्रम है जिसमें मुझे 15 मिनट पहले बोलने का सुअवसर मिला है। इसका मतलब है कि time can be monetized here. माननीय अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह जी दिल्ली आये थे। मेरे से चर्चा की, मुझे आमंत्रण दिया। समय में थोड़ा बदलाव करना था, टेलीफोन पर कर सकते थे, फिर भी उन्होंने मुझे आकर कहा। उनसे मेरी बात हुई। वह स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ पाये। मैं आभारी हूं कि उनका पूरा परिवार आज मेरे से संपर्क कर चुका है। उनके पुत्र, पूर्व सांसद एयरपोर्ट पर थे। उनकी धर्मपत्नी, उनकी पुत्रवधु राजभवन में आईं। शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है जिसका ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उनकी अनुपस्थिति जिस वजह से है, आप सब जानते हैं, पर मैं उनको यहां विद्यमान मान रहा हूँ। वह एक अनुभवी राजनेता रहे हैं। उन्होंने प्रांत को नेतृत्व दिया है और एक लंबी राजनीतिक पारी खेली हैं। Shri Vishnu Deo Sai ji, Hon'ble Chief Minister of Chhattisgarh. डॉ. चरण दास जी ने कहा कि यह स्थान ही ऐसा है तो मैं दो बात कहूंगा। पहला, माता कौशल्या जी का यहां से गहरा लगाव है। श्री विष्णु देव साय जी के सास, ससुर बहुत ही दूरदृष्टि रखते थे। उन्होंने अपनी बेटी का नाम कौशल्या रखा और इनसे बंधन बनाया। समय ज्यादा है इसलिए मैं थोड़ा समय लूंगा। दूसरा, एक पुरानी कहावत है। एक बिमार व्यक्ति बड़ा परेशान था तो डॉक्टर आया और पूछा कि आप परेशान क्यों हैं तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा पहला ऑपरेशन होने जा रहा है तो डॉक्टर ने कहा कि मैं आपका ऑपरेशन करूंगा और मैं भी पहली बार ही ऑपरेशन कर रहा हूं, लेकिन मैं तो परेशान नहीं हूं। (हंसी) तो विष्णु देव साय जी निश्चित रूप से अच्छे सर्जन होंगे। इसमें मेरे मन में कोई शंका नहीं है। Shri Arun sao ji, Hon'ble Deputy Chief Minister of Chhattisgarh. आज मुझे दो लोगों का साक्षात्कार हो गया है। एक तो पूर्व राज्य सभा सदस्य और एक पूर्व लोक सभा सदस्य। Lok sabha of

the parliament is gain of chhattisgarh assembly. इसमें मेरे मन में कोई शंका नहीं है। डॉ. चरण दास महंत जी ने कहा है। पहले तो मैं सदन के नेता को कह दूं कि यदि कोई प्रतिपक्ष का नेता पहले विधान सभा अध्यक्ष रहा हुआ है तो सदन के नेता को इससे बड़ी चुनौती नहीं हो सकती। डॉ. चरण दास महंत बहुत बड़ी चुनौती देंगे, पर मैं मान कर चलता हूं कि मेरी बातों को भी गौर करेंगे, चुनौती सकारात्मक होगी, नियम-सम्मत होगी और हर समय वह याद करते रहेंगे कि मैं विधान सभा का अध्यक्ष था। कौन Right है और कौन Left है, यह आपने प्रश्न किया है। कौन Left- Right करा रहा है, यह मैं आप पर सोचता हूं। यह भी आज के काल में होता-रहता है। जब मैं by virtue of the vice president of the country राज्य सभा का सभापति बना। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो प्रतिपक्ष के सदन के नेता हैं। उनका बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है। शायद ऐसे बहुत कम लोग देश में हैं, जो एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और राज्य सभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। उन्होंने कहा कि आप बार-बार Right में क्यों देखते हैं? उधर तो सरकार बैठती है। आप भी जानते हैं। आप अध्यक्ष रहे हुए हैं। (नेता प्रतिपक्ष, डॉ. चरण दास महंत की ओर इशारा करते हुए) मैंने कहा कि मेरा दिल तो Left में है तो उन्होंने कहा मोहब्बत हमसे, शादी उनसे। (हंसी) मैंने आज डॉ. चरण दास महंत से कहा कि Right का रिश्ता करें, Left के चक्कर में क्यों पड़ें। (हंसी) मैं कामना करता हूं कि डॉ. चरण दास महंत Right करें या Left करें, पर सरकार को Right और Left न करें। आप पूरा सहयोग दें। श्री बृजमोहन अग्रवाल जी पुराने नेता हैं। वह संसदीय कार्य मंत्री हैं। जब मैं वर्ष 1989 में लोक सभा का सदस्य बना तब मैं केन्द्र में मंत्री बना। मेरा मंत्रालय Parliamentary affairs था। मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें कौन से affairs होते हैं। India Today ने एक कोट दिया, जिसमें मैंने कहा कि Even my post graduate wife can not figure out that what is mean of parliamentary affairs. Now she is a doctorate. So I hope she can figure out. तो इस वजह से हमारा नाता है। मैं आपको यह बताना चाहता चाहूंगा कि रायपुर से बिलासपुर वाली जो सड़क है, वह सिंगल लेन थी, डबल लेन थी। वह देरी से बनी और फोर लेन सड़क बनी। मैं उसमें चला हूं। मैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में शायद सौ दफा से ज्यादा वकील की हैसियत से आया हूं, पर यह बात डॉ. चरण दास महंत जी से छूट गई। मेरा यहां से बहुत पुराना नाता है। छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल दृष्टि से मेरी कर्मभूमि है और मेरा आपसे गहरा लगाव है। श्री सतीश महाना जी, उस विधान सभा के अध्यक्ष हैं जो देश का सबसे बड़ा प्रांत है। 8 बार विधान सभा का सदस्य होना कितना मुश्किल होता है, यह आप और हम समझ सकते हैं। इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। इनका उद्बोधन आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहा होगा, इसमें मेरे मन में कोई शंका नहीं है। मेरे सामने बहुत अनुभवी लोग बैठे हैं, जो प्रतिपक्ष में भी हैं और सत्तापक्ष में भी हैं। यहां पूर्व विधान सभा अध्यक्ष श्री धरमलाल कौशिक जी भी हैं। आज सबकी उपस्थिति छत्तीसगढ़ के लिए लाभकारी होगी, यह मेरे मन में कोई शंका नहीं है। यहां 50 से ज्यादा नए विधायक होना, यह कार्यक्रम सिर्फ उनके लिए ही नहीं है, यह कार्यक्रम सभी विधायकों के लिए है। मैं जब भी किसी विश्वविद्यालय में

जाता हूं तो विद्यार्थियों को एक बात कहता हूं कि Your degree doesn't mean you are not learning. सीखना निरंतरता से रहना पड़ता है। अनुभवी विधायकों की उपस्थिति का मतलब है कि जो पहली बार चुनकर आए हैं, उनको उनसे भी बहुत ज्ञान मिलेगा, उनसे चर्चा से भी ज्ञान मिलेगा और यहां जो आपका पल-पल बितेगा, वह आपको मजबूती देगा कि आप अपनी सफलता पूरी तरह से उपयोग करिये, सार्थक रूप से करिये। भारत के संविधान को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी हर कार्य नीति के अंदर भारत के संविधान को ही हम सबसे पहले देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई और इसका जो Adoption हुआ, वह 26 नवंबर, 1949 को हुआ। कितने सदस्य बने, वे कैसे निर्वाचित हुए? उनका निर्वाचन आपकी तरह नहीं था। आपका निर्वाचन Direct है। उनका निर्वाचन Indirect था। उसमें एक और Category थी कि एक तो Indirect election होना और एक Princly States का Re-presentation होना और जो चार commissioners थे, उनके भी एक-एक सदस्य होना। फिर अचानक देश का बंटवारा हो गया। कुछ स्थान खाली हो गये, तो शुरू में जो सदस्यगण थे, उनकी संख्या कम आ गई। जब संविधान की मूल प्रति में दस्तखत हुए तो कुछ लोग उस पर दस्तखत नहीं कर पायें। संख्या बहुत कम है। जब आपको यह पूरी जानकारी होगी तब आपको यह पता लगेगा कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। पर संविधान के कुछ पहलू हमसे छिपे हुए हैं। मैं सदन के नेता, माननीय डॉ. रमन सिंह जी और प्रतिपक्ष के नेता को आग्रह करूंगा कि संविधान की जो मूल प्रतिलिपि है, जिस पर सदस्यों द्वारा दस्तखत किए गए थे, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यह अच्छी बात नहीं है कि देश में जो संविधान की पुस्तिका लोगों को उपलब्ध है, उसमें से एक महत्वपूर्ण अंग गायब है। संविधान में 22 मिनिएचर्स हैं। वह हमारे 5 हजार साल की सांस्कृतिक धरोहर को संकेत देते हैं। उसमें 22 चित्र हैं। नंदलाल बोस ने वह चित्र बनाए हैं। उन्होंने कला मंदिर का सहयोग लिया। जब आप उन्हीं चित्रों को देखेंगे कि उन चित्रों को कहां-कहां स्थापित किया गया है। जब आपने कौशल्या जी का नाम लिया। तो उसमें राम, सीता और लक्ष्मण का चित्र है। वह अयोध्या आ रहे हैं और यह संविधान के पार्ट थ्री में है। संविधान का पार्ट थ्री मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मौलिक अधिकार अहम हैं। यदि मौलिक अधिकार नहीं है तो आप प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नहीं रह सकते। संविधान के मौलिक अधिकारों में बोलने की स्वतंत्रता है, समानता के अधिकार सहित बहुत से अधिकार हैं। उसके अंदर इस चित्र का होना, यह कितना महत्व रखता है। यह पार्ट-4 में है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। डॉयरेक्टिव प्रिंसपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह तीन निर्देशक तत्व हैं। यह इसमें हैं। आज के दिन भ्रमित होकर, हम हमारी संस्कृति को र्क बार नकार देते हैं। यह न्यायायल तक का मुद्दा बना हुआ है, पर हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोचकर विवेकपूर्ण तरीके से इन बातों पर ध्यान दिया। उसमें जैन मुनियों का उल्लेख है, सिख के गुरूओं का उल्लेख है, शिवाजी का उल्लेख है, अकबर का उल्लेख है, गांधी जी का उल्लेख है, रानी झांसी का उल्लेख है, पर यह बात आपको जो पुस्तिका मिलती

है, उसमें नहीं है। वह अधूरी है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप एक ऐसी प्रतिलिपि संविधान की रखिये, जो बिल्कुल वही हो जो संविधान निर्माताओं, founding fathers of indian constitution उन्होंने ऐसा किया हो। अपने संवैधानिक इतिहास को जानना भी बहुत जरूरी है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में ड्राफटिंग कमेटी के चेयरमेन थे। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हर अनुच्छेद को ड्राफ्ट किया, पर डॉ. बी. आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 370 को ड्राफ्ट करने से मना कर दिया। आपकी जिज्ञासा, जानकारी होनी चाहिए कि डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 370 को ड्राफ्ट क्यों नहीं किया ? उन्होंने पत्र लिखकर क्या संकेत दिया और हमें कैसे अनुच्छेद 370 परेशान करते रहा। भारत के संविधान में कैसे, जिसे टेम्प्रेरी कहा गया, वह 7 दशकों तक परेशानी का कारण बना। आपको इसमें यह पढ़ना चाहिए कि वर्ष 1963 में लोकसभा में तात्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि यह अनुच्छेद 370 घिसते-घिसते घिस जाएगा। उनका आंकलन क्या था ? पर मैंने वर्ष 1990 में केन्द्रीय मंत्री रहते हुए कश्मीर की पीड़ा देखी है। हम कश्मीर गये थे। वहां के हालात ज्वलंत, पीड़ादायी थे। अब अनुच्छेद 370 नहीं रहा। यह विधायिका ने एक सुखद काम किया है। हर सांसद साधुवाद का पात्र है, जिसकी भागीदारी अनुच्छेद 370 को समाप्त करने में रही है।

दूसरा, आप भारत का इतिहास देखेंगे, यह संविधान से जुड़ा हुआ है कि हमारे देश का निर्माण integration of princely states से हुआ है। सरदार पटेल का यह काम था। माननीय लौह पुरूष सरदार पटेल जी ने अनेकानेक princely states का भारत राज्य में किया। उनका यह जिम्मा था, पर उनको एक जिम्मा नहीं दिया गया। वह जिम्मा जम्मू एण्ड कश्मीर के integration का था। आपको आज के दिन सोचना, विवेचन करना पड़ेगा कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 370 को ड्राफ्ट नहीं किया ? सरदार पटेल को integration का काम पूरा दिया गया, सिवाय जम्मू एण्ड कश्मीर के। यह आपको देखने की बात है। इस विधान की यात्रा के अंदर जो बड़े-बड़े बदलाव हुए हैं, आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। जब संविधान निर्माताओं ने पहले तय किया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति हर सत्र के शुरूआत में भाषण देंगे। यहां साल में 3 या 4 सत्र होते हैं, हर सत्र की शुरूआत करना, संविधान निर्माताओं की कल्पना थी, पर तुरन्त यह समझ गये कि यह व्यावहारिक नहीं है। यदि साल में चार बार माननीय राष्ट्रपति या माननीय राज्यपाल, राज्य विधान मण्डलों का सम्बोधन करेंगे तो यह ठीक नहीं है। उन्होंने यह बदलाव किया कि साल में एक बार प्रथम सत्र में माननीय राष्ट्रपति या माननीय राज्यपाल राज्य विधान मण्डलों का सम्बोधन करेंगे, पर एक जानकारी जिसे आप नजर अंदाज कर रहे हैं। हमें संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार दिये। हमें बोलने की अभिव्यक्ति दी। उस अभिव्यक्ति पर कोई अंकुश नहीं था। लोक सभा बनने के बाद, संविधान का जो पहला संशोधन हुआ the first amendment in the indian constitution अभिव्यक्ति के ऊपर अंकुश लगाया गया। हमें यह सोचना पड़ेगा कि वह अंकुश क्यों लगाया गया? कितना लगाया गया और कितना सार्थक था। मेरे कहने का मतलब है

कि लगातार जो संविधान में बदलाव है, वह विधायिका का काम है। पहले संविधान में यह व्यवस्था दी गई थी कि हमारे चुनाव राज्य स्तर पर और केन्द्र स्तर पर होंगे। विधान मण्डल होंगे और संसद होंगे। फिर इसमें 90 के दशक में बड़ा बदलाव आया कि भारत के संविधान में पंचायत और नगर पालिका को भी जोड़ा जाए। एक बहुत जबरदस्त व्यवस्था की गई और यह व्यवस्था होते ही भारत became the only country in the world to be structured constitutional mechanism for democratic process at the panchayat level, at the panchayat samity level, at jila parishad level, at the state level, central level कहीं नहीं है। यह हमारे संविधान में बदलाव आया। हमारे संविधान में पहले cooperatives नहीं थे। यह सहभागिता का बहुत बड़ा परिणाम है। It only to really exponential consequences, यह जोड़ा किया गया। तो जब तक विधायक संविधान की इस यात्रा के भागीदार नहीं बनेंगे तब तक सही मायने में आपकी जो कर्त्तव्यनिष्ठा है, वह पूरी तरह से जागृत नहीं होगी। आपको यह देखना पड़ेगा कि भारत के संविधान में बदलाव नहीं है, यह दुनिया के हर संविधान में है। अब इतनी तकनीकी आ गई है कि यह आवश्यक है। यह हमें सोचना चाहिए। भारत के संविधान ने सांसदों और विधायकगणों को बहुत बड़ा अधिकार दिया है यह अभिव्यक्ति का अधिकार है। आप सदन में जो बोलते हैं आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप निर्भिक होकर बोल सकते हैं, आप पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता। इस देश की 140 करोड़ की जनता में कुछ लोगों को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति, संस्था, समाज के बारे में विधान मण्डल, लोक सभा और राज्य सभा में कुछ भी बोलेंगे, यह सभी वर्ग, एस.आई., न दीवानी मुकदमा कर सकते हैं और न ही फौजदारी मुकदमा कर सकते हैं। वही बात आप सदन के बाहर कहेंगे तो आप पर मुकदमा चल सकता है। you can be hold up for civilian criminal liabilities defenation civilian criminal damages। आपको आत्मचिन्तन करना होगा कि हमें इतना बड़ा अधिकार क्यों दिया गया है ? कोई भी अधिकार बिना जिम्मेवारी के नहीं आता है। आप जो भी शब्द बोलते हो, you are accountable for eat, आपको जिम्मेवारी से बोलना पड़ेगा। A member of the house in parliament and state legislature can not be loose cannon there can not be free fall information, you can not be demoliton he body character, you can not engaging defamotry statements, you can not engaging inflammatory speeches. और यही एक कारण है कि जो इतना बड़ा अधिकार आपको दिया गया है, उस अधिकार का regulation सदन करती है, अध्यक्ष महोदय करते हैं, कमेटी करती है। committee of privileges इस बात का ध्यान देती है। उदाहरण है कि जब सदन तय करता है कि हमारे एक सदस्य ने अमर्यादित आचरण किया है, हम इस आचरण को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सदन की सदस्यता तक जा सकती है। हाल में भी गई है, पहले भी गई है और बड़े-बडे लोगों की गई है। मेरा आपसे विशेष आग्रह, अनुरोध रहेगा कि आप इतिहास का हिस्सा हैं। आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपके प्रियजन यह देख पायेंगे कि इस सदन का सदस्य होने के कारण आपने किस विषय पर क्या बात की। आपने कितना विवेकपूर्ण योगदान दिया। हर बात का असर निश्चित रूप से होगा। सदन का प्रमुख कार्य विधान का निर्माण करना है। विधान के निर्माण के समय

आपकी भागीदारी में आपकी चिंता, चिंतन, मंथन साफ झलकना चाहिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपकी बात स्वीकार हो। कारण यह कहा गया है कि- the government must have you say, the opposition must have you say the Dr. Charandas Mahant will have you say and सदन के नेता will have is way पर यह समझदारी से होना चाहिए। दूसरा आप यहां पर प्रतिद्वंदी नहीं हैं। आपका सौहार्द्रपूर्ण वातावरण होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष में लगातार संपर्क रहना चाहिए। प्रजातंत्रिक व्यवस्था तभी फले-फूलेगी जब आप इस बात का ध्यान देंगे। यह आपने नजरअंदाज कर दिया तो कोई मतलब नहीं है। विधान सभा की करीब 03 वर्ष तक बैठक हुई, कई सत्र हुए, 165 दिन तक कार्यवाही हुई, एक दिन भी disturbance नहीं हुआ, एक दिन भी sloganeering नहीं हुई। एक दिन भी playcards नहीं दिये। आप चिंतन कीजिए विधान सभा के सामने बेहद बेहद पेचीदे मुद्दे थे। contentious issues, divisive issues, लोगों के मत थे। मत में काफी दूरी थी। वह फासला disturbance से पूरा नहीं हुआ। dialogue, debate, discussion, delibration और यही कारण है कि आज के दिन ये घटता जा रहा है। प्रतिपक्ष के सदस्यों को खास तौर से कहूंगा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत सदन चलने में है। आप सरकार को कटघरे में कब रख सकते हो, जब सदन चलता है। यहां पर दो-दो पूर्व अध्यक्ष हैं। वह जानते हैं कि एक प्रश्न पूछने पर पूरी सरकार हिल सकती है, उसका जवाब आये या नहीं आये। We are in a society will media, social media is really explosive. आपकी बात दब नहीं सकती। पर सदन जब नहीं चलता है, इसकी क्या shelf life है? आप अंदाजा लगा दीजिए पिछले 10 साल में कोई याद नहीं करेगा कि कब-कब सदन नहीं चला, पर यह जरूर याद करेगा कि इस विषय पर एक प्रश्न पूछा गया था और सरकारी पक्ष जवाब नहीं दे पाया। इस विषय पर एक प्रश्न पूछा गया था जिस पर सरकारी पक्ष ने सटीक जवाब दिया। इस विषय पर किसी सदस्य ने इतना बड़ा योगदान दिया कि विद्युतीकरण के अंदर क्या होना चाहिए, कृषि विकास के अंदर क्या होना चाहिए, तकनीकी विकास में क्या होना चाहिए, ये सब है। therefore my humble appeal to you don't weaponized disturbance, disruption has a political tour. ये self-defeating है। ये खुद के खिलाफ जाता है। इसकी कोई self life नहीं है। दूसरा इसको कोई बाहर appreicate नहीं करता है। आप यदि रायशुमारी करोगे तो आपके जो मतदाता हैं, प्रियजन हैं, घर के लोग हैं, वह इसको पसंद नहीं करते। सबसे ज्यादा पीड़ादायी काम अध्यक्ष या सभापति का होता है। डॉ. चरणदास महंत ही अध्यक्ष रह चुके हैं, हमारे यहां धरमलाल कौशिक जी भी हैं। किसी भी सदस्य के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करते हुए मन बड़ा पीड़ित होता है, दुखी होता है, परेशान होता है। यह सबसे मुश्किल काम है। ढाई फुट ऊपर बैठकर कितना प्रयास करते हैं। डॉ. चरणदास महंत जी यदि कभी लिखेंगे कि इन्होंने कठोर कदम उठाया है तो कक्ष में किन-किन को बुलाया होगा, कितना चिंतन मंथन किया होगा। कितनी चेतावनी दी होगी। पर बात क्या है कि अधिकांश समय हम ऐसे निकाल देते हैं और जनता का इतना भारी धन खर्च होता है। सदन नियमों से चलता है। एक सदस्य ने कहा कि सभापति महोदय आपने बड़ा गलत काम किया, मैंने

तो division मांगा था। मैंने कहा कि मान्यवर सदस्य आप division अपनी कुर्सी पर से मांग सकते हैं, आप division वेल में मांग रहे थे। चाहे मैं हूं, कौशिक जी हों या डॉ. चरणदास महंत जी हों, division की बात तभी स्वीकार करेंगे जब सदस्य अपनी कुर्सी पर है। अगर सदस्यगण नियमों को नहीं मानेंगे, उनका आचरण अनुकरणीय नहीं रहेगा तो योगदान में तो कमी आयेगी ही, जो मुद्दे सदन में तय होने चाहिए, वह मुद्दे सड़क पर तय होंगे। जनता को वाद-विवाद चाहिए, समाधान चाहिए। वह चाहते हैं कि हमारे मुद्दों पर चर्चा हो, गहराई से चिंतन हो। आप करेंगे तो वह सड़क पर चिंतन नहीं होगा, पर आपके यहां चिंतन नहीं होगा तो निश्चित रूप से लोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए कहीं न कहीं, कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। आपको दूरदृष्टि से सोचना है। आज के दिन मैं यहां से कोई विकास की बात करूं, स्वाभाविक रूप से मन में आ जायेगा कि ये किसी के पक्ष में राजनीतिक बात कर रहे हैं। ये भ्रम निकल जाना चाहिए। डॉ. चरणदास महंत जी को प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते पूरा अधिकार है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करें। पर सरकार कोई अच्छा काम कर कर रही है तो वह राजनीतिक दल का काम नहीं है। वह कार्यपालिका का काम है जिसमें सरकारी तंत्र बीच में आता है, आप बीच में आते हो, आम आदमी बीच में आता है, उसकी प्रशंसा करने से प्रांत की प्रगति होती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी काल खंड में काम नहीं हुआ हो, हर कालखंड में काम हुआ है। कुछ कालखंड में ज्यादा काम हुआ है, कुछ कालखंड में कम काम हुआ है। पर वर्तमान कालखंड को देखते हैं तो हमें कुछ चीजों पर अच्छा लगता है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। कुछ चीजों में कमी है, We must note criticise, we must constitutively criticise, criticism अपने आप में ठीक नहीं है। criticism constructive और समाधान oriented होना चाहिए कि रास्ता ये है। आपकी समितियां होंगी, उनको सार्थकता से आगे बढ़ाईये। आप सरकार की हर पाई-पाई के ऊपर नजर रख सकते हो। हर सरकारी संस्थान की रिपोर्ट आती है। मेरा अनुभव ठीक नहीं रहा है। कोई सरकारी संस्था की रिपोर्ट आती है, सदस्यगण उसको पढ़ते नहीं हैं। जो सदस्य या सदस्या पढ़कर प्रश्न करेंगे, सरकार हिल जायेगी। यह रिपोर्ट हल साल आनी थी, आप 03 साल बाद क्यों दे रहो हो ? इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है ? आपको बिल्कुल टेलीस्कोपिक तरीके से जनता की बात समझनी चाहिए और माइक्रोस्कोप की तरह सरकार पर नजर रखनी चाहिए। अपना शासन, व्यवस्था पारदर्शी और उत्तरदायी कब होगी, जब आपकी पैनी नजर, चील जैसी नजर सरकारी तंत्र पर होगी। आप सरकार का विरोध नहीं करते हो। आप सरकार का विरोध करते हो तो सरकार को ताकत भी देते हो। सरकार को आईना दिखता है, सरकार को पता लगता है कि विकास की इस योजना में यह कमी है और वह अधिकारीगण और सरकारी तंत्र को सुचारू रूप से आदेश दे सकती है। मुझे बहुत खुशी है कि 50 नए विधायकगण हैं। इसमें महिलाओं की संख्या भी हैं। जब मैं वहां बैठा था तो मैं सोच रहा था, एक दूसरा कारण है कि डॉ. चरणदास को इसलिए Right में किया क्योंकि महिला शक्ति इधर है। यह पलड़ा भारी है। मैं तो आपको भारी पलड़े की तरफ रख रहा था। I have no intention of giving advice

to you. क्योंकि जो चुनाव लड़कर आता है, उसको किसी Advice की दरकार नहीं है। एक पुरानी कहावत है कि एक पक्षी माँ अपने चूजे को ज्ञान दे रही थी। उसने कहा कि जब भी कोई शिकारी पत्थर उठाये तो उड़ जाना, तो उसने कहा कि माँ कोई शिकारी पॉकेट में पत्थर लेकर चले तब मैं क्या करूं? उसने कहा कि तुझे Training की आवश्यकता नहीं है। तो आप में किसी को भी Training की आवश्यकता नहीं है। यह प्रांत कितना Natural resources में Rich है। सोचिए कि देश का वह भाग, जिसको भगवान ने Natural resources से इतना Blossom किया है। आप पूरे देश में देख लीजिये। उसमें विकास अचानक कम क्यों है? आप यह सोचिए। आप देखिये कितनी व्यवस्था है? अब कुछ अच्छा बदलाव आया है और यह बदलाव देश की संस्कृति में आ चुका है कि अब कोई भी धन का ट्रांजेक्शन है, वह डिजिटल है, वह बड़ा सार्थक रूप से है। भारत ने इसमें महारत हासिल की है। वर्ष 2022 में हमारे डिजिटल ट्रांजेक्शन को अमेरिका, यू.के., फ्रांस और जर्मनी, इन चारों देश को मिला लें तो उससे चार गुना ज्यादा थे। हर मामले में प्रगति हो रही है और प्रगति की कोई सीमा नहीं है। यह लगातार होती रहेगी। हम चांद पर गए, उसके तुरंत बाद सूरज मिशन पर चाले गए। भारत मंडपम कन्वेंशन हुआ, उसके 10-15 दिन बाद यशोभूमि कन्वेंशन हुआ। हर चीज बदल रही है। हर विकास को राजनीतिक चश्मे से देखना सदन के सदस्य को ठीक नहीं लगता है। उसमें आप Ground deal करते हैं कि विकास में हमारा हाथ नहीं है। हर Representative का विकास में हाथ है। हर Representative सरकार को सतर्क करता है, वह चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसमें उसका योगदान है। मैंने हमारे राज्य सभा के महासचिव डॉ. पी.सी. मोदी जी को विशेष आग्रह किया कि मैं आत्मीयता से आप सभी को संसद के नये भवन में मेहमानबाज़ी के लिए आमंत्रण करना चाहता हूं। वहां जाते ही आपको पता लगेगा कि 30 महीने में एक भवन का ही निर्माण नहीं हुआ है। लोगों को लगता है कि कोविड होने के बावजूद 30 महीने में एक भवन बन गया। अंदर जो कुछ हुआ है, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। टेक्नोलॉजी का कितना उपयोग किया गया है। आप द्वार पर जायेंगे तो आपको एक पेंटिंग दिखेगी। आप उसको स्केन करेंगे तो आपके मोबाईल पर आ जायेगा कि यह क्या है। आपके प्रांत में असीमित संभावनाएं हैं। आपका प्रांत देश का सर्वश्रेष्ठ प्रांत हो सकता है क्योंकि इतनी ज्यादा ईश्वरीय अनुकंपा किसी और प्रांत पर नहीं है। आपको पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है कि अब तक क्यों नहीं हुआ। जब पीछे देखते रहेंगे, गलतियां निकालते रहेंगे। नहीं। We have to move ahead. किसी बात को गांठ नहीं बांधना है। Our job is not to been confirmation, Our job is to been collabaration. जैसा कि मैं एक साधारण बात बताता हूं। मैंने पश्चिम बंगाम की राज्यपाल की हैसियत से बजट को हमेशा गंभीरता से देखा । मेरे मन में हमेशा एक चिंता रहती है और सभापति बनने के बाद ज्यादा चिंता है कि यदि सदस्यगण बजट पुस्तिका को ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सरकार का जो टोटल बजट है, उसमें capital expenditure कितना हो रहा है। मतलब आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे रहे हैं, वर्तमान में कितने रूपये खर्च कर रहे हैं। कुछ मुद्दों पर सामूहित

सोच की आवश्यकता है। कोई भी दल किसी भी व्यवस्था को चुनावी दृष्टि से फैसले लेकर तोड़-मरोड़ सकता है, पर सामूहिक रूप से फैसले हो सकते हैं कि हम व्यक्ति की जेब को ताकतवर करें, व्यक्ति को इतना ताकतवर करें कि वह स्वयं सबल होकर खड़ा हो जाये। हम सरकारी धन का उपयोग किस तरीके से करें, वह कितना प्रभावी और सार्थक हो, यह बजट पर चर्चा से हो सकता है। मुझे बड़ी पीड़ा होती है। आज के दिनों में क्रांतिकारी कानून संसद ने पास किया है। एक कानून महिलाओं के संबंध में है। Reservation for women in lok sabha and state legislatures to the extent of 1/3. यह Reservation Horizontal भी है, यह Reservation vertical भी है। इसका अर्थ यह है कि पहले से यह व्यवस्था बनी हुई है कि Scheduled caste, tribe reservation है, पर उनमें भी निश्चित किया गय है कि 1/3 महिला का आरक्षण हो। तो कम से कम लोक सभा और विधान सभाओं में 1/3 महिलाएं होंगी और इससे जयादा होंगी। They can come in general category also. उनके लिए अनेक सुअवसर दिए जा रहे हैं। They are fighter pilots. चंद्रयान मिशन केंद्र में राकेट वुमन है। ऐसा पहले कभी नहीं था। पर इन अवसरों का यदि फायदा नहीं मिलेगा, इस विधान मण्डल में यदि यह चर्चा नहीं होगी कि सदन के नेता ने केन्द्रीय योजनाओं का कितना फायदा उठाया। आप कहते हैं कि इतना फायदा मिल सकता था, हमें पूरा फायदा क्यों नहीं मिला है। वह इनको भी मदद होगी, प्रांत का भी फायदा होगा। सकारात्मक राजनीति करनी पड़ेगी। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि इसके अर्थ निकल सकते हैं। पर मैं यह चिंता व्यक्त करता हूं कि देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसकी भारतीयता पहचान न हो, देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो भारतीय होने पर गर्व नहीं करें, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, जिसको भारत की प्रगति से प्रशंसा नहीं होती है और कुछ हैं या कुछ नकारात्मक narrative चलते हैं। हम सबका धर्म है कि हम सब उनके पर अंकुश लगायें। Bharat will continue. Political party will come and go. इस लंबे सफर में हमने देखा है कि पार्टियों का क्या उत्थान हुआ है और क्या परिवर्तन आया है। एक परिवर्तन का क्या कहूं। मैं इसका फायदा ले चुका हूं। सन् 1989 में 23 से ज्यादा पार्टियां इकट्ठी हुईं और हम वहां पर थे। तीन दशक के बाद एक स्थायित्व आया। कोई दूसरा पहलू है। राजनीति सदैव होती रहेगी, पर एक बात के लिए मैं आग्रह करता हूं कि दूसरे का मत सुनेंगे ही नहीं, दूसरे को बोलने ही नहीं देंगे। We must always respect their point of view, We must listen to their point of view, We must consider their point of view. It is for us to agree or not to agree. लेकिन यदि यह डायलाग खत्म कर देंगे, दूसरे की बात को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो हम सामज में योगदान नहीं कर पायेंगे। मैं हर विधायक से यह आग्रह करूंगा कि आपका आचरण अनुकरणीय होना चाहिए। आप यदि कहीं पर पेड़ लगाते हैं और निश्चित रूप से संकल्प करते हैं कि हर साल में विधायक कम से कम 100 पेड़ लगाएगा तो मानकर चलिए कि जनता में बहुत बड़ा संदेश जाएगा। हर विधायक यदि अपने स्कूल का निरीक्षण करेगा तो हर विधायक एक संकेत देगा। विधायक और अधिकारी के बीच में जब खटपट होती है। मोदी जी को पता है। हम सांसद को बुलाते हैं कि

खटपट नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि इक्का-दुक्का ऐसा अधिकारी हो, जिसको कुछ कहने की आवश्यकता पड़े। बाकी सब we are partners in the growth we are in tendermeet togetherness or objective to the same कोई अधिकारी कड़ी मेहनत और परीक्षा देकर, उस स्थान पर पहुंचते हैं जैसे आप यहां बहुत कड़क चुनाव लड़कर पहुंचते हैं। चुनाव में जो आपका ज्ञान होता है, चुनाव में जो आपको सीख मिलती है, वह अन्यथा नहीं मिल सकती है। उस ज्ञान को अर्जन करने के पश्चात् आप यहां शपथ लेते हैं। तो मेरा आपसे यही अनुग्रह रहेगा कि आप छत्तीसगढ़ को चमकाओ, आगे बढ़ाओ। छत्तीसगढ़ इस देश का सर्वश्रेष्ठ प्रांत बने। इस छत्तीसगढ़ में व्यवस्था पारदर्शी हो, उत्तरदायी हो और यहां किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की चोंट आम आदमी, गरीब पर पड़ती है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की चोंट उस पर पड़ती है जो Meritorious, Deserving है, कोई व्यवस्था बन गई है, इसका अनुपालन होना चाहिए। मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं सभी महानुभावों का आभारी हूँ यहां सब एक मंच पर आएं, यह मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरा, डॉ. चरण दास महंत जी ने जिस आत्मीयता से स्वागत किया, अपने विचार व्यक्त किये और मैं मानकर चलता हूँ यह एक जुटता राजनीति में नहीं हो सकती। यह संभव नहीं है, पर यह छत्तीसगढ़ के विकास के लिए संभव है। and you are lucky to her विष्णु देव साय as your chief minister because represented tribal community and nation is lucky to her draupadi murmu is first tribal woman to be president of india। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मैं झारखण्ड कानूनी सलाह देने के लिए बहुत जाता रहा हूँ, मैं birsa munda airport उतरता था। वहां सड़क पर birsa munda जी की मूर्ति है। आज वह जनजातीय दिवस है। हमें मिलकर, पूरे देश को ऊपर उठाना है। हमारा यही संकल्प होना चाहिए। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

उद्घोषक :- माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्यमंत्री एवं सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा से निवेदन है कि मुख्य अतिथि माननीय उप राष्ट्रपति जी का शाल, श्रीफल से स्वागत कर स्मृतिचिन्ह भेंट करें।

(माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्यमंत्री एवं सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा मुख्य अतिथि माननीय उप राष्ट्रपति जी का शाल, श्रीफल से स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया)

उद्घोषक :- कृपया सम्माननीय अतिथि अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी माननीय सदस्यगणों के लिए एक आवश्यक सूचना यह है कि इस मंचीय कार्यक्रम के तुंरत बादमाननीय मुख्य अतिथि जी के साथ आपका समूह छायाचित्र होना है। कृपया निर्धारित स्थान पर अतिशीघ्र पहुंचिएगा।

माननीय बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से अनुरोध है कि इस अवसर पर आभार प्रदर्शन करें।

आभार

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- आज हम सब के लिए सौभाग्य और खुशी का विषय भी है कि हम सब को सीखने के लिए मिला कि चुटीले अंदाज में हंसते-हंसते हुए, बड़ी से बड़ी बात कैसे कही जा सकती है। इसे हमने उप राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी से सीखा। मैं उनका बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

माननीय उप राष्ट्रपति जी आपने सबके साथ मिलकर काम करने का जो संदेश दिया है। देश की बहुत कम विधान सभाओं में छत्तीसगढ़ विधान सभा है, जो साल में 40 से 50 दिन चलती है। यहां पर बजट चर्चा में कोई भी विभाग guillotine नहीं होता है। यहां पर सभी विषयों पर चर्चा होती है। आपने सभी विधायकों के लिए संदेश दिया कि जब विधान, कानून बनाने में बिल आते हैं तब विधायकों की उपस्थिति सबसे कम होती है। जब विधान, कानून बनता है तो उसमें हम सब को भागीदार बनना चाहिए। नये विधायकों को विधान सभा में बोलने का privilege है, हम विधान सभा में कुछ भी बोलें, उसका हमारे ऊपर मुकदमा नहीं हो सकता, परन्तु हम कुछ भी बोलेंगे तो जनता में उसका क्या संदेश जाएगा। हमें कोई भी बात संभल कर बोलनी चाहिए, हमें अच्छी बातें बोलनी चाहिए और जो प्रदेश के विकास में योगदान कर सकें, हमें ऐसी बातें बोलनी चाहिए। आपने प्रश्न की ताकत के बारे में भी बताया क्योंकि मुझे भी पांचवी बार मंत्री बनने का अवसर मिला है। जब मध्यप्रदेश जैसी विधान सभा में हम लोग प्रश्न लगाते थे तो पूरी सरकार हिल जाती थी। इसलिए किसी प्रश्न की ताकत इतनी है कि हम अपनी पूरी तैयारी के साथ में प्रश्न लगायेंगे तो हमारे विधायक बंधु समझ लें कि आपने जिस काम के लिए, ठीक तरीके से प्रश्न लगाया है, उस काम को होने से कोई रोक नहीं सकता। हम सब सामन्जस्य के साथ मिलकर कार्य करें। छत्तीसगढ़ की विधान में माननीय उप राष्ट्रपति जी आपस में कोई कटुता नहीं है। आपने यह देखा है कि जब हमारे विधान सभा की शुरूआत हुई तब मैंने अपने भाषण में कहा था कि हमें मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष और विधान सभा अध्यक्ष तीनों एक ही स्वभाव के मिले हैं। यहां कोई कटुता का वातावरण नहीं है। निश्चित रूप से आपका अनुभव है, आपने सैनिक स्कूल से पढ़ाई करकर, बी.एस.सी. की। आपने बी.एस.सी. के बाद एल.एल.बी. की। आपने एल.एल.बी. के बाद हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वकालत की। आप सांसद बने, आप विधायक बनें और आज आप देश के उप राष्ट्रपति हैं तो हम यह कह सकते हैं कि हम ऊंचे से ऊंचे स्थान पर हमारे यह सब साथी नेता जा सकते हैं। मैं आज के माननीय उप राष्ट्रपति जी के संबोधन, चुटीले अंदाज के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। हम सब का सौभाग्य है कि जैसा डॉ. चरण दास महंत जी ने कहा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, यह

हमारे लिए सपना है कि राज्यसभा की आसंदी को जो संचालित करते हों, आज वह हमारे 90 विधायकों की विधान सभा के प्रबोधन कार्यक्रम में हम सब को संबोधित करने के लिए आएं। मैं तो चाहूंगा कि माननीय उप राष्ट्रपति जी जो संविधान की मूल प्रति है वह किसी प्रकाशन के साथ, समझौता करकर अगर हमें वह कॉपी उपलब्ध हो जाए तो निश्चित रूप से हम सभी विधायक और साथ में कोई विधान सभा की तरफ से खरीदना चाहे तो उसके लिए भी हम विधान सभा में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मैं, आपको माननीय डॉ. रमन सिंह जी की तरफ से आश्वस्त कर रहा हूँ। मैं आपका पुन: अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। मैं चाहूंगा कि सभी तालियां बजाकर माननीय जगदीप धनपखड़ जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपका पुन: बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद्। आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे, क्योंकि यह तो शुरूआत है। अभी सरकार बने एक महीना, दो, तीन दिन हुआ है। आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। इसी भावना के साथ मैं पुन: आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़ ।

(तत्पश्चात् प्रबोधन कार्यक्रम 5 बजकर 26 मिनट पर स्थगित हुआ)

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं